GS WORLD

IAS PCS

Committed To Excellence

प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों का हिन्दी भावानुवाद

संदर्भित तथ्य एवं संभावित प्रश्नों सहित

(मार्च, 2018)

Head Office

629, Ground Floor, Main Road, Dr, Mukherjee Nagar, Delhi - 110009

Ph. : 011-27658013, 9868365322

INDEX

	आर्टिकल	प्रश्न-पत्र	पेपर	दिनांक
1.	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय सशस्त्र बलों की मदद कैसे कर सकता है?	पेपर-III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)	लाइव मिंट	5 मार्च
2.	यह दक्षिण एशिया का पुनर्मिलन करने का समय है : भारत-चीन -पाकिस्तान सहयोग पर	पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	द हिन्दू	6 मार्च
3.	एक सुधारात्मक पहल	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	इंडियन एक्सप्रेस/पायनियर	7 मार्च
4.	द न्यूज फ्रंट	पेपर-III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)	इंडियन एक्सप्रेस	8 मार्च
5.	फ्रांस भारत का नया रूस?	पेपर-II (अन्तर्राष्ट्रीय संबंध)	इंडियन एक्सप्रेस	9 मार्च
6.	सम्मान के साथ मृत्यु का हक	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू/इंडियन एक्सप्रेस	10 मार्च
7.	सामाजिक अन्याय	पेपर-II (श. व्यवस्था/सामाजिक न्याय)	इंडियन एक्सप्रेस	12 मार्च
8.	भारत और फ्रांस के बीच सामरिक साझेदारी	पेपर-II (अन्तर्राष्ट्रीय संबंध)	द हिन्दू/इंडियन एक्सप्रेस	13 मार्च
9.	विरोध के बाद सहायता	पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था)	इंडियन एक्सप्रेस	14 मार्च
10.	फार शॉर्ट ऑफ द पोटेंशियल	पेपर-II (अन्तर्राष्ट्रीय संबंध)	द हिन्दू	15 मार्च
11.	क्या सक्रिय इच्छामृत्यु अगला चरण होगा	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	16 मार्च
12.	आन्ध्र में राजनीतिक विवाद	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू/इंडियन एक्सप्रेस	17 मार्च
13.	बोतल बंद पानी : सेहत से खिलवाड़	पेपर-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)	द हिन्दू/इंडियन एक्सप्रेस	19 मार्च
14.	फर्स्ट स्टेप इन अ लॉन्ग जर्नी	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	20 मार्च
15.	चुनावी सुधारों के अधूरी कार्यसूची	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	लाइव मिंट	21 मार्च
16.	सुप्रीम कोर्ट : एससी/एसटी	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	फाइनेंसियल ए./इंडियन एक्सप्रेस	22 मार्च
17.	भारत की बिजली जरूरतों को पूरा करना	पेपर-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)	द हिन्दू	23 मार्च
18.	कोर्ट करेक्शन	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	इंडियन एक्सप्रेस	24 मार्च
19.	पहला कदम : एनडीए सरकार की आयुष्मान भारत पर	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	24 मार्च
20.	विशेष ध्यान देने की आवश्यकता	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	26 मार्च
21.	बहु विवाह, हलाला पर सप्रीम कोर्ट	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू/टाइम्स ऑफ इंडिया	27 मार्च
22.	एक नई संघीय राजनीतिक के जन्म की पीड़ा	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	28 मार्च
23.	सुप्रीम कोर्ट बनाम खाप पंचायत	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू/इंडियन एक्सप्रेस	29 मार्च
24.	क्या भारत में जुए को वैध बनाना चाहिए?	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	30 मार्च
25.	नदियां, बाढ़ के मैदान, शहर और किसान	प्रश्न-पत्र-I (भूगोल)	द हिन्दू	31 मार्च

* * *

GS World Committed To Excellence

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय सशस्त्र बलों की मदद कैसे कर सकता है?

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।।। (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) से संबंधित है।

05 मार्च, 2018

''लाइव मिंट''

लेखक - शशांक रेड्डी (अनुसंधान विश्लेषक, कार्नेगी इंडिया)

''स्वायत्त हथियारों के आसपास व्याप्त विवादों के संदर्भ में हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि एआई का दुनिया भर की सेनाओं के लिए कई गैर-घातक उपयोग भी हैं।''

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के सभी कथित उपयोगों में से, सैन्य प्रयोजनों के लिए इसके संभावित उपयोग की तुलना में एक और विवाद को खोजना कठिन होगा। एक सहज समझ में, सैन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विचार स्वायत्त हथियार प्रणालियों की धारणा या 'हत्यारे रोबोट' की याद दिलाता है, ऐसी मशीनें जो कि स्वतंत्र रूप से इंसानों को लक्षित कर मार सकती हैं। युद्धक्षेत्रों में ऐसी प्रणालियों की संभावित उपस्थिति पर इन हथियार प्रणालियों के उपयोग करने की वैधता और नैतिकता पर एक स्वागत योग्य अंतरराष्ट्रीय बहस छिड़ी हुई है।

स्वायत्त हथियारों के आसपास व्याप्त विवादों के संदर्भ में हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि एआई का दुनिया भर की सेनाओं के लिए कई गैर-घातक उपयोग हैं, विशेषकर भारतीय सेना के लिए। ये पूरी तरह से स्वायत्त हथियारों के लिए एआई के उपयोग के रूप में विवादास्पद नहीं हैं और वास्तव में, इस समय यह स्पष्ट प्रामाणिक लाभ के साथ कहीं अधिक व्यावहारिक हैं।

भारतीय सेना के लिए विशेष रूप से, एआई के इन संभावित उपयोगों को अपनी तकनीकी क्षमताओं को शीघ्रता से और प्रभावी ढंग से बढ़ाने के लिए उपयोग में लाकर बेहतर बनाया जा सकता है। देखा जाए तो, ऐसे तीन क्षेत्र हैं जहां एआई को बिना किसी विवाद या प्रयास के आसानी से तैनात किया जा सकता है।

सबसे पहला, रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए। असैनिक क्षेत्र में रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए एआई की तैनाती में पहले से ही पर्याप्त काम किया गया है, साथ ही कई भारतीय कंपनियों ने भी इस क्षेत्र में काफी विशेषज्ञता हासिल कर ली है।

इसलिए, सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से मौजूद तकनीकी, ज्ञान और विशेषज्ञता को स्थानांतरित करने के लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक कुशल लॉजिस्टिक्स प्रणाली किसी भी अच्छी तरह से कामकाजी सैन्य में निहित होती है और यह विशेष रूप से भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए जटिल है जिसमें विभिन्न वातावरण और स्थितियां शामिल हैं, जहाँ वे काम करते हैं। एआई- समर्थित सिस्टम क्षमता में वृद्धि करने, अपव्यय को कम करने और सेना के रसद प्रबंधन में समग्र लागत को कम करने में सहायक साबित होगी।

दूसरा, साइबर आपरेशन। जैसा कि साइबर युद्ध तेजी से और अधिक परिष्कृत और अधिक खतरनाक हो गया है, सैन्य और गैर-रक्षात्मक साइबर युद्ध क्षमताओं दोनों को विकसित करने के लिए आवश्यक हो जाता है ताकि सैन्य की अपनी संपत्ति और संचार लिंक की रक्षा की जा सके और विरोधी सैन्य शक्तियों की समान संपत्ति पर हमला भी किया जा सके। विशेष रूप से प्रशिक्षित एआई सिस्टम वास्तव में इस तरह के कार्यों के लिए मनुष्य की तुलना में अधिक कुशल और प्रभावी साबित हो सकता है। साइबर आपरेशन डोमेन विकसित करने में आवश्यक प्रतिक्रियाओं के पैमाने और गति से यह संभावना नहीं है कि मनुष्य स्वयं के द्वारा एक प्रभावी तरीके से विकसित खतरों से निपटने में सक्षम होंगे। साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों का मानना है कि एआई साइबर आपरेशन का भविष्य है, मशीन-ऑन-मशीन रिलेशन मानदंड तेजी से बढ़ रहा है, विशेष रूप से नियमित खतरों का मुकाबला करने के लिए।

तीसरा, बुद्धिमत्ता, निगरानी और पूर्व-परीक्षण (आईएसआर)। यह पहले से ही अमेरिका और संभवत: चीन सहित विभिन्न देशों द्वारा अभ्यास में डाल दिया गया है। आईएसआर कार्यों के लिए एआई का उपयोग करना दो अलग-अलग रूप का निर्माण करती हैं।

पहला, मानव रहित वाहनों और प्रणालियों में एआई का प्रयोग, हवा, भूमि या पानी के नीचे कहीं भी। इसमें तेजी से सर्वव्यापी ड्रोन शामिल हैं और साथ ही मानव रहित जहाजों और पनडुब्बियों और जमीन पर चलने वाले वाहन भी शामिल हैं।

ऐसे 'बुद्धिमान' मानव रहित तंत्र का उपयोग कठोर इलाकों और मौसम स्थितियों में गश्त करने के लिए किया जा सकता है जिससे बंदरगाह को सुरक्षा प्रदान किया जा सकेगा और मानव सैनिकों के लिए कोई खतरा भी नहीं होगा। दूसरा उपयोग डेटा विश्लेषण और व्याख्या के लिए है। उदाहरण के लिए, एक एआई सिस्टम, एक निगरानी ड्रोन के वीडियो फुटेज से पूर्वनिश्चित संदिग्ध व्यवहार को लेने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है और इस प्रकार संभावित लक्ष्य की पहचान की जा सकती है। वर्तमान में इनमें से कई अधिक काम मनुष्यों द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें काफी समय लग जाता है।

वहीं एआई ऐसे कार्यों को कुछ घंटों में कर सकती है और एक अधिक कुशल तरीके से कर सकती है। देखा जाये तो, इस सन्दर्भ में यू.एस. ने प्रोजेक्ट मैवेन नामक एक प्रयोगात्मक तंत्र को विकसित और तैनात किया है, जो इस्लामिक स्टेट (आईएस) के खिलाफ यूएस लड़ाई में संभावित खतरों की पहचान करने के लिए ड्रोन से वीडियो फुटेज का विश्लेषण करता है।

भारतीय सेना के कामकाज में इन एआई प्रणालियों का समावेश इसकी तकनीकी क्षमताओं में सुधार करते हुए संभवत: लागत में दीर्घकालिक कमी को बढ़ा सकता है। हालांकि, अपनी क्षमता का पूरी तरह से फायदा उठाने के लिए, भारतीय सेना को भारत में जीवंत निजी प्रौद्योगिकी क्षेत्र के साथ करीबी संबंध बनाने की जरूरत है।

यह अनिवार्य रूप से निजी कंपनियों को संभावित संवेदनशील डेटा को सौंपने के लिए अनिवार्य रूप से शामिल होगा ताकि भारतीय सशस्त्र बलों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एआई सिस्टम के निर्माण को सक्षम किया जा सके। यह भारत में पूरी तरह से अज्ञात क्षेत्र है, और निजी हाथों में संवेदनशील डेटा के साथ उत्पन्न होने वाली वैध चिंताओं को शांत करने के लिए, एक अनूठा कानूनी 'विश्वास मॉडल' बनाने की जरूरत है जो कि सैन्य और तकनीकी नवाचार की जरूरतों को पूरा करेगा।

हालांकि ऐसे मॉडल का विकास वास्तव में, एआई टेक्नोलॉजी के सरल एकीकरण की तुलना में मुश्किल काम साबित हो सकता है, इसलिए अगर भारतीय सेना 21 वीं सदी में युद्ध के लिए खुद को तैयार करना चाहती है तो इसे किया जाना चाहिए।

GS World टीम...

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी (कृत्रिम) तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता।

इसके जरिये कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी के अनुसार यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और अभियांत्रिकी है अर्थात यह मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है।

यह इसके बारे में अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता।

पृष्ठभूमि

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आरंभ 1950 के दशक में ही हो गया था, लेकिन इसकी महत्ता को 1970 के दशक में पहचान मिली। जापान ने सबसे पहले इस ओर पहल की और 1981 में फिफ्थ जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की थी। इसमें सुपर-कंप्यूटर के विकास के लिये 10-वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी।

इसके बाद अन्य देशों ने भी इस ओर ध्यान दिया। ब्रिटेन ने इसके लिये 'एल्वी' नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया। यूरोपीय संघ के देशों ने भी 'एस्प्रिट' नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके बाद 1983 में कुछ निजी संस्थाओं ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाली उन्नत तकनीकों, जैसे-Very Large Scale Integrated सर्किट का विकास करने के लिये एक संघ 'माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी' की स्थापना की।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 के बजट में यह उल्लेख किया था कि केंद्र सरकार का थिंकटैंक नीति आयोग जल्दी ही राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम (NAIP) की रूपरेखा तैयार करेगा। इसके पहले चीन ने अपने त्रिस्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम की रूपरेखा जारी की थी, जिसके बल पर वह वर्ष 2030 तक इस क्षेत्र में विश्व का अगुआ बनने की सोच रहा है।

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाएँ

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में शैशवावस्था में है और देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें इसे लेकर प्रयोग किये जा सकते हैं। देश के विकास में इसकी संभावनाओं को देखते हुए उद्योग जगत ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह उन क्षेत्रों की पहचान करे जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल लाभकारी हो सकता है।

सरकार भी चाहती है कि सुशासन के लिहाज से देश में जहां संभव हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाए। सरकार ने उद्योग जगत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के लिये एक मॉडल बनाने में सहयोग करने की अपील की है। उद्योग जगत ने सरकार से इसके लिये कुछ बिंदुओं पर फोकस करने को कहा है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिये देश में एक अथॉरिटी बने जो इसके नियम-कायदे तय करे और पूरे क्षेत्र की निगरानी करे।

सरकार उन क्षेत्रों की पहचान करे जहाँ प्राथमिकता के आधार पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, कृषि आदि इसके लिये उपयुक्त क्षेत्र हो सकते हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख अनुप्रयोग

- कंप्यूटर गेम
- प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण
- प्रवीण प्रणाली
- दृष्टि प्रणाली
- वाक् पहचान
- बुद्धिमान रोबोट
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार
- पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक
- सीमित स्मृति
- मस्तिष्क सिद्धांत
- आत्म-चेतन

संभावित प्रश्न

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विगत कई दशकों से चर्चा के केंद्र में रहा एक ज्वलंत विषय है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) से क्या अभिप्राय है? इसे स्पष्ट करते हुए भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसके प्रभावों की चर्चा करें। (250 शब्द)

Artificial Intelligence has been a vivid topic in the center of the discussion for several decades. What do you mean by Artificial Intelligence? Explaining this, discuss its impact in the Indian perspective. (250 Words)

GS World Committed to Excellence

यह दक्षिण एशिया का पुनर्मिलन करने का समय है: भारत-चीन-पाकिस्तान सहयोग पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

06 मार्च, 2018

''द हिन्दू''

लेखक - सुधींद्र कुलकर्णी (अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत थी)

कुछ महीने पहले, प्रतिष्ठित लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज (एलयूयूआईएस) के पूर्व डीन अंजुम अल्ताफ ने, डॉन अखबार में एक लेख लिखा, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने के लिए कहा गया था। उन्होंने अपने लेख में एक उदाहरण भी पेश किया कि कैसे पाकिस्तान में 'अंधे राष्ट्रवाद' की वजह से यह असंभव सा बन गया है।

इस सन्दर्भ में उन्होंने आगे लिखा था कि जब लाहौर में टमाटर 300 रुपये प्रति किलोग्राम बेचे जा रहे थे, तब उस वक्त भारत के अमृतसर में 40 रुपये प्रति किलो मिल रहे थे जो पाकिस्तान से केवल 30 मील दूर है। लेकिन हमारे कई प्रभावशाली लोगों में व्याप्त एक अंतहीन भारत-भय, कम कीमत की आपूर्ति से लाभ प्रदान करने वाले उपभोक्ताओं के रास्ते में खड़ा था। ष्कई पाकिस्तानी राजनेता भारत को पूरी तरह से दुश्मन देश मानते हैं और उससे कुछ भी आयात करना नहीं चाहते हैं।

इस तरह की अंध राष्ट्रवाद का किसी भी तरह से पाकिस्तान के एकाधिकार से कोई मतलब नहीं है। जो लोग भारत-पाकिस्तान संबंधों पर बहस करते हुए भारतीय टीवी चैनलों को देखते हैं, वे नियमित रूप से इसी तरह के पाक-भय को सुनते हैं। जिसके परिणामस्वरुप: पड़ोसी होने के बावजूद, भारत और पाकिस्तान दुनिया के सबसे कम एकीकृत राष्ट्रों में से एक हैं। उनके अंतहीन आपसी शत्रुता के कारण, दक्षिण एशिया भी दुनिया का सबसे कम एकीकृत क्षेत्र बन गया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) अपना अस्तित्व खोता दिख रहा है। दुर्भाग्य से, दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोगों की संख्या में भी शामिल है।

कितने करीब, अभी तक

कुछ अन्य ऐसे उदाहरण हैं जो दर्शाते है कि कैसे 1947 से पहले हमारे दोनों देश, जो एक एकल सहज-सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक इकाई का हिस्सा थे, जो अब पूरी तरह से अलग हो गए हैं। उनकी राजधानियों के बीच कोई सीधी उड़ान नहीं है - नई दिल्ली और इस्लामाबाद, दिल्ली-लाहौर और मुंबई-कराची उड़ानों की आवृत्ति कम हो गई है। वर्ष 1965 के युद्ध के बाद मुंबई-करॉंची नौका सेवा (दो बंदरगाह शहर, जो एक प्रांत का हिस्सा थे, जो मुंबई और दिल्ली या करॉंची और इस्लामाबाद की तुलना में एक दूसरे के ज्यादा करीब हैं) बंद कर दिया गया था।

सूचना क्रांति के इस युग में, भारतीय और पाकिस्तानी नागरिकों (विवाहित परिवारों के करीबी रिश्तेदारों के बीच कॉल सहित) के बीच फोन कॉल की संख्या नगण्य है, अधिकतर उनके संबंधित सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पूछताछ के डर से फोन करना पसंद नहीं करते हैं। सालाना 3 अरब डॉलर से भी कम में, भारत के बढ़ते वैश्विक वाणिज्य के केवल 0.4% के लिए पाकिस्तान के साथ व्यापार है।

जो लोग इस यथास्थिति के साथ खुश हैं, वे अपनी प्रतिक्रियाएं खुद निर्धारित करते हैं। भारतीय पक्ष द्वारा, यह कहा जाएगा कि आतंक और व्यापार एक साथ नहीं किये जा सकते। नरेन्द्र मोदी सरकार ने इस सन्दर्भ में काफी ऊँचा स्तर स्थापित किया है और साफ-साफ कहा है कि आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं हो सकतीं। पाकिस्तानी पक्ष, कश्मीर मुद्दे का समाधान किसी भी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक शर्त सा बन गया है।

लेकिन यहाँ प्रश्न यह है कि क्या इस तरह से दोनों में से कोई भी देश लाभान्वित हो सकता है? इसका जवाब स्पष्ट है, केवल उन अभिमानी अति राष्ट्रवादियों को छोड़कर, जो सोचते हैं कि भारत अब उच्च वैश्विक मेज पर स्थित है और इसलिए उसे पाकिस्तान की परवाह नहीं है और उन संकुचित दिमाग वाले पाकिस्तानी देशभक्तों की जिन्हें लगता है कि उन्हें भारत की परवाह नहीं करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब उनके पास दो संरक्षक हैं, चीन और मुस्लिम उम्मा।

चीन, निश्चित तौर पर नीति निर्माताओं और आम लोगों के बीच, पाकिस्तान के प्रति भारत के नकारात्मक दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाला एक नया कारक बन गया है। पिछले साल हमारे सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की एक बड़ी टिप्पणी थी कि भारत, पाकिस्तान और चीन के साथ एक साथ युद्ध के लिए तैयार हो रहा है ('आधे मोर्चा' जहाँ कश्मीर में हमारे अपने विद्रोही लोग मौजूद है), जो इस धारणा को मजबूत करता है कि हमारे दो बड़े पड़ोसी भारत के प्रति कभी भी अनुकूल नहीं हो सकते हैं। यदि भारत की विदेशी और रक्षा नीतियां इस विश्वास पर आगे बढ़ती हैं, तो दक्षिण एशिया निश्चित रूप से तेज शत्रुता और संघर्ष के भविष्य

की ओर बढ़ रहा है। हथियारों के निर्माताओं और दूर अस्थिरियों को आम भारतीयों और पाकिस्तानियों की लागत से लाभ होगा, जिन्हें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और खाद्य-और-पर्यावरण सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इन जरूरतों को केवल क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, न कि क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता के साथ।

चीन, समाधान का हिस्सा

दूसरे शब्दों में, क्या भारत-पाकिस्तान की समस्या को एक दर्शक के रूप में मजा उठाने के बजाए चीन समाधान का एक हिस्सा बन सकता है? एक तीन-तरफा भारत-चीन-पाकिस्तान सहयोग केवल आवश्यक ही नहीं है, बल्कि संभवत: संभव भी है और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) ऐसे साझेदारी के लिए एक व्यावहारिक ढांचा प्रदान करता हैं। दुर्भाग्य से, श्री मोदी ने बीआरआई पर अपने सलाहकारों से खुद को गुमराह किया है। बीआरआई का सरकार द्वारा विरोध अन्य बातों के अलावा, अल्पविकसित तर्क पर आधारित मालूम पड़ता है जिनका मानना है कि बीआरआई के तहत एक प्रमुख परियोजना चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपीईसी) भारत की सार्वभौमिकता का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह पाकिस्तान-कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के माध्यम से गुजरती है।

न सिर्फ यह तर्क कमजोर है, बल्कि यह भारत के दीर्घकालीन विकास और सुरक्षा हितों को भी कम करता है। जिसका सबसे पहला कारण यह है कि सीपीईसी पाकिस्तान की संप्रभु क्षेत्र होने के लिए पीओके को शामिल नहीं करता है। 1963 में हुए चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते के अनुच्छेद VI में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 'पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर विवाद के निपटारे के बाद संबंधित चीन सरकार पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सरकार के साथ वार्ता फिर से शुरू करेगी....' दूसरा, इसकी बहुत कम संभावना है कि भारत को कभी पीओके मिल पायेगा या पाकिस्तान कभी भी कश्मीर वाले मुद्दे में भारतीय पक्ष को युद्ध या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त कर पायेगा। इसलिए, कश्मीर विवाद के किसी भी भावी भारत-पाकिस्तान समझौते के लिए कनेक्टिविटी, सहयोग और आर्थिक एकीकरण ही एकमात्र यथार्थवादी आधार हैं।

तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, चीन और पाकिस्तान दोनों ने कहा है कि वे सीपीईसी में शामिल होने के लिए भारत का स्वागत करेंगे। चीन ने भारत की चिंताओं को संबोधित करते हुए सीपीईसी का नाम बदलने और परियोजना के विस्तारित क्षेत्रीय क्षेत्र को प्रतिबिंबित करने के लिए अपनी तत्परता दिखाई है। पहले से ही ईरान, अफगानिस्तान और कई केंद्रीय एशियाई गणराज्यों ने इस महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजना में शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त की है। क्या यह भारत की मदद करेगा या नुकसान पहुँचायेगा। यदि वह इस बदले नाम वाले परियोजना में समान भागीदार के रूप में शामिल होता है? क्या इस परियोजना से लाहौर और अमृतसर (दिल्ली और शेष भारत भी), कश्मीर के दोनों पक्षों (जो सभी कश्मीर आधारित राजनीतिक दलों की इच्छा है), गुजरात और राजस्थान के साथ सिंध और दक्षिणी पंजाब और मुंबई के साथ कराँची को नहीं जोड़ेगी?

अनिवार्यता महत्वपूर्ण है

भारत के लिए कम लाभकारी लाभ यह है कि सीपीईसी के बदले हुए नाम में शामिल होने से, यह पाकिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान, ईरान, मध्य एशिया और पश्चिमी चीन तक पहुंच हासिल कर सकेगा। और अगर हमारे नेता इस सन्दर्भ में बेहतर दृष्टिकोण, महत्वाकांक्षा और संकल्प को दिखाते हैं, तो सीपीईसी-प्लस-भारत को बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार कॉरिडोर से भी जोड़ा जा सकता है और इस प्रकार पूरे दक्षिण एशिया के लिए कनेक्टिविटी और एकीकरण का एक बड़ी श्रृंखला का निर्माण हो जायेगा। अगर वर्ष 1947 हमारे उपमहाद्वीप को विभाजित करता है तो यहां भारत के लिए एक मौका है कि वो पाकिस्तान और क्षेत्र के अन्य सभी देशों के साथ एक साझा प्रगति और समृद्धि का निर्माण करें।

अफसोस की बात है, कुछ गुमराह करने वाले सलाहकारों ने बीआरआई और सीपीईसी पर श्री मोदी को अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के 'चतुर्भुज' द्वारा वैकल्पिक कनेक्टिविटी परियोजना का सपना बेच दिया है। जिसे अब बंद करने की भी संभावना नहीं है। यहां तक कि अगर ऐसा होता भी है, तो भारत को इसके विकास के लाभ सीमित मिल पाएंगे, क्योंकि इसमें चीन और पाकिस्तान को बाहर रखा गया है। हमें यह भी बताया गया है कि भारत को सीपीईई की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह चाबहार बंदरगाह के निर्माण में ईरान से पहले ही भागीदारी कर चुका है। चबाहार की वजह से भारत का लाभ मामूली हो गया है। हांलाकि, दो अन्य मेगा परियोजनाओं की सफलता के लिए अपरिहार्य है जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और त्वरित आर्थिक वृद्धि - तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (टीएपीआई) और ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइनों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

यहां दक्षिण एशिया के लिए एक और बड़ा संभावित लाभ है। प्रस्तावित कनेक्टिविटी पहल, जो क्षेत्रीय सहयोग और अन्योन्याश्रितता के नए संबंध का निर्माण करेगा, इस क्षेत्र में तीन लंबे भू-राजनीतिक समस्याओं को हल करने में भी मदद कर सकता है, जिसमें अनगिनत लोग मारे जा चुके हैं, अर्थात आतंकवाद, कश्मीर और अफगानिस्तान।

एक पुनरुत्थान दक्षिण एशिया के इस दृष्टिकोण का एहसास करने के लिए, दो बाधाओं, अर्थात अंधे राष्ट्रवाद और अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्तियों को अनदेखा करने के रवैये को दूर करना होगा। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था: दक्षिण एशिया और चीन के लोग, एकजुट हों! आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है; लेकिन आपके पास जीतने के लिए एक उज्ज्वल भविष्य है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC)

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की स्थापना 7-8 दिसंबर, 1985 को ढाका में प्रथम सार्क सम्मेलन में की गई थी। इस संगठन की पहल ऐसे देशों को औपचारिक रूप से एक साथ लाने के लिये की गई थी, जो पहले से ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तौर पर आपस में जुड़े हुए थे।

जब सार्क की स्थापना हुई थी, उस समय इस संगठन में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान शामिल थे। बाद में वर्ष 2007 में संगठन के आठवें सदस्य के तौर पर अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया गया था।

इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य यह था कि तेजी से बढ़ती आपसी संबंधों पर निर्भर दुनिया में शांति, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य आपसी समझ-बूझ, पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध और सार्थक सहयोग से ही प्राप्त किये जा सकते हैं। गरीबी उन्मूलन, आर्थिक और सामाजिक विकास तथा ज़्यादा से ज़्यादा जनसंपर्क इस संगठन के मुख्य उद्देश्य हैं।

संरचना

सार्क के संगठनात्मक ढांचे में शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन, मंत्रिपरिषद, विदेश सचिवों की स्थायी समिति, कार्यकारी समिति, तकनीकी समितियां और सचिवालय सम्मिलित हैं।

राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य देश सम्मिलित होते हैं तथा यह सार्क का सर्वोच्च निर्णयकारी अंग है। सामान्यतया वर्ष में एक बार इस शिखर सम्मेलन का आयोजन होता है। मंत्रिपरिषद सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बनी होती है। इसके कार्य हैं- नीतियों का निर्धारण, इन नीतियों की प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नये क्षेत्र तथा उनके लिये आवश्यक प्रक्रियाओं की पहचान करना।

मंत्रिपरिषद की वर्ष में कम-से-कम दो बैठकें आवश्यक रूप से होती हैं, यद्यपि आवश्यकता पड़ने पर इसकी दो से अधिक बैठकें हो सकती हैं। मंत्रिपरिषद की सहायता देने के लिये कार्यकारी समिति, विदेश मंत्रियों की स्थायी समिति और 11 तकनीकी समितियों की व्यवस्था है।

क्यों भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है सार्क?

भारत इस संगठन का ऐसा एकमात्र सदस्य है, जिसकी चार देशों के साथ साझी जमीनी सीमा है और दो देशों के साथ साझी समुद्री सीमा है। पाकिस्तान-अफगानिस्तान को छोड़ दें तो सार्क के किसी अन्य देश की किसी दूसरे देश के साथ साझी सीमा नहीं है। व्यापार, वाणिज्य, निवेश आदि के संदर्भ में भारत, संभावित निवेश और तकनीक का स्रोत होने के साथ-साथ अन्य सभी सार्क सदस्यों के उत्पादों के लिये एक प्रमुख बाजार भी है।

तापी (TAPI) गैस परियोजना

तापी (TAPI) गैस परियोजना तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पकिस्तान तथा भारत के मध्य प्रस्तावित है। एशियाई विकास बैंक (ADB) के द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता के माध्यम से इसका निर्माण किया जा रहा है। इसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि प्रतिवर्ष 3.2 अरब घन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस की आपूर्ति चारों देशों में की जा सके। इसका विस्तार तुर्कमेनिस्तान के गलकीनाइश तेल क्षेत्र से प्रारंभ होकर अफगानिस्तान के हेरात व कंधार तथा पाकिस्तान के क्वेटा व मुल्तान से होकर फाजिल्का तक होगा। भारत में पंजाब की सीमा तक इसकी लंबाई लगभग 1700 किलोमीटर की होगी।

महत्त्व

- भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देशों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में इस पाइपलाइन की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी।
- इस पाइपलाइन द्वारा भारत के बिजली संयंत्रों को गैस की आपूर्ति की जाएगी।
- यह परियोजना ऊर्जा समस्या से जूझ रहे दक्षिण एशिया के लिये भी पथ-प्रदर्शक साबित होगी।
- यह योजना न सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा के आधुनिक ढाँचे का एक हिस्सा है, अपितु भविष्य में एशियाई क्षेत्र में आर्थिक एवं सामाजिक स्थिरता का वाहक भी होगी।
- तापी परियोजना मध्य एशिया में चीन के प्रभाव को भी संतुलित करेगी और भविष्य में रेल तथा सड़क कनेक्टीविटी को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। परियोजना में शामिल देशों के मध्य आर्थिक, सामरिक एवं अन्य मुद्दों पर भी सहयोग की संभावनाएं भी बढेंगी।

चुनौतियाँ

आतंकवादी गतिविधियाँ इस परियोजना के निर्माण तथा सफल क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा है।

यह योजना भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान संबंधों के आपसी संबंधों में यदा-कदा तनाव उत्पन्न होने से भी प्रभावित होगी। अत: योजना की सफलता के लिये चारों देशों में बेहतर समन्वय की आवश्यकता होगी।

उल्लेखनीय है कि तापी परियोजना का सफल क्रियान्वयन इस क्षेत्र में शांति, विकास और यह स्थायित्व के लिये एक ऐतिहासिक घटना साबित होगी।

संभावित प्रश्न

भारत के लिए एक रूपांतरित सीपीईसी से जुड़ना एक अच्छी शुरूआत हो सकती है जिससे भारत-चीन-पाकिस्तान सहयोग पूरे उपमहाद्वीप को बदल सकता है। इस कथन के सन्दर्भ में भारत के सीपीईसी में शामिल होने की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

Connecting with a revised CPEC for India can be a good starting point, so that India-China-Pakistan cooperation can change the entire subcontinent. In the context of this statement, discuss the relevance of joining India's CPEC. (250 Words)

एक सुधारात्मक पहल

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

07 मार्च, 2018

*''हाल ही में दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में हिंसक भीड़ पर काबू पाने के लिए सेना की गढ़वाल यूनिट को फायरिंग करनी पड़ी थी। इसमें दो नागरिकों की मौत हो गई थी। जिसके बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सेना की गढ़वाल राइफल यूनिट और मेजर आदित्य के खिलाफ धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली थी।'' इस संदर्भ में अंग्रेजी समाचार-पत्र ''इंडियन एक्सप्रेस' एवं ''पायनियर'' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे "**GS World**" टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।*

''इंडियन एक्सप्रेस''
(ऐट स्टेक इन शोपियां)

27 जनवरी को शोपियां में सेना की गोलीबारी में तीन नागरिकों की हत्या कश्मीर में अपनी तरह की पहली घटना नहीं थी, जिसमें राज्य पुलिस ने सेना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। 2001 से 2016 तक, जम्मू और कश्मीर सरकार ने विभिन्न मामलों में सैनिकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए रक्षा मंत्रालय को 50 अनुरोध भेजे हैं - हिरासत में मौत, नागरिकों की हत्या, लापता होने, बलात्कार और छेड़छाड़।

सरकार ने इस वर्ष के शुरू में राज्यसभा को बताया कि रक्षा मंत्रालय ने 47 मामलों में मंजूरी देने से इंकार कर दिया है और अन्य तीन निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कश्मीर में, एफआईआर दर्ज करना सामान्य है और हर एफआईआर ऐसे ही खत्म हो जाता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि सेना और अर्धसैनिक बल सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) के प्रतिरक्षा प्रावधानों द्वारा संरक्षित हैं। बलात्कार के मामलों में भी यह संरक्षण लागू किया गया है। एक दुर्लभ मामले या किसी एक मामले एक या दो मामले में, सेना ने गुमराह सैनिकों के खिलाफ कोर्ट-मार्शल की कार्यवाही की है।

अब सर्वोच्च न्यायालय, अधिकारी के पिता द्वारा की गई याचिका पर कार्य कर रहा है, जहाँ उसने 24 अप्रैल को अंतिम आदेश तक जांच पर रोक लगाई गई है। इस समाचार पत्र के एक रिपोर्ट के अनुसार, जांच में सहयोग करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर पुलिस द्वारा सेना के हर अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया जाता है। कश्मीर में, यह एक खुला रहस्य है कि सैनिकों पर कभी मुकदमा नहीं किया जाएगा।

लेकिन अलगाव की एक सामान्य स्थिति में, एफआईआर और एक संदिग्ध नागरिक की मौत के लिए एक सैनिक के खिलाफ जांच में कुछ नहीं, तो कम से कम उचित प्रक्रिया का निश्चितरूप से पालन किया जाना चाहिए। कश्मीर में मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती ने ठीक ही कहा था कि शांति और न्याय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

इससे पहले भी इससे मिलती जुलती घटना हुई थी, जब अप्रैल 2017 में सेना प्रमुख ने एक नागरिक को वाहन से बांध कर और उसे एक मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया था। जम्मू और कश्मीर सत्तारूढ़ गठबंधन के एक सहयोगी बीजेपी ने एफआईआर के पंजीकरण के लिए विपक्ष का विरोध किया, जिसने कश्मीर में सेना की भूमिका को प्रोजेक्ट करने की इच्छा का एक संकेत दिया था।

दुर्भाग्य से, इस याचिका ने देश में सर्वोच्च न्यायालय, उचित प्रक्रिया का सवाल और निर्बाध क्षेत्र में तैनात सैनिकों की जवाबदेही को भी ध्यान में लाया है। इस अफस्पा पर बहस करते हुए इस कानून में संशोधन करने की मांग करते हैं। जुलाई, 2016 में एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने एएफएसपीए की आलोचना करते हुए कहा था कि यह 'नागरिक प्रशासन और सशस्त्र बलों की विफलता का प्रतीक' है।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले को किसी भी निहितार्थ के रूप में देखा जा सकता है, अर्थात इसे न केवल कश्मीर में, बल्कि पूर्वोत्तर में, विशेष रूप से मणिपुर में, जहां नागरिकों के खिलाफ सैन्य दण्ड असंतोष का कारण बना हुआ है।

''पायनियर''
(शीर्ष पर सेना)

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्मी ऑफिसर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर होने वाले कार्यवाही को रोकना राष्ट्रीय सुरक्षा की जीत है।

यह एक संयोग हो सकता था, लेकिन यह एक बहुत ही उपयुक्त है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ हत्या के आरोप में आगे की जांच रोक दी, क्योंकि वह एक भारतीय सेना के टुकड़ी के कमांडिंग ऑफिसर थे, जिन्होंने शोपियां जिले के गणोवपुरा गांव में पथराव कर रही भीड़ पर फायरिंग का आदेश दिया जिससे तीन स्थानीय निवासियों की मौत हो गयी।

सुरक्षा बलों ने सोमवार को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी मुफ्ती वकास को दक्षिण कश्मीर के अवंतीपुरा में मुठभेड़ में मार गिराया। उसे पिछले महीने हुए सुंजावन आतंकी हमले का षड्यंत्रकारी बताया गया है। सेना के अनुसार एक विशेष सूचना के आधार पर उसकी एक छोटी टीम ने विशेष अभियान समूह के साथ मिलकर अवंतीपुरा में हटवार इलाके को घेर लिया और एक घर पर सर्जिकल हमला किया।

जम्मू -कश्मीर पुलिस ने सेना की गढ़वाल राइफल यूनिट और मेजर आदित्य के खिलाफ धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली थी। मेजर के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल करमवीर सिंह ने एफआईआर रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। कोर्ट का यह फैसला इसी याचिका पर आया है।]

नए साल में एक सीआरपीएफ टीम के एक जेहादी हमले की वजह से पांच अर्धसैनिक बलों ने अपना जीवन गंवा दिया था। भारतीय सेना, जो पिछले दो दशकों से अपने आरक्षण के बावजूद राष्ट्रीय हित में आंतरिक सुरक्षा की भूमिका निभाती है, 2015 से जम्मू और कश्मीर में स्पष्ट रूप से बढ़ती जा रही है। और भारतीय कानून प्रणाली के साथ, अपने उच्चतम स्तर पर, अब एक स्पष्ट संकेत भेजते हुए कि सेना कर्मियों को 'सामान्य अपराधियों' के रूप में नहीं माना जा सकता (जैसा कि राज्य सरकार ने शोपियां फायरिंग केस में करने की मांग की है)।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई. चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने राज्य सरकार के इस वक्तव्य को रिकार्ड पर लेते हुए कहा कि इस मामले में 24 अप्रैल तक कोई जांच नहीं होनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने 12 फरवरी को जम्मू कश्मीर पुलिस को मेजर आदित्य कुमार सहित सैन्य अधिकारियों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया था।

मेजर आदित्य के बारे में शुरू में कहा गया था कि इस मामले में आरोपी के रूप में उनका नाम है। शोपियां जिले के गणोवपुरा गांव में पथराव कर रही भीड़ पर सेना की फायरिंग में तीन स्थानीय निवासी मारे गये थे। इसके बाद, मुख्यमंत्री ने इस घटना की जांच के आदेश दिए थे।

वास्तव में, रविवार की शाम को ही शोपियां में ही, जब सेना ने दो लश्कर-ए-तैयेबा आतंकवादियों और उनके चार संदिग्ध साथी को शूट-आउट में मार गिराया था, तब श्रीनगर में भारतीय सेना के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया था कि ये सभी चार साथी आतंकवादी संगठन के ओवर ग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) थे।

चर्चा में क्यों?

अफ्सपा क्या है?

- AFSPA यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट एक फौजी कानून है, जिसे 'डिस्टर्ब' क्षेत्रों में लागू किया जाता है। यह कानून सुरक्षाबलों और सेना को कुछ विशेष अधिकार देता है, जो आमतौर पर सिविल कानूनों में वैध नहीं माने जाते। सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए AFSPA को अध्यादेश के जरिए 1942 में पारित किया था।
- भारत में संविधान की बहाली के बाद से ही पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ रहे अलगाववाद, हिंसा और विदेशी आक्रमणों से प्रतिरक्षा के लिए मणिपुर और असम में वर्ष 1958 में AFSPA लागू किया गया था। वर्ष 1972 में कुछ संशोधनों के साथ इसे लगभग सारे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में लागू कर दिया गया। अस्सी और नब्बे के दशकों में पंजाब और कश्मीर में भी राष्ट्रविरोधी तत्वों को नष्ट करने के लिए AFSPA के तहत सेना को विशेष अधिकार प्रदान किए गए।
- AFSPA की वैधता पर समय-समय पर मानवाधिकार संगठन, अलगाववादी और राजनीतिक दल सवाल उठाते रहे हैं। उनका तर्क है कि इस कानून से प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकारों का हनन होता है। इस कानून के सेक्शन 3, 4, 6 और सेक्शन 7 पर विवाद रहा है।
- सेक्शन 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार को ही किसी क्षेत्र को 'डिस्टर्बड' घोषित करने का अधिकार है। राज्य सरकारों की इसमें कोई खास भूमिका नहीं होती। वहीं सेक्शन 4 आर्मी को बिना वारंट के हिरासत में लेने, किसी भी वाहन की जांच का अधिकार और उग्रवादियों के ठिकानों का पता लगाकर नष्ट करने का अधिकार देता है।
- सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम का सेक्शन 6 फौज को संबंधित व्यक्ति की संपत्ति जब्त करने और गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। जबकि सेक्शन 7 के अनुसार इन मामलों में अभियोजन की अनुमति केवल केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति के बाद ही होती है।
- साल 2005 में जीवन रेड्डी कमेटी और वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्टों में सेना और सुरक्षाबलों पर काफी गंभीर आरोप लगाए थे। इसी आधार पर AFSPA पर रोक लगाये जाने की मांग की गई थी, जिससे रक्षा मंत्रालय और सेना ने असहमति जताते हुए सिरे से नकार दिया।
- यह एक्ट सुरक्षा बलों को सशक्त करता है। इसी वजह से नगालैंड, पंजाब और कश्मीर में शांति बहाली में काफी सफलता मिली है। माना जाता है कि अधिकतर आरोप अलगाववादियों की शह पर होते हैं और सिर्फ 3% मामलों में ही सेना पर लगाए गए आरोप सही पाए गए हैं।
- जम्मू-कश्मीर के नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी और वाम दलों सहित देश के कई राजनीतिक दलों ने AFSPA एक्ट में संशोधन की मांग की है। हालांकि इस पर केंद्र सरकारों की स्पष्ट राय रही है कि "आप सेना के हाथ बांधकर सुरक्षा की उम्मीद नहीं कर सकते।"
- जम्मू और कश्मीर से AFSPA हटाये जाने की मांग को लगभग सभी रक्षा विशेषज्ञ इस तर्क से खारिज करते रहे हैं कि कश्मीर के प्रति पाकिस्तान की नीति में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। पाकिस्तान अब भी पाक अधिकृत कश्मीर (POK) क्षेत्र का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए करता रहा है। वहीं कश्मीर में अलगाववादी बयारें अभी तक थमीं नहीं है। ऐसे में AFSPA पर रोक लगाना राष्ट्र की संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है।
- वर्ष 2000 में इम्फाल में कथित तौर पर असम राइफल्स के जवानों ने 10 लोगों पर गोली चला दी थी। जिसके विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मीला पिछले 15 सालों से आमरण अनशन कर रही हैं।
- मानवाधिकार समर्थक क्षेत्रीय जनता द्वारा सेना पर लगाए गए मर्डर, रेप और जबरन वसूली के आरोपों को सिविल कानूनों के दायरे में रखने की मांग करते रहे हैं। माना जाता है कि ऐसा कदम घातक होगा, क्योंकि इससे सेना पर झूठे आरोप गढे जाएंगे और सेना के मनोबल पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

बी.पी. जीवन रेड्डी समिति

- 2004 में असम राइफल्स की हिरासत में मणिपुर में थांगजम मनोरमा नाम की एक महिला की हत्या के बाद हुए आंदोलन के मद्देनजर तत्कालीन केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी.पी. जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, जिसने 2005 में दी गई अपनी अनुशंसा में इस कानून को 'दमन का प्रतीक' बताते हुए इसे निरस्त करने की सिफारिश की थी।
- बी.पी. जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति ने 6 जून 2005 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 147 पन्नों की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी, 'सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून, 1958 को निरस्त करना चाहिए। चाहे जिस भी कारण से हो, लेकिन यह कानून दमन का प्रतीक बन गया है।
- समिति ने कहा था, 'यह बेहद वांछनीय और उपयुक्त परामर्श देने योग्य है कि कानून को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए, लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए उस क्षेत्र (पूर्वोत्तर) की जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग चाहता है कि सेना वहां बनी रहे (हालांकि कानून हटा लिया जाना चाहिए)।'

* * *

संभावित प्रश्न

हाल ही में कश्मीर के शोपियां जिले में हुई हिंसक मुठभेड़ ने सेना को एक बार फिर से कठघरे में खड़ा कर दिया है जिसके बाद अफ्सपा कानून पर पुनर्विचार की मांग मुखर हो रही है। इस कथन के संदर्भ में अफ्सपा कानून की प्रासंगिकता पर टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द)

Recently, a violent encounter in the Shopian district of Kashmiri has once again put the army in the bar, after which the demand for reconsideration of AFSPA is getting assertive. Comment on the relevance of AFSPA in the context of this statement. (250 Words)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।।। (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) से संबंधित है।

08 मार्च, 2018

''इंडियन एक्सप्रेस''

लेखक - डीएस हुड्डा (सेवानिवृत्त, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ,भारतीय सेना)

साइबर युद्ध एक बढ़ती हुई बड़ी समस्या है जहाँ एक तरफ चीन जैसे देश इस सन्दर्भ में अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं, वहीं भारत इस सन्दर्भ में पीछे दिख रहा है। भारत को हर मौके के लिए तैयार रहना होगा, विशेष रूप से अपने सैन्य शक्ति के साथ।

अक्टूबर 2014 में, अमेरिकी रक्षा विभाग ने डिफेंस साइंस बोर्ड के तहत एक टॉस्क फोर्स का गठन किया था, ताकि 'साइबर हमले के प्रभावी प्रतिरोध की आवश्यकताओं पर विचार किया जा सके।' फरवरी, 2107 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, 'दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता यह है कि अगले दशक में, हमारे सबसे समर्थ शत्रुओं की आक्रामक साइबर क्षमता संयुक्त राज्य अमेरिका की क्षमता से कहीं ज्यादा बढ़ने की संभावना है।'

एक ऐसा देश, जो आज साइबर युद्ध के सभी पहलुओं से निपटने के लिए बेहतर रूप से तैयार है, उसके द्वारा दिया गया यह बयान इस खतरे की गंभीरता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। जैसा कि 'डिजिटल इंडिया' को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसके साथ समस्याएं भी बढ़ रही है जिस पर अभी ध्यान दिया जाना चाहिए। 2017 के एक अध्ययन में पाया गया कि ऑनलाइन सुरक्षा उल्लंघनों में भारत चौथे स्थान पर है, जो वैश्विक खतरे के 5% से अधिक के लिए जिम्मेदार है।

साइबर खतरा कई तरह से हमलों को अंजाम दे सकती हैं, लेकिन दैनिक आधार पर लगभग जो दिखाई दे रहा है, वह साइबर अपराध, साइबर चोरी, साइबर जासूसी, साइबर घुसपैठ इत्यादि हैं। ये अपेक्षाकृत कम स्तर वाले खतरे हैं, लेकिन इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

ऐसा इसलिए क्योंकि हमने आधिकारिक रूप से सुना हैं कि कैसे राष्ट्रीय क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (एनसीआईआईपीसी) और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक की नियुक्ति जैसी पहल ने साइबर हमलों से निपटने की हमारी क्षमता में सुधार किया है। यह केवल हिमशैल का टिप है और हमें आत्मसंतुष्टता के झूठे अर्थों में दिलासा दे रहा है।

आपराधिक हैकर्स निश्चित रूप से डेटा के उल्लंघन और वित्तीय नुकसान का कारण बन सकते हैं और इसलिए उनका मुकाबला करना आवश्यक है, लेकिन ये वैसे हमले नहीं हैं जो किसी देश की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। भारत के लिए वास्तविक खतरे, विरोधात्मक राष्ट्र देशों से आने वाले लक्षित साइबर हमलों में निहित है।

चीन जैसे देशों ने अत्याधुनिक साइबर हमलों का समाधान करने के लिए काफी निवेश किया है। नटानज में ईरान के सेंट्रीफ्यूज सुविधा को नुकसान पहुंचाते हुए स्टक्सनेट (Stuñnet) की सफलता, इस तथ्य को दर्शाती है कि यह सीआईए, एनएसए और इजराइल यूनिट 8200 से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय अभियान था। अत्यधिक परिष्कृत मालवेयर ने अभूतपूर्व पांच शून्य दिन का इस्तेमाल किया और इसका परीक्षण सेंटीफ्यूज के एक डमी सेट पर किया गया जिसे इसी उद्देश्य के लिए किया गया था। देखा जाये तो, ऐसी क्षमता हैकर्स के समूह के साथ उपलब्ध नहीं है।

यदि तेजी से इसकी संभावना प्रकट होती है, तो साइबर युद्ध राष्ट्रों के शस्त्रागार का नियमित हिस्सा बनने जा रहा है और हमें इस बात की कल्पना करने की आवश्यकता है कि यह युद्ध किसकी जिम्मेदारी के तहत और कैसे लड़ा जाएगा।

साइबर खतरों का सामना करने के लिए किसी भी राष्ट्रीय रणनीति के तीन मुख्य घटक रक्षा, प्रतिरोध और शोषण हैं। महत्वपूर्ण साइबर ढांचे की रक्षा की जानी चाहिए और एनसीआईआईपीसी की स्थापना इस दिशा में एक अच्छा कदम है, लेकिन व्यक्तिगत मंत्रालयों और निजी कंपनियों को भी उल्लंघनों की ईमानदारी से रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रियाओं को लागू करना चाहिए। यह केवल तभी संभव है, जब एनसीआईआईपीसी इन नेटवर्कों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान कर सकता है। इस भागीदारी को पारदर्शी होना चाहिए और खुफिया संगठनों की सामान्य गोपनीयता में उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ प्रतिरोध और शोषण गंभीर रूप से महत्वपूर्ण हैं। साइबरस्पेस में प्रतिरोध बेहद जटिल मुद्दा है। परमाणु निवारण काम कर गया, क्योंकि विरोधियों की क्षमता और परमाणु विवाद की भयावह लागत पर स्पष्टता थी।

साइबर युद्ध स्पष्टता की अनुपस्थिति की विशेषता है। हम कभी भी दूसरे पक्ष की क्षमता (कोई मिसाइल नहीं गिने जा सकते हैं) के बारे में निश्चित नहीं हो सकते हैं और अगर हम साइबर काउंटरस्ट्राइक लॉन्च करते हैं तो सफलता की संभावना भी हो सकती है।

और अंत में, राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को हासिल करने के लिए साइबरस्पेस का बेहतर उपयोग। फिर से, साइबर परिचालन एक स्टैंडअलोन गतिविधि नहीं हो सकता है, लेकिन भूमि, समुद्र और वायु संचालन के साथ एकीकृत है और यह सूचना युद्ध का एक हिस्सा है। इसके लिए तैयारी भारतीय सेना के लिए खुफिया जानकारियों के साथ शुरू करना होगा, साथ ही लक्ष्य का मूल्यांकन करना और साइबर हमलों के लिए विशिष्ट उपकरण तैयार करना होगा।

इसकी संपूर्णता को देखते हुए, साइबर हमलों का सबसे गंभीर प्रकटीकरण तब होता है, जब एक बाहरी देश साइबरस्पेस का उपयोग करके भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देता है। अगर यह स्पष्ट है, तो तब तो ऐसे खतरे को एनटीआरओ जैसी खुफिया एजेंसी या डीआरडीओ जैसे एक शोध संगठन द्वारा मुकाबला नहीं किया जा सकता है। इससे निपटने की जिम्मेदारी प्रमुख एजेंसी रक्षा सेवाओं की होगी, जो भारत की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन चिंता की बात तो यह है कि यहाँ हम पूरी तरह से तैयार नहीं हैं।

भारत उन कुछ देशों में से एक है, जो अभी भी अपने सैन्य शक्ति को एक समर्पित साइबर प्रणाली प्रदान नहीं पाया है। डिफेंस साइबर एजेंसी की स्थापना की घोषणा की गई है, लेकिन अभी केवल आधा रास्ता ही तय किया गया है जो हमारी रणनीतिक योजना प्रक्रिया को भी दर्शाता है। इस एजेंसी को साइबर कमांड में अपग्रेड करते हुए जल्द ही लागू किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि साइबर एजेंसी को प्राधिकरण और जनादेश प्रदान किया जाये। यदि सीमित आदेशों और भूमिकाओं द्वारा इसे रोक दिया जाता है, जो अक्सर अंतर-एजेंसी प्रतिद्वंद्विता के कारण होता है, तो फिर भारत साइबरस्पेस में लड़ने और बचाव की पूरी क्षमता कभी नहीं प्राप्त नहीं कर पायेगा।

2012 में, अमेरिकी रक्षा सचिव लियोन ई पैनेटा ने चेतावनी दी थी कि देश 'साइबर-पर्ल हार्बर' की संभावनाओं का सामना कर रहा है। ये अभी भी स्पष्ट नहीं हैं कि भविष्य में कैसे और किस प्रकार के साइबर हमले होने वाले है और हम इसका समना कैसे करेंगे?

GS World टीम...

क्या है स्टक्सनेट?

स्टक्सनेट एक ऐसा वायरस (विंडोज वार्म) है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसे किसी बड़े आतंकवादी संगठन अथवा किसी देश की सरकार ने बनवाया है। स्टक्सनेट कोई एक साल पहले तैयार किया गया और पहले पहल जुलाई, 2010 में बेलारूस की इंटरनेट सिक्योरिटी कंपनी वाइरस-ब्लॉक-एडीए ने पकड़ा।

विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पहले इस तरह का खतरनाक वायरस कभी देखा नहीं गया। स्टक्सनेट के सामने अब तक जारी सारे के सारे वायरस बच्चों के खिलौनों की तरह हैं। इसे बनाने में 10 व्यक्ति-वर्ष (10 व्यक्ति लगातार काम करें तो एक वर्ष में बनेगा) की ताकत लगी है। साथ ही आला दर्जे के प्रशिक्षित प्रोग्रामरों और हैकरों और अंदर तक की जानकारी रखने वालों ने इसे मिलजुल कर बनाया है।

यह कंप्यूटर में पहले पहल यूएसबी से इंस्टॉल हो जाता है। कंप्यूटर में चाहे जैसी सुरक्षा हो, इसमें चार तरह की कंप्यूटर सुरक्षा खामियों के जरिए सेंध लगाने की ताकत रखता है - और फिर नेटवर्क के सहारे खुद ही फैलता है और पीटूपी प्रोटोकॉल (टॉरेंट की तरह) के जरिए स्वत: अपडेट भी होता रहता है।

विदेशी हाथ?

विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इसके पीछे किसी देश का हाथ है। उंगली इजराइल और अमेरिका की ओर उठ रही है क्योंकि प्रथम दृष्टि में ईरान का बुशेहर स्थित न्यूक्लियर पॉवर प्लांट का नाम आ रहा है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के इनसेट उपग्रह के जुलाई में फेल होने के पीछे भी स्टक्सनेट का हाथ हो सकता है, और जाहिर है, ऐसे में इस वायरस को तैयार करने में उंगली चीन की ओर भी उठ रही है।

यह कंप्यूटर में एक सुरक्षित ड्राइवर की तरह इंस्टाल होता है और अपने आप को छुपा लेता है। बाद में स्वयं को मिटा भी सकता है। इसके लिए इस वायरस ने रीयलटैक व जेमाइक्रन के सुरक्षा सर्टिफिकेटों को चोरी किया।

स्टक्सनेट क्या कर सकता है?

यदि आप एक सामान्य कंप्यूटर प्रयोक्ता हैं और आपके कंप्यूटर में स्टक्सनेट वायरस अपनी घुसपैठ बना लेता है तो भी आप निश्चिंत रहें कि यह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दरअसल, इसे डिजाइन ही इस विशिष्ट तरह से किया गया है कि यह कंप्यूटर को संक्रमित करने के बाद यह कंप्यूटर से जुड़े विशिष्ट कंपनी (सीमेंस) के प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोलरों को ढूंढ़ता है।

यदि उसे यह लॉजिक कंट्रोलर नहीं मिलता तो यह कुछ नहीं करता और आसपास के नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों में फैलने की कोशिश करता है। यदि उसे यह विशिष्ट प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोलर मिल जाता है तो उसके सॉफ्टवेयर (फर्मवेयर) को मिटाकर अपना स्वयं का वर्जन डाल देता है जिससे लॉजिक कंट्रोलर से जुड़े उपकरण सामान्य तरीके से काम करने के बजाए वायरस में दिए नए निर्देशों के अनुसार चलें।

एंटीवायरस कंपनियों तथा कंप्यूटर सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा किए गए लंबे परीक्षणों से अंतत: यह सिद्ध होता है कि स्टक्सनेट को ईरान के बुशेहर न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट में खराबी लाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे ईरान अणुबम के लिए आवश्यक ईंधन न बना सके, परंतु जैसा कि स्टक्सनेट ने कर दिखाया है, इसे या इस तरह के वायरसों को अन्य लक्ष्यों के लिए अब आसानी से रीडिजाइन किया जा सकता है।

स्टक्सनेट से संभावित खतरे

स्टक्सनेट के सिलसिले में इंटरनेट व कंप्यूटर के एक सुरक्षा विशेषज्ञ राल्फ लेंगनर ने यह बयान दिया था कि यह वायरस इतना खतरनाक है कि इसके बारे में आम जनता को कितनी और क्या जानकारी दी जानी चाहिए, उसके बारे में गंभीरता से सोचना पड़ा है।

जहाँ-जहाँ भी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल होते हैं, जो कि आधुनिक परिवेश में यत्र-तत्र-सर्वत्र होते हैं, पावर प्लांट, केमिकल प्लांट, रिफायनरी, सीमेंट-स्टील प्लांट, एयर ट्रैफिक

GS World Committed to Excellence

कंट्रोल यानी स्टक्सनेट हर ऐसी जगह अटैक कर सकता है और चीजों को तहस-नहस कर सकता है। शुक्र ये है कि इसने ये सब नहीं किया।

साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन (जीसीसीएस), 2017

- इस कॉन्फ्रेंस का थीम साइबर फॉर ऑल था। यह सम्मेलन 23 नवंबर और 24, 2017 को नई दिल्ली में एरोसिटी में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।

मुख्य तथ्यः

- भारत में इस कॉन्फ्रेंस का पहली बार आयोजन किया गया।
- इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी।
- जीसीसीएस का पहला सम्मेलन 2011 में लंदन में आयोजित किया गया था, दूसरा 2012 में बुडापेस्ट में, 2013 सियोल में तीसरा था नीदरलैंड के हेग में, चौथी कॉन्फ्रेंस अप्रैल, 2015 में हुई थी।
- यह साइबर स्पेस पर दुनिया के सबसे बड़े दो दिवसीय सम्मेलन में से एक है।
- सम्मेलन से पहले जीसीसीएस के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए भारत और विदेशों में कई रन-अप की योजनाएं बनाई गई।
- जीसीसीएस साइबर स्पेस में सहयोग को बढ़ावा देने, साइबर स्पेस में जिम्मेदार व्यवहार के लिए मानदंडों और साइबर क्षमता निर्माण को बढ़ाने से संबंधित मुद्दों पर इकट्ठा विचार-विमर्श किया गया
- जीसीसीएस 2017 साइबर विश्व में सामने आने वाले मुद्दों, अवसरों और चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए उद्योग और इसके एसोसिएशन, सिविल सोसायटी, अकादमी, सरकारों हेतु एक बेहतर मंच है और बेहतर डिजिटल भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।
- जीसीसीएस 2017 में साइबर सुरक्षा मुख्य ध्यान केंद्रित क्षेत्रों में से एक थी, खासकर जब केंद्र सरकार अलग-अलग क्षेत्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है, ताकि साइबर सुरक्षा सुनिश्चित हो और प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके।
- सम्मेलन वैश्विक विचारों के साथ विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक आदर्श मंच साबित हुआ और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच निकट सहयोग को बढ़ावा मिला।

डिजिटल रूप से सुरक्षित भारत के निर्माण के लिये आवश्यक कदम

- अधिक कठोर साइबर नीति एवं विनियामक फ्रेमवर्क की स्थापना।
- भारत सरकार को डेटा की सुरक्षा के लिये सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी एवं व्यवहार की मदद लेनी चाहिये।
- केंद्र सरकार के द्वारा डिजिटल साक्षरता के साथ-साथ जागरूकता अभियान भी संचालित किये जाने चाहिये।
- साइबर एवं डिजिटल अपराधों के मामले में समुचित एवं कठोर सजा के लिये उपयुक्त प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिये।
- साइबर सुरक्षा से सबंधित देश की सबसे प्रमुख एजेंसी CERT-IN को और अधिक मजबूत बनाया जाना चाहिये।
- सोशल मीडिया को विनियमित करने के लिये उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिये क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द किये जाने के बाद से कोई अन्य व्यवस्था मौजूद नहीं है।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न

हाल फिलहाल की घटनाओं से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सम्पूर्ण विश्व में साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में भारत को सुरक्षित, समावेशी और सुदृढ़ साइबर स्पेस का निर्माण करने के लिए क्या व्यापक कदम उठाये जाने चाहिए? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

As per the information received from the recent developments, cyber security concerns are increasing day by day in the whole world. In such a scenario, what comprehensive steps should be taken to create India's safe, inclusive and strong cyberspace? Discuss. (250 Words)

फ्रांस: भारत का नया रूस?

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

09 मार्च, 2018

''इंडियन एक्सप्रेस''

लेखक - सी. राजा मोहन (निर्देशक, कार्नेगी इंडिया, दिल्ली)

दिल्ली द्वारा मॉस्को के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश की तरह ही, पेरिस के साथ गठबंधन यूरेशिया और भारत-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता का वादा करता है।

क्या फ्रांस रूस को भारत के सबसे मूल्यवान अंतरराष्ट्रीय भागीदार के रूप में प्रतिस्थापित कर सकता है? कई लोगों के लिए यह एक बेतुका विचार हो सकता है। उनके लिए, भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रूस का स्थान अद्वितीय और अपरिवर्तनीय है। लेकिन कुछ लोग यह बोलकर इस बात को खारिज कर देते हैं कि शीत युद्ध के अंत के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका पहले ही भारत के विशेषाधिकारित भागीदार के रूप में रूस का स्थान ले चुका है।

थोड़ी और गहराई से सोचते हैं और हमें पता चल जाएगा कि क्यों फ्रांस भारत के भू-राजनीतिक हिसाब से इतना महत्वपूर्ण हो गया है? हांलाकि, इस सन्दर्भ में इसके भविष्य की झलक, इस सप्ताह के अंत में दृश्यमान हो सकता है, जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों अपने पहले भारत दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे।

फ्रांसीसी सूत्र पहले ही कह चुके हैं कि यह 'महज रस्मी दौरा नहीं होगा' उदाहरण के लिए, दोनों नेताओं से उम्मीद है कि वे हिंद महासागर के लिए द्विपक्षीय रणनीतिक समन्वय के लिए आगे हाथ बढ़ाएंगे और इसके साथ ही दक्षिणी किनारे में अपने सुरक्षा बलों के बीच परिचालन सहयोग की सुविधा के लिए उपाय करेंगे।

इन पहलों का स्वागत और अतिदेय है, लेकिन ये अभी सिर्फ शुरुआत है। मोदी और मैक्रॉन अच्छी तरह से भारत और फ्रांस को यूरेशिया और भारत-प्रशांत क्षेत्र के भू-राजनीति को रूपांतरित करने में दीर्घकालिक साझेदारी में बदलने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे दावे से पहले कि फ्रांस 'भारत का नया रूस' हो सकता है या नहीं? इसका जवाब जानना बेहद जरूरी है कि रूस ने इतने लंबे समय तक भारत के राजनीतिक प्यार को क्यों जीता है?

भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, यह कोई नहीं जानता था कि सोवियत रूस भारत के लिए एक स्थायी साथी बन जाएगा। यह कश्मीर विवाद पर पाकिस्तान के प्रति एंग्लो-अमेरिकन झुकाव का उपयोग करने के लिए रूस के वीटो का दोबारा किया गया प्रयोग था, जिसने मॉस्को में दिल्ली के स्थायी विश्वास की नींव रखी।

ऐसा नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र या कोई अन्य कश्मीर को भारत से दूर ले जाना है या ले जाना चाहता है जो 1950 के दशक से बहुत मजबूत है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक विश्वसनीय मित्रता बेहतर है, जो अन्य शक्तियों द्वारा अमित्र चाल को अवरुद्ध कर सकता है। रूस की तरह ही फ्रांस भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और उसके पास भी एक वीटो पॉवर मौजूद है।

अभी तक, यह अकेले रूस था जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच एक स्पष्ट विकल्प का चुनाव किया था। जैसा कि रूस पाकिस्तान तक पहुंच बना रहा है, तो इसलिए अब यह विशेष स्थिति फ्रांस का हो गया है। उदाहरण के लिए, पेरिस ने प्रमुख हथियार प्रणालियों को पाकिस्तान में बेचने का मौका पहले ही छोड़ दिया है और भारत के साथ एक मजबूत रक्षा साझेदारी पर ध्यान केंद्रित किया है।

फ्रेंच कनेक्शन की दिल्ली की नई रणनीतिक प्रशंसा भी भारत के हाल के परमाणु इतिहास में निहित है। बीस साल पहले, जब वह रणनीतिक साझेदारी की घोषणा करने के लिए भारत आए थे, तो राष्ट्रपति जैक्स शिराक ने तर्क दिया कि

वैश्विक परमाणु कार्यक्रम से भारत का बहिष्कार अस्वीकार्य है और इसे सही किया जाना चाहिए। यह जनवरी 1998 में हुआ था, भारत के परमाणु परीक्षण के कुछ महीने पहले।

यद्यपि यह अमेरिका था, जिसने भारत के साथ परमाणु सुलह के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए सभी राजनीतिक भार को उठाया, साथ ही परमाणु समझौते के लिए पेरिस को एक प्रयोजन के माध्यम से सोचने के लिए कुछ क्रेडिट दिया जा सकता है।

अगर क्लिंटन प्रशासन ने मई, 1998 के परमाणु परीक्षण के तुरंत बाद भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को शुरू किया था, तो येलसिन के रूस ने दिल्ली को अपना समर्थन दिया था, लेकिन फ्रांस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पेरिस ने पोखरन द्वितीय के सामूहिक महान शक्ति प्रतिक्रिया को दबाने के लिए बहुत कुछ किया।

लेकिन यहाँ एक और प्रश्न यह भी है कि रूस के साथ भारत के असाधारण सैन्य संबंधो का क्या होगा जिसे दशकों से क्या विकसित किया गया है? जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1980 के दशक के शुरूआती दौर में भारत के रक्षा संबंधों में विविधता लाने का फैसला किया था, तब उन्होंने पेरिस का रुख किया था। तब से फ्रांस के साथ भारत के रक्षा संबंध लगातार बढ़े हैं; लेकिन अभी भी पूरी क्षमता तक पहुंच बनाना बाकी है।

1961 में मिग -21 के विमान को खरीदने का भारत का फैसला राजनीतिक सन्दर्भ में अधिक था। आज, इसी तरह की प्रतिबद्धता के साथ, मोदी फ्रांस के साथ साझेदारी में भारत में वास्तविक रक्षा औद्योगिक आधार का निर्माण शुरू कर सकते हैं।

लेकिन क्या फ्रांस भारत को ऐसे विशेष सामरिक सहायता दे सकता है, जैसा रूस ने दिया है? उदाहरण के लिए, भारत को रूसी परमाणु हमले वाले पनडुब्बियों और स्वदेशी पद्धति के विकास में मास्को का सहयोग। वैसे देखा जाये तो फ्रांस भी परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण करता है और सैन्य और परमाणु प्रणोदन और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों पर दिल्ली और पेरिस के बीच सहयोग की कल्पना करना असंभव नहीं लगता है।

लेकिन इस प्रकार के निर्णय केवल औद्योगिक या वित्तीय नहीं हैं। वे साझा रुचियों और लक्ष्यों से संबंधित होते हैं। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान, दक्षिणी एशिया में पॉवर सिस्टम के क्षेत्रीय संतुलन का निर्माण करने के लिए रूस और भारत को एक साथ लेकर आया था।

21वीं सदी के बदलते संदर्भ में, भारत और फ्रांस के करीब आने के कई कारण हैं। यहां तक कि सीमित अमेरिकी व्यय में कमी की संभावना, चीन के उदय और दक्षिण प्रशांत, अफ्रीका और भूमध्य क्षेत्रों तक क्षेत्रों में इसकी प्रक्षेपण, मॉस्को और बीजिंग के बीच मधुर होते संबंध, रूस और यूरोप के बीच व्याप्त विद्रोह का टूटना, भारत और फ्रांस के बीच व्याप्त रिक्त स्थान की मांग है कि दिल्ली और पेरिस अपने संसाधनों को एक साथ जोड़कर कार्य करें।

रूस और अमेरिका के समान, फ्रांस के साथ भारत का संबंध सिर्फ द्विपक्षीय नहीं हो सकता है। जिस तरीके से मॉस्को और वाशिंगटन ने अपने दूसरे भागीदारों को भारत के साथ में लाया है, पेरिस ने पूरे भारत और यूरोप के बीच मजबूत रणनीतिक संबंधों के लिए दरवाजा खोल दिया है। ओपन समुद्री सहयोग, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त प्रयास और सौर गठबंधन का निर्माण, भारत-फ्रांस की साझेदारी के उभरते हुए भूमंडलीकरण को रेखांकित करता है और अंततः दिल्ली और ब्रुसेल्स के बीच।

यूरेशिया और भारत-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा के लिए पेरिस के साथ गठबंधन का मतलब यह नहीं है कि दिल्ली मास्को के साथ अपनी भागीदारी छोड़ देगा और वॉशिंगटन के साथ अपनी रणनीतिक भागीदारी का अवमूल्यन करेगा।

रूस के साथ भारत के संबंधों का पुनर्लेखन धीरे-धीरे, लेकिन निश्चित रूप से, शीत युद्ध के अंत के बाद से खुला हुआ है। अमेरिका, अपने तरफ से, केवल प्रसन्न हो सकता है कि भारत और फ्रांस बड़ी जिम्मेदारियों को लेने और क्षेत्रीय और वैश्विक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बोझ साझा करने को तैयार हैं।

GS World
Committed To Excellence

चर्चा में क्यों?

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अपनी चार दिवसीय यात्रा पर है। वह पहली बार यहां आ रहे हैं। इस दौरान उनकी पीएम नरेंद्र मोदी से आर्थिक, राजनीतिक व रणनीतिक मामलों पर द्विपक्षीय वार्ता होगी।

मैक्रों की यात्रा के दौरान जैतपुर न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट के समझौते पर दस्तखत होने की उम्मीद है। इसके एक दिन बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस (आइएसए) की बैठक होगी, जिसमें दोनों नेता भाग लेंगे। यह इसकी पहली बैठक होगी।

पृष्ठभूमि

भारत-फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत 1998 से हुई थी। दोनों देशों के बीच अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 तक कुल 10.95 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था।

फ्रांस भारत में निवेश करने वाला दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। तकरीबन एक हजार फ्रांसीसी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, जबकि 120 भारतीय फर्में फ्रांस में अपना कारोबार कर रही हैं।

क्या होंगे समझौते?

फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान भारत, फ्रांस सामरिक गठजोड़ एक महत्वपूर्ण विषय होगा और इस दौरान समग्र द्विपक्षीय संबंध एवं राजनीतिक समझ को और गहरा बनाने पर जोर होगा।

उनकी इस यात्रा के दौरान आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, आधारभूत संरचना, स्मार्ट शहरीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग, युवा आदान-प्रदान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी।

क्या है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए)?

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance) कर्क व मकर राशि के उष्णकटिबंध पर स्थित 121 देशों का गठबंधन है। यह सौर ऊर्जा पर आधारित एक सहयोग संगठन है जिसका मुख्यालय गुडगांव (भारत) में है। इस गठबंधन का शुभारंभ भारत व फ्रांस द्वारा 30 नवम्बर, 2015 को पेरिस (फ्रांस) में किया गया। दुनिया में गैर परंपरागत ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले वैश्विक संगठन आईएसए का रणनीतिक भागीदार संयुक्त राष्ट्र है। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य उष्णकटिबंधीय देशों को सौर ऊर्जा के उचित दोहन के लिए एक मंच पर लाना है। यह गठबंधन सौर ऊर्जा के क्षेत्र में धनी देशों को प्रचुर संसाधनों के उचित उपयोग के लिए तैयार करेगा जिससे सौर ऊर्जा के उपयोग में आने वाली भारी लागत को कम किया जा सकेगा।

आईएसए के प्रमुख उद्देश्य

इस संगठन का उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है।

ऐसे देश जो पूरी तरह या आंशिक तौर पर कर्क रेखा और मकर रेखा के मार्ग में पड़ते हैं एवं सौर ऊर्जा के मामले में समृद्ध हैं, उनसे बेहतर तालमेल के जरिये सौर ऊर्जा की मांग को पूरा करना है।

आईएसए का उद्देश्य सूर्य की बहुतायत ऊर्जा को एकत्रित करने के साथ देशों को एक साथ लाना है।

यह सौर ऊर्जा के विकास और उपयोग में तेजी लाने की एक नई शुरुआत है, ताकि वर्तमान और भावी पीढ़ी को ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त हो सके।

सनशाइन देश

हस्ताक्षर करने वाले देश: आईएसए के समझौता प्रारूप पर अब तक ये 46 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं--ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेनिन, ब्राजील, बुर्किना फासो, कंबोडिया, चिली, कोस्टारिका, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कोमोरोस, कोट डि आइवरी, जिबूती, क्यूबा, डोमिनिकन गणराज्य, इथोपिया, इक्वेटोरियल गयाना, फिजी, फ्राँस, गैबॉन, घाना, गिनी, गिनी बिसाउ, भारत, किरिबाती, लाइबेरिया, मेडागास्कर, मलावी, माली, मॉरीशस, नॉरू, नाइजर, नाइजीरिया, पेरू, रवांडा, सेनेगल, सेशेल्स, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सूडान, तंजानिया, टोंगा, टोगोलीज गणराज्य, तुवालु, संयुक्त अरब अमीरात, वानूअतू और वेनेजुएला।

अनुमोदन करने वाले देश: आईएसए के समझौता प्रारूप का अब तक ये 19 देश अनुमोदन कर चुके हैं--भारत, फ्राँस, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, क्यूबा, फिजी, गिनी, घाना, मलावी, माली, मॉरीशस, नॉरू, नाइजर, पेरू, सेशेल्स, सोमालिया, दक्षिण सूडान और तुवालु।

आईएसए के सदस्य देशों में कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच पड़ने वाले लगभग 100 देशों में पूरे साल अच्छी धूप खिली रहती है। ये देश यदि सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ा दें तो न केवल ये अपनी अधिकांश ऊर्जा जरूरतें एक अक्षय ऊर्जा स्रोत से पूरी कर सकेंगे, बल्कि दुनिया के कार्बन उत्सर्जन में भी जबर्दस्त कटौती देखने को मिलेगी।

संभावित प्रश्न

भारत और फ्रांस के बीच हालिया संबंधों को देखते हुए बताएं कि क्या फ्रांस 'भारत का नया रूस' बन सकता है या नहीं? तर्क सहित उत्तर प्रस्तुत कीजिये। (250 शब्द)

Looking at present relations between India and France, tell whether France can become "new Russia for India" or not? Give a logical answer. (250 Words)

सम्मान के साथ मृत्यु का हक

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

10 मार्च, 2018

''हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाते हुए शर्त के साथ इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मरणासन्न व्यक्ति द्वारा इच्छामृत्यु के लिए लिखी गई वसीयत (लिविंग विल) को मान्यता देने की बात कही गई है।'' इस संदर्भ में अंग्रेजी समाचार-पत्र ''इंडियन एक्सप्रेस'' एवं ''द हिन्दू'' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे "GS World" टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

''इंडियन एक्सप्रेस''
(जीवन और मृत्यु)

''इच्छा-मृत्यु की वसीयत (लिविंग विल) स्वतंत्रता और गरिमा की गारंटी प्रदान करता है, लेकिन यह जटिल मुद्दों को भी दर्शाता है, जिसका निदान करना होगा।''

अगर हमे अपनी शर्तों पर जीने का अधिकार हैं, तो हमे अपनी शर्तों पर मरने का भी अधिकार होना चाहिए। हांलाकि, इस आवश्यकता को मान्यता प्राप्त होने में वर्षों लग गये। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने 'इच्छा-मृत्यु की वसीयत' की वैधता को स्वीकार करते हुए, लंबे समय से चले आ रहे अरुणा शानबाग मामले को अंतत: अपने गंतव्य तक पहुंचा दिया है।

अब नागरिकों के लिए एक अप्रत्याशित भविष्य में जीवन समर्थन पर एक अर्थहीन अस्तित्व की संभावना को अमल करने के लिए संभव होगा, जहाँ वे एक अंतहीन बीमारी से जूझ रहे हैं। अपने 2011 के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु को मान्यता दी थी - गंभीर रूप से बीमार रोगी की मृत्यु के लिए आज्ञा देना। लेकिन जीवित रहने की इच्छा पर विचार उस समय नहीं किया गया था, लेकिन अब कोई दूरदर्शिता वाला व्यक्ति अपने जीवन और मृत्यु के प्रश्न पर नियंत्रण कर सकता हैं।

देखा जाये तो, बीमारी लाइलाज होने पर इच्छामृत्यु दी जा सकेगी। पर इसमें परिवार की मंजूरी जरूरी होगी, जिसके लिए परिजनों को अपने राज्य के हाईकोर्ट में इच्छामृत्यु की अर्जी लगानी होगी। कोर्ट द्वारा मेडिकल बोर्ड गठित करने की भी बात कही गयी है और इसकी ही अनुमति मिलने पर कोर्ट लाइफ सपोर्टसिस्टम हटाने का आदेश देगा।

पिछले अक्टूबर, केंद्र ने बहुत-बीमार रोगियों का चिकित्सा उपचार (रोगियों और चिकित्सकों का संरक्षण) के मसौदा की जांच की, लेकिन वे जीने की इच्छा के पक्ष में नहीं थे। हांलाकि, इस सन्दर्भ में यहाँ सावधानी बरतने के लिए वास्तविक आधार भी मौजूद है।

एक ऐसी संस्कृति में जहां बड़ों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाता है, लेकिन अक्सर निजी तौर पर उन्हें उपेक्षित या उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, साथ ही एक ऐसी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली जो हमेशा आत्मविश्वास को कमजोर, अपूर्ण जानकारी और गलत तरीके से हमेशा हमे अवगत कराती है, वहां एक व्यक्ति की इच्छाशक्ति का निर्माण करना आवश्यक है।

''द हिन्दू''
दया मृत्यु और इच्छा-मृत्यु की वसीयत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

''सुप्रीम कोर्ट ने जीने की इच्छा को लागू करने के लिए एक बहुत जरूरी कानूनी रूपरेखा निर्धारित किया है।''

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर मूल विचारधारा में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति और 'अग्रिम निर्देशों' को कानूनी दर्जा देने का अर्थ यह है कि एक सम्मानित जीवन का अधिकार एक सम्मानजनक मौत होने के बिंदु तक विस्तृत है।

चार संकलित राय में, पांच सदस्यीय संविधान खंडपीठ एक सवाल के साथ जुड़ा था जिसमें न्यायमूर्ति डी. वाई चंद्रचूड़ के शब्दों में 'जीवन, नैतिकता और मृत्यु के अनुभव के बीच के रिश्ते में सार और संतुलन प्राप्त करना' शामिल था।

इस अभ्यास का नतीजा एक प्रगतिशील और मानवीय फैसले पर केन्द्रित है जो एक गंभीर बीमार रोगी की गरिमा या एक सदैव शिथिल अवस्था (पीवीएस) (चेतना का एक विकार है जिसमें गंभीर मस्तिष्क क्षति से ग्रस्त वाले रोगी वास्तविक जागरूकता के बजाय आंशिक उत्तेजना की स्थिति में होते हैं) में इलाज या उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं होती है, उनकी गरिमा की रक्षा के लिए एक व्यापक कानूनी रूपरेखा प्रदान करता है।

अब ऐसी परिस्थितियों में, 'पीड़ा की अवधि को कम करने के लिए मौत की प्रक्रिया में तेजी लाना, सम्मान के साथ जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है।' यहाँ मुख्य संदेश यह है कि सहमति देने की क्षमता वाले सभी वयस्क को 'आत्मनिर्णय और स्वायत्तता का अधिकार' है और चिकित्सा उपचार से इंकार करने का अधिकार भी इसमें शामिल है।

वर्ष 2011 में अरुणा शानबाग के मामले में दो न्यायिक पीठ ने निष्क्रिय यूथेनेशिया को मान्यता दी थी; अब संविधान खंडपीठ ने इस विषय पर न्यायविधि का विस्तार किया है, जिसमें इच्छा-मृत्यु की वसीयत (लिविंग विल) या अग्रिम निर्देश के सिद्धांत को जोड़ा गया है, एक अभ्यास जिसमें एक व्यक्ति, जो मानसिक रूप से सक्षम हो, तो वह चिकित्सा उपचार के प्रकार पर लिखित निर्देश दे सकता है, जो उसे बीमारी के अंतिम चरण तक पहुंचने की स्थिति में भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।

इच्छामृत्यु के दो प्रकार हैं जिनमें से पहला सक्रिय इच्छामृत्यु है और दूसरा निष्क्रिय इच्छामृत्यु है। इन दोनों में बहुत अंतर है। सक्रिय इच्छामृत्यु वह है जिसमें चिकित्सा पेशेवर, या कोई अन्य व्यक्ति कुछ जानबूझकर ऐसा करते हैं जो मरीज के मरने का कारण बनता है। निष्क्रिय इच्छामृत्यु तब होती है जब गंभीर लाइलाज बीमारी से ग्रस्त रोगी के लिए मौत के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता और मरीज की मर्जी से ही उसे मौत दी जाती है।

अदालत का तर्क निरपवाद है जब वह कहता हैं कि सिर्फ इसलिए कि चिकित्सा प्रौद्योगिकी उन्नत है, उस वजह से मरने वाले मरीज को लंबे समय तक उपचार और उपकरण के साथ रखना उसकी गरिमा के विनाशकारी होता है। ऐसी स्थिति में, 'व्यक्तिगत रुचि को उसके स्थिति की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए।'

अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत निहित शक्ति को लागू किया है ताकि अग्रिम दिशा-निर्देशों को कानूनी स्थिति प्रदान किया जा सके और इसके निर्देश ठीक सही साबित हो जायेंगे, जब तक कि संसद इस मामले पर कानून का निर्माण नहीं करता है।

इसलिए अदालत ने इस सवाल का फिर से परीक्षण करने का फैसला किया था, क्योंकि मानव गरिमा दांव पर थी। सार्वभौमिकता और स्वतंत्रता, मानवीय गरिमा की नींव है और यह तर्क देना बेतुका होगा कि जब हम अपने डेटा के स्वामित्व वाले स्वामी है, तो हमारे पास उस जीवन पर कोई नियंत्रण का हक क्यों नहीं है जिससे वह डेटा को उत्पन्न होता है।

हालांकि, यह सब कुछ यही समाप्त नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यायालय का निर्णय तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि सरकार उचित कानूनों के द्वारा इसे लागू नहीं करती है। इच्छा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह व्यक्ति की सही कृत्य के रूप में माना जाता है।

सरकार ने तर्क दिया कि यह निष्क्रिय इच्छामृत्यु को विनियमित करने के लिए एक कानून को पेश करने की प्रक्रिया में है, लेकिन इस आधार पर अग्रिम निर्देश की अवधारणा का विरोध किया कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।

अग्रिम निर्देशों के बारे में अदालत द्वारा लगाए गए कठोर परिस्थितियों का उद्देश्य मजबूत सुरक्षा उपायों के एक सेट के रूप में काम करना है और दुरुपयोग के बारे में किसी भी आशंका को दूर करना है। अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अग्रिम निर्देशों ने डॉक्टरों को यह आश्वासन देकर कि वे मरीज की इच्छाओं के संबंध में कानूनी रूप से कार्य कर रहे हैं, काफी सक्षम बना दिया है। एक अग्रिम निर्देश, आखिरकार, केवल मरीज की स्वायत्तता को दर्शाता है और मरने की इच्छा को मान्यता नहीं देता है।

GS World टीम...

क्या है मामला?

- सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने आदेश दिया है कि असाध्य रोग से ग्रस्त व्यक्ति ने उपकरणों के सहारे उसे जीवित नहीं रखने के संबंध में यदि लिखित वसीयत दिया है, तो यह वैध होगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वसीयत का पालन कौन करेगा और इस प्रकार की इच्छा मृत्यु के लिए मेडिकल बोर्ड किस प्रकार हामी भरेगा, इस संबंध में वह पहले ही दिशा-निर्देश जारी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में कानून बनने तक उसकी ओर से जारी दिशा-निर्देश और हिदायत प्रभावी रहेंगे।

मामले की पृष्ठभूमि

- वर्ष 2005 में एनजीओ 'कॉमन कॉज' ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जिस तरह नागरिकों को जीने का अधिकार दिया गया है, उसी तरह उन्हें मरने का भी अधिकार है।
- जबकि केंद्र सरकार का मानना है कि इच्छा-मृत्यु की वसीयत (लिविंग विल) लिखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, हालाँकि मेडिकल बोर्ड के निर्देश पर मरणासन्न व्यक्ति का 'लाइफ सपोर्ट सिस्टम' हटाया जा सकता है।

क्या है लिविंग विल?

- लिविंग विल में कोई भी व्यक्ति जीवित रहते वसीयत कर सकता है कि लाइलाज बीमारी से ग्रस्त होकर मृत्यु शैय्या पर पहुंचने पर शरीर को जीवन रक्षक उपकरणों पर न रखा जाए।
- लिविंग विल एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें कोई मरीज पहले से यह निर्देश देता है कि मरणासन्न स्थिति में पहुंचने या रजामंदी नहीं दे पाने की स्थिति में पहुंचने पर उसे किस तरह का इलाज दिया जाए।

क्या है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु?

- सुप्रीम कोर्ट ने मरणासन्न व्यक्ति द्वारा इच्छा मृत्यु के लिए लिखी गई वसीयत (लिविंग विल) को मान्यता दी है। लिविंग विल एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें कोई मरीज पहले से यह निर्देश देता है कि मरणासन्न स्थिति में पहुंचने या रजामंदी नहीं दे पाने की स्थिति में पहुंचने पर उसे किस तरह का इलाज दिया जाए। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) वह स्थिति है जब किसी मरणासन्न व्यक्ति की मौत की तरफ बढ़ाने की मंशा से उसे इलाज देना बंद कर दिया जाता है।

क्या है सक्रिय इच्छा मृत्यु?

- सक्रिय इच्छामृत्यु वह है जिसमें चिकित्सा पेशेवर या कोई अन्य व्यक्ति कुछ जानबूझकर ऐसा करते हैं जो मरीज के मरने का कारण बनता है। सक्रिय इच्छामृत्यु भारत समेत दुनिया के अधिकांश हिस्सों में नहीं है।
- सिर्फ कुछ देशों में यह प्रचलन में है। इसमें रोगियों को घातक इंजेक्शन देकर मौत दे दी जाती है। सक्रिय इच्छामृत्यु को लेकर नैतिकता का मुद्दा दुनिया भर में बहस का विषय है।
- एक वाक्य में कहें तो एक्टिव यूथेनेशिया वह है, जिसमें मरीज की मृत्यु के लिये कुछ किया जाए, जबकि पैसिव यूथेनेशिया वह है जहाँ मरीज की जान बचाने के लिये कुछ न किया जाए।
- सक्रिय इच्छा मृत्यु के मामले में ठीक न हो सकने वाले बीमारी की हालत में किसी मरीज को उसकी इच्छा से मृत्यु दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में सक्रिय इच्छा मुत्यु पर कोई सुनवाई नहीं है। देखा जाये तो, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस और इटली जैसे यूरोपीय देशों सहित दुनिया के ज्यादातर देशों में इच्छा मृत्यु गैर-कानूनी है।

इन देशों में मौजूद है इच्छा मृत्यु का कानून

- **अमेरिका**- यहां सक्रिय इच्छा मृत्यु गैर-कानूनी है, लेकिन ओरेगन, वॉशिंगटन और मोंटाना राज्यों में डॉक्टर की सलाह और उसकी मदद से मरने की इजाजत है।
- **स्विट्जरलैंड**- यहां खुद से जहरीली सुई लेकर आत्महत्या करने की इजाजत है, हालांकि इच्छा मृत्यु गैर-कानूनी है।
- **नीदरलैंड्स**- यहां डॉक्टरों के हाथों सक्रिय इच्छा मृत्यु और मरीज की मर्जी से दी जाने वाली मृत्यु पर दंडनीय अपराध नहीं है।
- **बेल्जियम**- यहां सितंबर, 2002 से इच्छा मृत्यु वैधानिक हो चुकी है।

संभावित प्रश्न

"हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि गरिमा के साथ मृत्यु एक मौलिक अधिकार है।" निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को समझाते हुए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का समालोचनात्मक परिक्षण कीजिये। (250 शब्द)

"In a historic judgment recently, the Supreme Court said that death with dignity is a fundamental right." Explain the passive desire death and critique the Supreme Court's decision. (250 Words)

सामाजिक अन्याय

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था और सामाजिक न्याय) से संबंधित है।

12 मार्च, 2018

''इंडियन एक्सप्रेस''

लेखक - भालचंद्र मुंगेकर (राज्यसभा और योजना आयोग के पूर्व सदस्य)

''अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी आरक्षण के लिए एक यूनिट के रूप में विश्वविद्यालय की जगह इसके संबंधित विभाग को महत्व देना, नीति के उद्देश्यों को कमजोर बना देगा।''

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का निर्णय, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विश्वविद्यालयों में इसके संबंधित विभाग द्वारा अध्यापन पदों में आरक्षण नीति लागू करने के लिए अनुमोदित किया गया है, सामाजिक रूप से प्रतिगामी है। यह दावा किया जा रहा है कि मंत्रालय का अनुमोदन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस नए सूत्र को पेश करने के निर्देश पर आधारित है।

यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह अध्यापन पेशे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या को काफी हद तक कम करेगा और आरक्षण नीति के उद्देश्यों को भी कमजोर बनाएगा।

ऐतिहासिक कारणों से, भारत में आरक्षण नीति को तीन क्षेत्रों में लागू किया गया है: शिक्षा, रोजगार और विधायिका। पहले दो का उद्देश्य, इन्हें उच्चस्तरीय और उच्च शिक्षा तक पहुंच सुलभ बनाना और नौकरी के अवसर प्रदान करते हुए ऐतिहासिक दृष्टि से वंचित इन समुदायों की भौतिक स्थितियों को बेहतर बनाना है।

परन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात, शिक्षा और रोजगार में आरक्षण एक जाति-आधारित भेदभाव नीति अधिक है अर्थात, इसकी अनुपस्थिति में, यहां तक कि इन समुदायों के योग्य व्यक्ति के साथ भी जाति के आधार पर भेदभाव किया जाएगा।

आरक्षण नीति का एक नया रूप, सकारात्मक कार्रवाई नीति का एक भारतीय संस्करण, ऐसी नीति को लागू करने वाले अन्य देशों के विपरीत, भारत में जनसंख्या-आनुपातिक कोटा सभी क्षेत्रों में संघ और राज्य स्तरों पर निर्धारित किया गया है।

इस प्रकार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमश: 15 और 7.5 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। इसी प्रकार, संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 2006 के बाद से केंद्रीय विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गयी हैं।

आरक्षण नीति के बारे में एक सामान्य गलतफहमी व्याप्त है, यहाँ तक कि शिक्षित वर्गों में भी यह गलतफहमी शामिल है। उन्हें लगता है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान मूल रूप से संविधान के लागू होने के बाद 10 साल के लिए ही था। लेकिन ऐसा नहीं है। 10 साल का प्रावधान केवल राजनीतिक आरक्षण के संबंध में था और यही वजह है कि प्रत्येक 10 वर्षों के बाद इसे विस्तारित करने की जरूरत पड़ती है।

अब, जैसा कि ऊपर उल्लेख तीन क्षेत्रों में आरक्षण, अर्थात शिक्षा और रोजगार का क्षेत्र, ने इन समूहों, विशेषकर एससी और एसटी के जीवन स्तर में सुधार लाने में राजनीतिक आरक्षण के मुकाबले बहुत अधिक प्रभावी साबित हुआ हैं। हालांकि दोष इसके कार्यान्वयन में था, क्योंकि शिक्षा में आरक्षण आवश्यक शैक्षणिक कौशल और क्षमताओं का निर्माण करता हैं जो इन समूहों को नौकरी के अवसरों से लाभान्वित करते हुए सक्षम बनाता हैं।

एक उच्च स्तरीय जाति-ग्रस्त असमानाधिकारवादी समाज में, इस आरक्षण के कारण इन समुदायों में शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, शीर्ष-स्तरीय सिविल सेवकों, कवियों, लेखकों को देखा जा सकता है। और इस प्रक्रिया में, उच्च-तकनीकी-व्यावसायिक शिक्षा तक पहुंच एक उत्प्रेरक एजेंट साबित हुई। विश्वविद्यालयों में आरक्षण को लागू करने का यह नया फार्मूला इस स्वागत योग्य सामाजिक बदलाव को बिलकुल उलट देगा।

सबसे पहले, वर्तमान में मौजूद वास्तविकता को देखते हैं। 2016-17 के लिए यूजीसी की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, कॉलेजों और विश्वविद्यालय विभागों में कुल 14.7 लाख शिक्षक थे: जिसमें 13.08 लाख (89 प्रतिशत) कॉलेजों में और 1.62 लाख (9 प्रतिशत) विश्वविद्यालयों में थे। साथ ही इस रिपोर्ट में 30 केंद्रीय और 82 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी और ओबीसी के श्रेणी-वार शिक्षण पद भी दिए गए हैं।

रिपोर्ट से पता चलता है कि इन विश्वविद्यालयों में कुल 31,446 पदों पर मौजूद प्रोफेसरों, सहयोगी और सहायक प्रोफेसरों में, जिन्हें वास्तव में इन पदों के चुना गया था, वहा एससी, एसटी और ओबीसी के केवल 9,130 लोग इन पदों पर काबिज थे, अर्थात केवल 29.03 प्रतिशत, जो उनके 49.5 प्रतिशत संयुक्त आरक्षण के मुकाबले बहुत कम है। इसके अलावा, इन 9,130 शिक्षण पदों में से 7,308 (80 प्रतिशत) सहायक प्रोफेसरों थे; 1,193 (13.06 प्रतिशत) सहयोगी प्रोफेसर और केवल 629 (6.9 प्रतिशत) प्रोफेसर थे। रिपोर्ट कॉलेजों में शिक्षण कर्मचारियों की श्रेणी-वार जानकारी नहीं देती है। लेकिन कोई अनुमान लगा सकता है कि यहाँ वास्तविक तस्वीर कितनी भिन्न है।

इसके अलावा, शिक्षा के निजीकरण के दिनों में विशेष रूप से उच्च-तकनीकी-व्यावसायिक शिक्षा, वंचित वर्ग मुख्य रूप से शिक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के साथ-साथ नौकरियों के लिए भी निर्भर करता है।

निजी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थान आरक्षण नीति को लागू नहीं करते हैं, न ही वे शुल्क या छात्रवृत्ति में रियायतें प्रदान करते हैं। यह काफी निराशाजनक है, जब सरकार सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों का निजीकरण करती है, वे इन समुदायों द्वारा उठाये जा रहे लाभों को भी वापस लेती हैं। इसलिए, पीजी, एमफिल और पीएचडी डिग्री के लिए दाखिला लेने वाले इन समुदायों के हजारों छात्र शिक्षण पदों के साथ-साथ उच्च तकनीकी-व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों पर ही निर्भर रहते हैं।

कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2005 में एससी और एसटी छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप के तहत एमफिल और पीएचडी डिग्री करने के लिए 2,000 वार्षिक फेलोशिप पेश किए थे और कम से कम 15,000 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र इस समय अपनी डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। मुझे (लेखक) डर है कि कहीं उनका भविष्य अंधकारमय ना हो जाये। स्थिति तब और खराब हो जाएगी जब केंद्रीय विश्वविद्यालयों के जैसा ही राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों को भी प्रेरित किया जाएगा।

संक्षेप में, नया फार्मूला अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ शिक्षण व्यवसाय में उनकी नौकरी की संभावनाओं के संबंध में भेदभाव कर रही है। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार अक्सर अम्बेडकर के गुणों का बखान करती नहीं थकती है, लेकिन यहाँ सरकार के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक यह है कि वह सुप्रीम कोर्ट में जाकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश के खिलाफ अपील करे।

GS World टीम...

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा के मापदंडों के समन्वीय, निर्धारण और अनुरक्षण हेतु 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), देश में अनुदान प्रदान करने वाला एकमात्र ऐसा अनूठा अभिकरण है जिसके अंतर्गत दो उत्तरदायित्व निहित है, पहला है निधि उपलब्ध कराना तथा दूसरा है उच्च शिक्षण संस्थानों में परस्पर समन्वयन, निर्धारण तथा मानकों का अनुरक्षण करना।

भारत में आरक्षण

भारत में आरक्षण का इतिहास बहुत पुराना है। यहां आजादी से पहले ही नौकरियों और शिक्षा में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण देने की शुरुआत हो चुकी थी। इसके लिए विभिन्न राज्यों में विशेष आरक्षण के लिए समय-समय पर कई आंदोलन हुए हैं। जिनमें राजस्थान का गुर्जर आंदोलन, हरियाणा का जाट आंदोलन और गुजरात का पाटीदार (पटेल) आंदोलन प्रमुख हैं।

आरक्षण का अर्थ

आरक्षण (Reservation) का अर्थ है- अपना जगह सुरक्षित करना। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा हर स्थान पर अपनी जगह सुरक्षित करने या रखने की होती है, चाहे वह रेल के डिब्बे में यात्रा करने के लिए हो या किसी अस्पताल में अपनी चिकित्सा कराने के लिए, विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात हो तो या किसी सरकारी विभाग में नौकरी पाने की।

भारत में आरक्षण की शुरूआत एवं इसके विभिन्न चरण

- भारत में आरक्षण की शुरूआत 1882 में हंटर आयोग के गठन के साथ हुई थी। उस समय विख्यात समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले ने सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तथा अंग्रेज सरकार की नौकरियों में आनुपातिक आरक्षण/प्रतिनिधित्व की मांग की थी।
- 1891 के आरंभ में त्रावणकोर के सामंती रियासत में सार्वजनिक सेवा में योग्य मूल निवासियों की अनदेखी करके विदेशियों को भर्ती करने के खिलाफ प्रदर्शन के साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए मांग की गयी।
- 1901 में महाराष्ट्र के सामंती रियासत कोल्हापुर में शाहू महाराज द्वारा आरक्षण की शुरूआत की गई। यह अधिसूचना भारत में दलित वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी आदेश है।
- 1908 में अंग्रेजों द्वारा बहुत सारी जातियों और समुदायों के पक्ष में, प्रशासन में जिनका थोड़ा-बहुत हिस्सा था, के लिए आरक्षण शुरू किया गया।
- 1909 और 1919 में भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान किया गया।
- 1921 में मद्रास प्रेसीडेंसी ने जातिगत सरकारी आज्ञापत्र जारी किया, जिसमें गैर-ब्राह्मणों के लिए 44 प्रतिशत, ब्राह्मणों के लिए 16 प्रतिशत, मुसलमानों के लिए 16 प्रतिशत, भारतीय-एंग्लो/ईसाईयों के लिए 16 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों के लिए 8 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी।
- 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया, (जो पूना समझौता कहलाता है) जिसमें दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी।
- 1935 के भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान किया गया था।
- 1942 में बी. आर. अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों की उन्नति के समर्थन के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की। उन्होंने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग की।

- 1946 के कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में अन्य कई सिफारिशों के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव दिया गया था।
- 26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करते हुए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछले वर्गों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए संविधान में विशेष धाराएं रखी गयी हैं। इसके अलावा 10 सालों के लिए उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए थे। (हर दस साल के बाद सांविधानिक संशोधन के जरिए इन्हें बढ़ा दिया जाता है)।
- 1980 में मंडल आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की और तत्कालीन कोटा में बदलाव करते हुए इसे 22% से बढ़ाकर 49.5% करने की सिफारिश की। 2006 तक पिछड़ी जातियों की सूची में जातियों की संख्या 2297 तक पहुंच गयी, जो मंडल आयोग द्वारा तैयार समुदाय सूची में 60% की वृद्धि है।
- 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा सरकारी नौकरियों में लागू किया गया। छात्र संगठनों ने इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शुरू किया और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह की कोशिश की थी।
- 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने अलग से अगड़ी जातियों में गरीबों के लिए 10% आरक्षण की शुरूआत की।
- 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को सही ठहराया।
- 1995 में संसद ने 77वें सांविधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तरक्की के लिए आरक्षण का समर्थन करते हुए अनुच्छेद 16(4)(ए) का गठन किया। बाद में आगे भी 85वें संशोधन द्वारा इसमें पदोन्नति में वरिष्ठता को शामिल किया गया था।
- 12 अगस्त, 2005 को उच्चतम न्यायालय ने पी. ए. इनामदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में 7 जजों द्वारा सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए घोषित किया कि राज्य पेशेवर कॉलेजों समेत सहायता प्राप्त कॉलेजों में अपनी आरक्षण नीति को अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक पर नहीं थोप सकता है। लेकिन इसी साल निजी शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए 93वां सांविधानिक संशोधन लाया गया। इसने अगस्त, 2005 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रभावी रूप से उलट दिया।
- 2006 से केंद्रीय सरकार के शैक्षिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण शुरू हुआ।
- 10 अप्रैल, 2008 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी धन से पोषित संस्थानों में 27% ओबीसी (OBC) कोटा शुरू करने के लिए सरकारी कदम को सही ठहराया। इसके अलावा न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 'क्रीमीलेयर' को आरक्षण नीति के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

आरक्षण के संबंध में संवैधानिक प्रावधान

- संविधान के भाग तीन में समानता के अधिकार की भावना निहित है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 15 में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के साथ जाति, प्रजाति, लिंग, धर्म या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(4) के मुताबिक यदि राज्य को लगता है तो वह सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।
- अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद 16(4) के मुताबिक यदि राज्य को लगता है कि सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उनके लिए पदों को आरक्षित कर सकता है।
- अनुच्छेद 330 के तहत संसद और 332 में राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं।

आरक्षण के प्रकार

- जाति आधारित आरक्षण।
- प्रबंधन कोटा।
- लिंग आधारित आरक्षण।
- धर्म आधारित आरक्षण।
- राज्य के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षण।

संभावित प्रश्न

"हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालयों के लिए एक नया आदेश दिया है जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ शिक्षण व्यवसाय में उनकी नौकरी की संभावनाओं के संबंध में भेदभाव को दर्शाता है।" इस कथन के सन्दर्भ में न्यायालय के निर्णय का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

Recently, the Allahabad High Court has given a new order for the universities, which shows discrimination in relation to their job prospects in the teaching profession with Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes. Analyze the decision of the court in relation to this statement. (250 Words)

GS World Committed to Excellence

भारत और फ्रांस के बीच सामरिक साझेदारी

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

13 मार्च, 2018

''हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैन्युअल मैक्रों और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को साझा बयान जारी किया। दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद भारत और फ्रांस ने सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने वाले 14 समझौते किये।'' इस संदर्भ में अंग्रेजी समाचार-पत्र ''द हिन्दू'' एवं ''इंडियन एक्सप्रेस'' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे "GS World" टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

''द हिन्दू''
(इंडो-फ्रेंच सामंजस्य : राष्ट्रपति मैक्रों की भारत यात्रा)

''प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने वैश्विक अनिश्चितताओं के साथ काम करने के लिए दोनों देशों के संबंधों को और गहरा किया है।''

वर्ष 1998 की अग्रणी भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की तरह ही, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए समझौतें वैश्विक प्रवाह के समय द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए तैयार हैं। भारतीय महासागर क्षेत्र पर संयुक्त विजन विवरण स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला करने के उद्देश्य से है।

और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को शुरू करने की सिफारिश और जलवायु परिवर्तन सहयोग पर संयुक्त उपक्रम, पेरिस समझौते से अपनी वापसी की घोषणा करते हुए यू.एस. की अपनी भूमिका को अपनाने की प्रतिक्रिया है।

'परस्परीय रसद समर्थन' समझौता, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा सहयोग में 'सुनहरा कदम' कहा था, यह रूस और अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए एक संकेत है (जो 'चतुर्भुज' में भागीदार है), कि दोनों नई दिल्ली और पेरिस ने अपने वर्तमान विकल्पों से परे हट कर सामरिक अवस्था में विविधता लाने की आवश्यकता महसूस करते हैं।

अंत में, 61 देशों को आईएसए में लाने के द्वारा, भारत और फ्रांस कम विकसित दुनिया के लिए एक वैकल्पिक नेतृत्व मॉडल का प्रस्ताव कर रहे हैं। उल्लेखनीय रूप से, श्री मोदी और श्री मैक्रॉन ने घोषित किया है कि वे सस्ती सौर ऊर्जा सुनिश्चित करने और वित्तपोषण के मार्ग को सुलभ बनायेंगे, जिसने विश्व व्यापार संगठन में हलचल पैदा कर दी है।

आगे मिलने वाले समस्याओं के सन्दर्भ में श्री मैक्रॉन ने कहा है कि वर्ष 2030 तक आईएसए के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 1 खरब डॉलर की आवश्यकता होगी, जिसके लिए भारत और फ्रांस ने क्रमश: 1.4 अरब डॉलर और 1.3 अरब डॉलर क्रमश: सुनिश्चित किया है।

यहाँ एक और विरोधाभास हैं जिस पर नई दिल्ली और पेरिस को विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, भारत के सौर ऊर्जा टैरिफ लगभग 2.40 यूनिट हैं और यहाँ बहुत कम संभावना है कि घरेलू उद्योग को लाभ प्रदान किया जा सके और ऐसा श्री मोदी चाहते हैं जब तक कि सौर पैनलों और अन्य घटकों की लागत

''इंडियन एक्सप्रेस''
रीशेपिंग इंडो-पैसिफिक

''भारत, फ्रांस एक-दूसरे के साथ साझेदारी पुराने ढांचे और नई समस्याओं को दूर करते हुए अधिक जिम्मेदारियों के साथ निभा रहे हैं।''

सामरिक भागीदारी के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने शनिवार को भारत में पारम्परिक गठबंधन के ढांचे और नई भू-राजनीतिक में व्याप्त दोष को दूर करने के लिए शक्ति गठबंधनों के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया है। अमेरिका के अनिश्चित बाहरी अभिविन्यास और वैश्विक क्रम को नयी आकृति प्रदान करने के चीन के प्रयासों के बीच, भारत और फ्रांस जैसी शक्तियां अधिक गहन सहयोग से विश्व मामलों में अपना बेहतर योगदान दे सकती हैं।

इस प्रक्रिया में, वे पूर्व बनाम पश्चिम और उत्तर बनाम दक्षिण की पुरानी रूढ़िवादी विचार को दूर कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन को कम करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत और फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से साझा वैश्विक नेतृत्व के लिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं।

फ्रांस, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के एक लंबे समय से स्थायी सैन्य सहयोगी रहा है, वह भारत जैसे एशियाई लोकतान्त्रिक देशों के साथ सुरक्षा साझेदारी बनाने के लिए नाटो से आगे बढ़ कर सोच रहा है। इसके बदले में दिल्ली, सराहना करता है कि दुनिया में इसकी एक बड़ी भूमिका के लिए खोज रूस या अमेरिका के साथ विशेष सुरक्षा भागीदारी में नहीं की जा सकती।

और ना ही ये एशिया और विश्व को अमेरिका और चीन के नए द्विपक्षीय ढांचे की कठोरता के बीच छोड़ना चाहता है। एक-दूसरे के साथ साझेदारी में अधिक जिम्मेदारियों को अपनाते हुए, दिल्ली और पेरिस इस बदलती दुनिया में अपने सापेक्ष राष्ट्रीय क्रम में सुधार करना चाहती हैं।

दिल्ली और पेरिस के बीच सहयोग के लिए भारत-प्रशांत क्षेत्र एक नए क्षेत्र के रूप में उभरा है। हालांकि फ्रांस के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी बहुत ही पुरानी है, लेकिन 1990 के दशक के आखिर में, इसमें एक क्षेत्रीय सहयोग की कमी थी। यहाँ मुख्य रूप से द्विपक्षीय रक्षा और उच्च तकनीकी सहयोग के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

काफी कम नहीं हो जाती। इसी समय, अधिक तापीय शक्ति, जिसके लिए टैरिफ अधिक हैं लेकिन जो सौर या पवन ऊर्जा से कम अस्थिर हैं, मांग की तुलना में उत्पादन किया जा रहा है।

फ्रांस की परमाणु ऊर्जा की कहानी एक सफलता है, लेकिन जैतापुर संयंत्र के लिए ईडीएफ और एनपीसीआईएल के बीच वार्ता, जो दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गई है, ने बहुत धीमी गति से प्रगति की है। हालांकि, दोनों देश 2018 के आखिर तक निर्माण शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं, यहाँ कई बार समय सीमा को याद तक नहीं किया जाता हैं।

हिंद महासागरीय क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग आज भी महत्वपूर्ण से अधिक प्रतीकात्मक है और बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि भविष्य में भारतीय और फ्रेंच नौसेना और खुफिया एजेंसी एक साथ कैसे काम करते हैं? इसके अलावा, चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को 'आगे बढ़कर' मदद करने के लिए श्री मैक्रॉन की समानांतर प्रतिबद्धता से भी यह परियोजना धुंधला हो सकता है।

बहुसंख्यक विश्व व्यवस्था में एक दृढ़ विश्वास के साथ और यूरेशिया के भविष्य में दो बहुलवादी लोकतांत्रिकता के रूप में, भारत और फ्रांस में कई रणनीतिक समानता हैं। लेकिन विश्व मंच पर सहयोग करने के लिए आम महत्वाकांक्षाएं, जैसा कि श्री मैक्रॉन और मोदी द्वारा पेश किया गया है, कुछ कठिन वास्तविकताओं में भी उतने ही आधार पर होना चाहिए।

* * *

भारत-प्रशांत क्षेत्र में अपने लंबे स्थायी राष्ट्रीय लाभों के साथ, जिसे अब वैश्विक परिवर्तन का भय है, इन दोनों ने एक दूसरे का सहयोग करने का निर्णय लिया है। उनकी साझा समुद्री दृष्टि हिंद महासागर में समुद्र के कानून को बनाए रखने की कोशिश करती है, जो संचार की समुद्र लाइनें सुरक्षित करती है, मानवतावादी आपदाओं का जवाब देने और निरंतर ब्लू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की कोशिश करता है।

इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए, दिल्ली और पेरिस इस क्षेत्र में अधिक से अधिक राजनीतिक समन्वय पर, परस्पर सहायक सहायता और अपने-अपने सुरक्षा बलों के बीच निर्बाध पारस्परिकता के लिए सहमत हुए हैं।

इंडो-पैसिफिक के उच्च राजनीति को प्रभावित करने के अपने प्रयास से परे हट कर, दिल्ली और पेरिस द्विपक्षीय संबंधों में एक विशाल अंतर को संबोधित करने के लिए सहमत हुए हैं। मैक्रॉन ने भारतीय छात्रों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और कलाकारों के लिए फ्रांस को एक प्रमुख स्थान बनाने का वादा किया है।

ऐसे समय में जब दुनिया में हर जगह सीमाओं का जाल बिछा हुआ है, यह भारतीयों के वैश्वीकरण की नई पीढ़ी के लिए एक बड़ा मौका है। भारत के लिए मैक्रों का बेजोड़ उत्साह ने फ्रांस को फिर से जीवंत करने और यूरोप को पुनर्जीवित करने के अपने प्रयास को दर्शाता है और यह अब दिल्ली के हाथों में है कि वह इस क्षण को सर्वश्रेष्ठ बनाए।

* * *

GS World टीम...

मैक्रों की भारत यात्रा का मकसद

- विदेश मंत्रालय ने कहा, प्रेसिडेंट मैंकों की यात्रा का उद्देश्य् आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक द्विपक्षीय संबंधों को आयाम देना है।

इन मुद्दों पर दोनों देश कर रहे काम

- विदेश मंत्रालय ने कहा, 'हमने डिफेंस, समुद्री, अंतरिक्ष, सुरक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार सहयोग बढ़ाया है और एक साथ सभी चिंताजनक मुद्दों पर काम बढ़ा रहे हैं, इनमें आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, सतत वृद्धि और विकास, आधारभूत संरचना, स्मार्ट शहरीकरण, साइंस और टेक्नोलॉजी और यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम '10.95 बिलियन डॉलर का व्यापार।
- भारत- फ्रांस के बीच द्विपक्षीय व्यापार अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 तक 10.95 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ।

भारत में बड़ा निवेशक है फ्रांस

- भारत में फ्रांस एक बड़ा निवेश करने करने वाला देश है। फ्रांस भारत में विदेशी पूंजी निवेश करने वाला 9वां सबसे बड़ा देश है। इस देश ने भारत में अप्रैल 2000 से अक्टूबर 2017 तक 6.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है।

1000 फ्रांसीसी कंपनियां भारत में मौजूद

- लगभग 1000 फ्रांसीसी कंपनियां भारत में हैं और भारत की 120 कंपनियों ने एक बिलियन यूरो का निवेश फ्रांस में हैं और करीब 7000 कर्मचारियों की तैनाती है।

गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे फ्रांसीसी राष्ट्रपति

- फ्रांसीसी प्रेसिडेंट फ्रांस्वा ओलांद 26 जनवरी, 2016 को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। पीएम मोदी ने जून, 2017 को फ्रांस की यात्रा पर गए थे।

भारत फ्रांस के बीच 1998 में शुरू सामरिक भागीदारी

- भारत-फ्रांस के बीच 1998 में शुरू हुई सामरिक हिस्सेंदारी एक महत्वपूर्ण व्यापक द्विपक्षीय रिश्तों की शुरुआत थी।

क्या है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए)?

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance) कर्क व मकर राशि के उष्णकटिबंध पर स्थित 121 देशों का गठबंधन है। यह सौर ऊर्जा पर आधारित एक सहयोग संगठन है जिसका मुख्यालय गुड़गांव (भारत) में है। इस गठबंधन का शुभारंभ भारत व फ्रांस द्वारा 30 नवम्बर, 2015 को पेरिस (फ्रांस) में किया गया। दुनिया में गैर परंपरागत ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले वैश्विक संगठन आईएसए का रणनीतिक भागीदार संयुक्त राष्ट्र है। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य उष्णकटिबंधीय देशों को सौर ऊर्जा के उचित दोहन के लिए एक मंच पर लाना है। यह गठबंधन सौर ऊर्जा के क्षेत्र में धनी देशों को प्रचुर संसाधनों के उचित उपयोग के लिए तैयार करेगा जिससे सौर ऊर्जा के उपयोग में आने वाली भारी लागत को कम किया जा सकेगा।

आईएसए के प्रमुख उद्देश्य

- इस संगठन का उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है।
- ऐसे देश जो पूरी तरह या आंशिक तौर पर कर्क रेखा और मकर रेखा के मार्ग में पड़ते हैं एवं सौर ऊर्जा के मामले में समृद्ध हैं, उनसे बेहतर तालमेल के जरिये सौर ऊर्जा की मांग को पूरा करना है।
- आईएसए का उद्देश्य सूर्य की बहुतायत ऊर्जा को एकत्रित करने के साथ देशों को एक साथ लाना है।
- यह सौर ऊर्जा के विकास और उपयोग में तेजी लाने की एक नई शुरुआत है, ताकि वर्तमान और भावी पीढ़ी को ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त हो सके।

संभावित प्रश्न

हाल ही में भारत के दौरे पर आये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैन्युअल मैक्रों ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये। इन दोनों देशों के लिए इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के महत्व को स्पष्ट करते हुए इनके सामरिक साझेदारी की चर्चा करें। (250 शब्द)

Recently, the President of France Emmanuel Macron, who has visited India, signed several agreements with Indian Prime Minister Narendra Modi. Explaining the importance of the Indo-Pacific region for these two countries, discuss their strategic partnership. (250 Worlds)

विरोध के बाद सहायता

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।।। (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

14 मार्च, 2018

''इंडियन एक्सप्रेस''

[लेखक- अशोक गुलाटी (चेयर प्रोफेसर, कृषि, इंफोसिस), गायत्री मोहन (सलाहकार, आईसीआरआईआर)]

''ऋण छूट और बढ़ी हुई एमएसपी महाराष्ट्र के किसानों को अस्थायी राहत प्रदान करेगा। इसलिए राज्य को वैकल्पिक फसल पैटर्न और सिंचाई के तरीके तलाशने की जरूरत है।''

सबसे पहले हमें महाराष्ट्र के कृषि संकट में दोनों पक्षों को एक सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने के लिए प्रशंसा करनी चाहिए जिसने कम से कम समय में प्रमुख रूप से व्याप्त अराजकता या हिंसा को दूर किया। इसके अलावा, किसानों को इनके अनुशासित, प्रतिबद्ध, अहिंसक 'लांग मार्च' के लिए और देवेन्द्र फडणवीस सरकार को उनकी मुख्य मांगों को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए भी प्रशंसा की जानी चाहिए।

हांलाकि, यहाँ एक सवाल है कि क्या कर्ज माफी या एमएसपी, स्वामीनाथन लागत के 50% से अधिक फार्मूले (किसानों की दो मुख्य मांग जिसे स्वीकार किया गया है) के साथ-साथ महाराष्ट्र की कृषि समस्याओं को हल कर पाएंगे? हरगिज नहीं। वर्तमान समझौता केवल राज्य के किसानों को अस्थायी राहत प्रदान करेगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ किया जाना चाहिए कि वे एक स्थायी तरीके से समृद्ध हों।

संकट का मुख्य कारण क्या है? जब फडनवीस सरकार ने अक्टूबर 2014 में पद ग्रहण किया था, तब महाराष्ट्र में तीन साल का नकारात्मक कृषि-जीडीपी शामिल था। केवल 2016-2017 में राज्य के कृषि क्षेत्र में 22.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य सरकार के अनुमानों के अनुसार यह 2014-15 में (-) 10%, 2015-16 में (-) 3.2% पंजीकृत है और इस वर्ष (-) 8.3% होने की संभावना है।

चार वर्षों में राज्य की औसत कृषि-जीडीपी वृद्धि शून्य है। यह राज्य में कृषि संकट का मूल कारण है। गन्ना किसानों को छोड़कर, अन्य फसलों के किसानों को बुरी तरह नुकसान हुआ है। उदाहरण के लिए, कपास, एक गुलाबी बॉलवोर्म के कारण बर्बाद हो गया जिसने 44 प्रतिशत फसल को नष्ट कर दिया था।

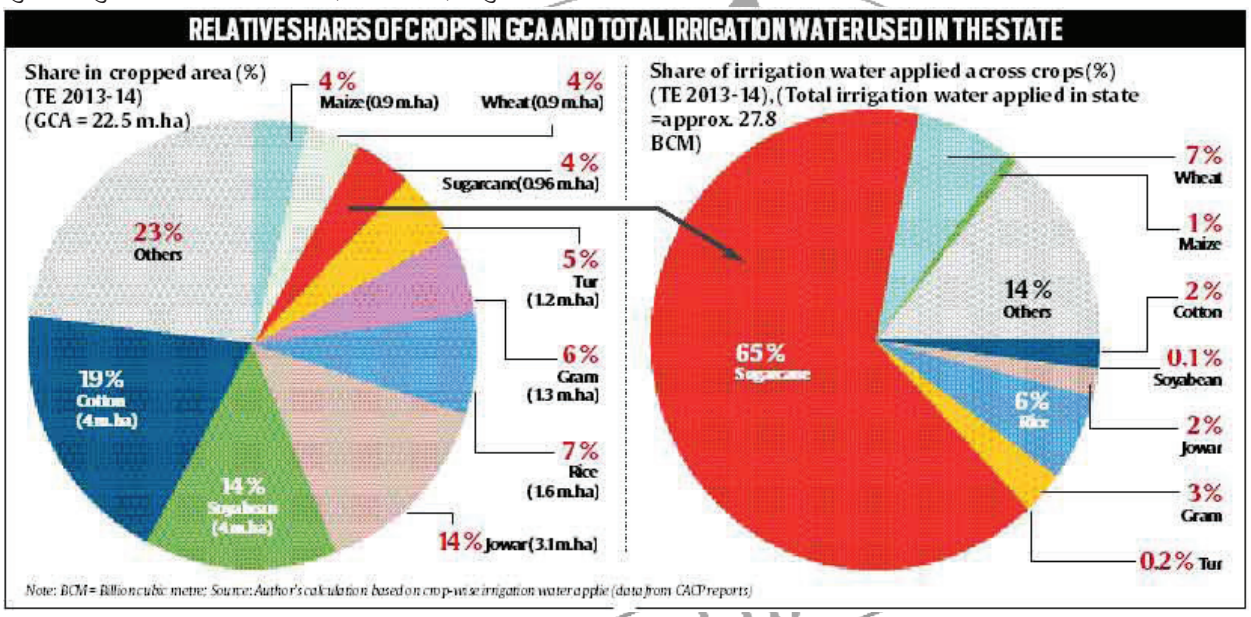

सोयाबीन, तूर के बाजार मूल्य, चना उनके एमएसपी से नीचे चला गया और चारा के एमएसपी ने फसल के उत्पादन की पूरी लागत को शामिल नहीं किया। यह राज्य के कुछ इलाकों में गंभीर संकट को दर्शाता है, जो लगभग एक कृषि आपातकाल के समान है। राज्य सरकार ने अभी नाम मात्र उपचार करने की कोशिश की है, जो कि पर्याप्त नहीं है।

महाराष्ट्र में कृषि को वापस पटरी पर लाने के प्रयासों में राज्य के जल संसाधनों के साथ फसल पैटर्न को फिर से संरेखित करना होगा। महाराष्ट्र के फसल वाले इलाके का केवल 19 प्रतिशत सिंचाई के तहत है, 47 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से नीचे है। इसलिए, राज्य की प्राथमिकता सिंचाई कवर का विस्तार होना चाहिए।

महाराष्ट्र में कृषि परिदृश्य का विरोधाभास यह है कि राज्य में गन्ना फसली क्षेत्र (जीसीए) का सिर्फ 4 प्रतिशत हिस्सा गन्ने का है, सिंचाई के पानी का 65 प्रतिशत हिस्सा लेता है, जबकि कपास, सोयाबीन, ज्वार, मक्का, चना और तूर, जो एक साथ जीसीए के 60 प्रतिशत से अधिक का गठन करते हैं, उन्हें सिंचाई के पानी का लगभग 8% (ग्राफ देखें) प्राप्त होता है। जब तक इस असंतुलन को सही नहीं किया जाता है, तब तक महाराष्ट्र एक सूखे का सामना करता रहेगा।

गन्ने में अनिवार्य ड्रिप सिंचाई, जिसमें राज्य सरकार को लगभग 7,000 करोड़ रुपये का व्यय आएगा, सिंचाई के पानी का लगभग आधा हिस्सा बचा सकता है और अगर इसे कपास, ज्वार, मक्का या सोयाबीन में बदल दिया जाता है तो भी यह इसकी उत्पादकता में काफी सुधार कर सकता है। और इनमें से अधिकतर एक मिशन मोड में, अधिकतम दो वर्षों के भीतर किया जा सकता है।

महाराष्ट्र में सबसे अधिक संख्या में बांध और प्रमुख और मध्यम सिंचाई योजनाएं हैं। 10 वीं और 11 वीं पंचवर्षीय योजनाओं (2002-2003 से 2011-2012) के दौरान, इन योजनाओं पर संचयी व्यय 2014-15 की कीमतों में 1,18,235 करोड़ रुपये था। इसने राज्य की सिंचाई क्षमता में केवल 8.9 लाख हेक्टेयर की वृद्धि की, जिसमें से उस अवधि के दौरान केवल 5.9 लाख हेक्टेयर का उपयोग किया गया था।

यह 2014-15 की कीमतों में उपयोग किए गए लगभग 20 लाख/हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की लागत के बराबर है। जो एक घोटाले से कम नहीं है। पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन के बिना, प्रमुख नहर सिंचाई योजनाएं एक अतिव्ययी प्रस्ताव हैं।

सौर-आधारित ड्रिप सिंचाई एक बेहतर विकल्प है और सौर सुविधा कोयला आधारित बिजली आपूर्ति की तुलना में अतिरिक्त ऊर्जा को ग्रिड में वापस 15 प्रतिशत प्रीमियम के रूप में वापस कर सकती है। सिंचाई में सुधार और पैदावार में वृद्धि के अलावा, सौर सुविधाओं से किसानों को नियमित आश्वासन दिया जाएगा और सूखे के दौरान बीमा होगा। ऐसी योजनाओं को निजी क्षेत्र या बहुपक्षीय एजेंसियों से दीर्घकालिक ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया जा सकता है।

ऋण छूट पर पहले ही पिछले साल सहमति हो गई थी और वर्तमान में फेरबदल 34,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत को लगभग 40,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा सकती है। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार, केवल 11,000 करोड़ रुपये का कर्ज दिसंबर 2017 तक तय किया गया है। एक संदेह यह है कि अगले छह महीनों में बाकी ऋण माफी किया जा सकता है या नहीं।

हालांकि, स्वामीनाथन फार्मूले के आधार पर एमएसपी को स्वीकार करने के बारे में महाराष्ट्र सरकार का बयान सबसे बड़ा है। एमएसपी मूल्य निर्धारण केंद्र द्वारा किया जाता है और केंद्र लागत A2+FL (भुगतान की लागत और अधिसूचित पारिवारिक श्रम लागत) की बात कर रहा है और व्यापक लागत की नहीं।

किसी भी मामले में, अगर महाराष्ट्र एमएसपी के रूप में वास्तव में लागत C 2 से 50 प्रतिशत दे रहा है, तो इसे ज्वार के एमएसपी को 90 प्रतिशत से अधिक, कपास के लगभग 60 प्रतिशत और मूंगफली, सोयाबीन और मक्का से लगभग 40 प्रतिशत तक बढ़ाना पड़ेगा।

यहां तक कि 1.5 गुना लागत A2+FL पर, ज्वार के एमएसपी को 40 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की जरूरत है और कपास की मात्रा लगभग 20 प्रतिशत तक बढ़ाना होगा। क्या महाराष्ट्र ऐसा कर सकता है? यह केवल समय ही बता पायेगा। एक अधिक कुशल, पारदर्शी और न्यायसंगत विकल्प ही किसानों को हर हेक्टेयर आधार पर प्रत्यक्ष आय सहायता दे सकता है।

* * *

GS World टीम...

क्या है मामला?

- महाराष्ट्र के तमाम जिलों के 30,000 से ज्यादा किसान 5 मार्च को नासिक से 'लंबी यात्रा' पर निकले थे। जहाँ उन्होंने मुंबई से 170 किलोमीटर उत्तर स्थित कृषि के प्रमुख केंद्र से चलकर किसान मुंबई पहुंच कर विरोध प्रदर्शन किया था।
- बेहतर उत्पादन के बाद अगले ही साल बारिश कम होने से घटा उत्पादन
- किसानों का आरोप है कि कर्जमाफी और वन अधिनियम सही तरीके से लागू न करने से बढ़ी समस्या
- कपास की उत्पादकता प्रति एकड़ महज एक क्विंटल
- जीन संवर्धित बीज भी कपास की खेती को कीटों के हमले से नहीं बचा सके
- सरकार ने 340 अरब रुपये की कर्जमाफी में से सिर्फ 139 अरब रुपये जारी किए, सभी किसानों को नहीं मिला लाभ।
- महाराष्ट्र का किसान संकट एक सटीक उदाहरण है कि किस तरह से राज्य की आर्थिक स्थिति, बिना सोचे समझी योजनाएं, राजनीतिक लोकप्रियता की तलाश में कर्ज माफी और राज्य में बढ़ती कृषि संकट को हल करने के लिए गलत सलाह का चयन से, बिगड़ती चली जाती है।

क्या कहते हैं आंकड़े

- नवीनतम आर्थिक सर्वे (2017-18) के मुताबिक विकास दर 2017-18 में गिरकर 7.3 फीसदी हो गई है। ये महाराष्ट्र के फडणवीस सरकार के तीन सालों के शासन में सबसे कम विकास दर है। महाराष्ट्र में पिछले वित्तीय वर्ष में विकास दर 10 फीसदी थी और 2015-16 में भी 7.6 फीसदी थी।
- इस बार राजकोषीय व्यय उस समय बहुत तेजी से बढ़ गया, जब किसानों की कर्ज माफी के लिए सरकार को अलग से 20 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी पड़ी। इससे इस साल के शुरु में अनुमानित राजस्व घाटा 4,511 करोड़ रुपया और राजकोषीय घाटा 38,789 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा बढ़ गया।
- सबसे बड़ा राज्य को झटका लगा है कृषि क्षेत्र से, जो राज्य की आबादी के पचास फीसदी से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। यहां पर सर्वे के मुताबिक अनुमानित तौर पर 2017-18 में इस क्षेत्र का विकास घटकर 8.3 फीसदी हो गया है।
- पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य की विकास दर 10 फीसदी थी जिसमें सबसे बड़ा योगदान कृषि क्षेत्र और उससे जुड़ी गतिविधियों का ही था जिनमें 22.5 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया था। हालांकि इसके पीछे अच्छे मानसून का भी योगदान था।
- 2001-02 में जहां शुद्ध आय में इसकी भागीदारी 15.3 प्रतिशत थी वो 2016-17 आते-आते घट कर 12.2 फीसदी रह गई। जीडीपी में आजादी के समय कृषि क्षेत्र का योगदान करीब 50 फीसदी का था जो अब घटते-घटते 13-फीसदी तक रह गया है।
- राज्य में किसानों के हो रहे लगातार आंदोलन को देखते हुए फडणवीस सरकार ने इसे सुलझाने के लिए कर्ज माफी का आसान रास्ता चुना। सरकार ने तात्कालिक फैसला करते हुए किसानों को कर्ज माफ करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन कृषि क्षेत्र की समस्या का स्थायी समाधान खास करके सिंचाई के क्षेत्र में और बाजार की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए उसने कोई दीर्घकालिक और स्थायी उपायों पर ध्यान नहीं दिया।

संभावित प्रश्न

हाल ही में भारत के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए उग्र और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया गया, जिसके बाद सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं के लिए कर्ज माफी जैसे कुछ कदम उठाए गए। क्या कर्ज माफी के कृषि की समस्या का समाधान संभव है? आलोचनात्मक परीक्षण करें। (250 शब्द)

Recently, in some states of India, agitation was carried out by farmers to persuade their demands in a raging and peaceful manner, after which some steps were taken by the government like loan waiver. Is it possible to solve the problem of agriculture through loan waiver? Critically analyze. (250 words)

GS World Committed to Excellence

फार शॉर्ट ऑफ द पोटेंशियल

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

15 मार्च, 2018

''द हिन्दू''

(लेखक- पल्लवी अय्यर (विश्व आर्थिक मंच के साथ युवा लीडर)

''रणनीतिक संबंधों के सन्दर्भ में भारत-जापान आर्थिक संबंध कमजोर है।''

सिद्धांत रूप में, ऐसे दो देशों को ढूंढना कठिन है जो तेजी से बढ़ने की तुलना में आर्थिक रूप से फिट हो। भारत को अपने बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और निवेश की आवश्यकता है, जबकि जापान को पूंजी और अतिरिक्त जानकारी साझा करने की आवश्यकता है।

एशिया में चीनी वर्चस्व के मुकाबले उनके पास एक समान रणनीतिक उद्देश्य है, जो एक लक्ष्य है जिसे बेहतर सहयोग के साथ और बेहतर बनाया जा सकता है। ये भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से करीब है, लेकिन बहुत करीब नहीं हैं और इसलिए विवादास्पद मुद्दों जैसे सीमा विवादों से मुक्त है।

बढ़ता संबंध-

नतीजतन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिंजो अबे ने दोनों देशों के संबंधों को उन्नत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। नियमित रूप से उच्च प्रोफाइल वाले द्विपक्षीय दौरे ने उनके साथ समझौता ज्ञापन, कुछ बड़ी परियोजनाएं, विशेष रूप से भारत की पहली बुलेट ट्रेन में जापानी निवेश और आर्थिक संबंधों को तेजी से बढ़ने के लिए राजनीतिक उपक्रम एक बेहतर पहल है।

वर्तमान में भारत में सक्रिय 1,369 जापानी कंपनियां और 4,800 जापानी कॉर्पोरेट कार्यालय सक्रिय हैं। भारत में जापानी निवेश 2016-17 में 4.7 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष से 2.6 अरब डॉलर से अधिक था। जापान वर्तमान में भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है।

और फिर भी, भारत-जापान आर्थिक संबंध अपनी क्षमता के संबंध में और उन संबंधों के लिए जो दोनों देश चीन के साथ साझा करते हैं, वहाँ असरदार रहे हैं। जापान के विदेश व्यापार संगठन (JETRO) के आंकड़ों के मुताबिक, भारत ने 1996-2015 (116 अरब डॉलर) के मुकाबले चीन को करीब पांच गुना ज्यादा निवेश किया था (24 अरब डॉलर)।

जापान-भारत दो-तरफा व्यापार (2016-17 में 13.48 अरब डॉलर) भी चीन-जापान व्यापार संबंध (350 अरब डॉलर) या भारत-चीन व्यापार (2017 में 84.44 अरब डॉलर) से काफी भिन्न है। वास्तव में, जापान के कुल व्यापार में भारत-जापान व्यापार का हिस्सा मात्र 1% है, जबकि शेष दुनिया के साथ भारत का 2% से अधिक व्यापार है।

इस अंतर को पूरी तरह से सामान्य रूप से समझाया नहीं जा सकता है जो भारत में विदेशी निवेशकों को अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, जटिल कर नियमों और भूमि अधिग्रहण समस्याओं के करण पीछे रखते हैं।

जेट्रो के प्रवासी शोध विभाग के प्रबंधक टॉमोफूमी निशिजावा ने वर्ष 2015 तक अपने संगठन के लिए भारत कार्यालय में पांच साल बिताए। उनके अनुसार भारत में जापानी कंपनियों को अपने कोरियाई या चीनी समकक्षों की तुलना में अधिक समय लगता है ताकि भारतीय बाजार के लिए अपने उत्पादों को स्थानीय बनाना बेहतर हो सके।

उन्होंने एक एयर कंडीशनर का उदाहरण बताया। जापानी यह सोचते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व एयर कंडीशनर की गुणवत्ता है ताकि इसमें ज्यादा मरम्मत की आवश्यकता न पड़े। लेकिन भारत में यह एक वातानुकूलित को मरम्मत करना सस्ता है और इसके लिए तकनीशियन प्रचुर मात्रा में हैं।

इसलिए उपभोक्ता स्थायित्व की तुलना में लागत पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। जापानी निर्माता, Daikin, जिसने हाल ही में राजस्थान में एक दूसरी विनिर्माण सुविधा को स्थापित किया है, एक ऐसी कंपनी का उदाहरण है जो अंततः इस पर कार्य करते हुए स्थानीय स्तर पर उन्हें सोर्सिंग के लिए जापान से महंगे हिस्सों को आयात करती हैं।

भारत की छवि

लेकिन श्री निशिजावा के अनुसार सबसे बड़ी चुनौती सांस्कृतिक है: भारत की पुरानी और नकारात्मक छवि। उन्होंने कहा कि भारत में नौकरियों के लिए चुने गए कर्मचारी अक्सर कार्य करते हैं जैसे कि उन्हें बहुत मुश्किल चुना गया हैं।

बड़े निगमों को भारत की क्षमता का एहसास हो सकता है, लेकिन छोटे और मध्यम उद्यम इस दृष्टिकोण के सबसे खराब अपराधियों में से एक हैं। 'शायद हमारे दृष्टिकोण को जातिवाद कहा जा सकता है,' उन्होंने कहा। लेकिन इसे बदलना बहुत मुश्किल है।

सांस्कृतिक संबंधों में पाबंदी के बीच अंतर और रुकावट है। जापान में, समय पर कार्य करना धर्म के समान है, जबकि भारत में, ये स्थिति नहीं है। आखिरकार, जापानी निगमों को दृढ़ता से जोखिम का सामना करना पड़ता है, जो उनके लिए स्वतंत्रता के साथ, भारत के जुगाड वातावरण में रह कर कार्य सामना करना मुश्किल बना देता है। श्री निशिजावा कहते हैं, ''हम (जापान) वैश्विक मानदंड नहीं हैं, लेकिन हम कार्य करते हैं जैसे हम हैं। जब तक हम अधिक लचीला न हो जाएं और अन्य तरीकों से बेहतर अनुकूल नहीं होंगे, हम सफल नहीं होंगे।''

कुछ आशावाद

लेकिन यह निराशावाद बहुत अधिक हो सकता है। हालिया विकास जो बेहतर भविष्य का निर्माण करता है, वह भारत और पड़ोसी क्षेत्र में पैनासोनिक ग्राहकों के लिए स्मार्ट समाधान और उत्पादों का विकास करने के लिए जापान के पैनासोनिक और भारत के टाटा एलक्ससी के बीच सहयोग है। श्री निशिजावा कहते हैं, ''यह केवल भारत में संभव है, क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए क्षमता और कौशल शामिल है जो जापानी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।''

द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने में दक्षिण एशियाई बाजारों के लिए जापानी उत्पादों को विकसित और डिजाइन करने के लिए अधिक से अधिक भारतीय कंपनियों के साथ मिल कर कार्य करना एक प्रमुख तरीका हो सकता है।

दूसरा, अफ्रीका में बाजारों के लिए विनिर्माण आधार के रूप में भारत का उपयोग है, यह एक प्रवृत्ति है जो जापान के व्यापार रणनीतिकारों के लिए दिलचस्प है। मौजूदा उदाहरणों में टाटा के साथ हिताची कंस्ट्रक्शन मशीनरी का संयुक्त उपक्रम शामिल है, जिसका खड़गपुर प्लांट विकासशील देशों के लिए निर्यात के लिए एक केंद्र है, साथ ही साथ ऑटो प्रमुख निसान, जो दक्षिण अफ्रीका में भारत-निर्मित डैटसन जीओ+ का निर्यात करता है।

और अभी तक श्री निशिजावा ने जो निष्कर्ष निकाला है, वह है कि ''G (सरकार) से G संबंध, B (व्यवसाय) से B के मामले में बहुत आगे है।'' इस दूरी को कम करना एक कठिन सवाल है।

* * *

GS World टीम...

भारत-जापान मित्रता और चीन की आपत्ति

- चीन यह मानता है कि भारत और जापान के नेताओं की हर मुलाकात में चीन प्राथमिकता के स्तर पर आता है। और यह सही भी है। भारत और जापान के बीच जो निकटता बढ़ी है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारक चीन ही है।
- चीन और जापान के संबंध मधुर तो कभी नहीं रहे, लेकिन दक्षिण चीन सागर के द्वीप विवाद के चलते इनका तनाव काफी बढ़ गया।
- इसी प्रकार भारत-चीन के संबंध रहे, जो हाल ही में समाप्त हुए डोकलाम विवाद के दौरान काफी तनावपूर्ण हो गए थे।
- इन परिस्थितियों में केवल भारत और जापान ही नहीं, बल्कि क्षेत्र के अन्य देश भी चीन की बढ़ती महत्त्वाकांक्षा से चिंतित हैं।
- भारत धीरे-धीरे हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और उसकी प्रतिस्पर्धा चीन से है, जो श्रीलंका, मालदीव, म्याँमार व पाकिस्तान में अपने सामरिक प्रभाव में निरंतर वृद्धि कर रहा है।
- ऐसे परिदृश्य में भारत तथा जापान के मध्य आर्थिक, प्रौद्योगिकी एवं सामरिक सहयोग राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अर्थव्यवस्था दोनों के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
- भारत की तरह जापान भी चीन के बढ़ते हुए खतरे को महसूस करने लगा है। यही कारण है कि दोनों देश सामरिक संबंधों को तेजी से और आगे ले जाने पर सहमत हुए हैं।
- अमेरिका ने पश्चिम एशिया तथा अफगानिस्तान में अपना हस्तक्षेप बनाए रखने के लिये जब ऐसा किया तो जापान को लगा कि पूर्व एशिया में उसकी रुचि कम हो रही है।
- जापान और अमेरिका निकट सामरिक सहयोगी हैं, लेकिन एशिया के इस क्षेत्र में अमेरिका की रुचि अपेक्षाकृत कम होने के बाद चीन के दबदबे को कम करने के लिये उसने भारत के निकट आने में संकोच नहीं किया।

भारत-जापान के बीच हुए अहम् समझौते

- **बुलेट ट्रेन समझौता :** 503 किलोमीटर लंबे मुंबई-अहमदाबाद रूट पर 300 किमी. की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। जापान ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए लगभग 90 हजार करोड़ रुपए की फंडिंग का प्रस्ताव दे चुका है। जापान की एजेंसी जीका के अनुसार मुंबई-अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 98 हजार करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी।
- **भारत आने पर वीजा :** भारत सभी जापानी लोगों के लिए आगमन पर वीजा (वीजा ऑन अराइवल) को 1 मार्च, 2016 से शुरू किया जा चुका है। यह इलेक्ट्रॉनिक वीजा सुविधा से अलग है।
- **भारत-जापान असैन्य परमाणु करार :** भारत और जापान के बीच परमाणु समझौते पर करार हुआ है। वर्तमान में अभी इसमें कानूनी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है, लेकिन दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु सहयोग पर सहमति बन चुकी है। यह करार शांतिपूर्ण और सुरक्षित विश्व के उद्देश्य के लिए आपसी विश्वास और रणनीतिक भागीदारी के नए स्तर का प्रतीक है। भारत ने इस मुद्दे पर साझा प्रतिबद्धताओं का भी सम्मान करने का वचन दिया है। दोनों देश स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में व्यापक सहयोग के लिए कार्य करने पर सहमत हैं।
- **भारत-जापान रक्षा विनिर्माण करार :** सुरक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देश एक-दूसरे के निकट आए हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा विनिर्माण को लेकर करार किया गया है. इसके साथ ही मलाबार नौसैन्य अभ्यास में भारत-अमेरिका की नौसेनाओं के संयुक्त अभ्यास में जापान की सहभागिता जारी रहेगी। इससे भारत को सामरिक क्षेत्र में लाभ मिलेगा। ये सशस्त्र बलों के तीनों अंगों की वार्ता को विस्तार देंगे।
- **पूर्वोत्तर में सड़क निर्माण :** इसे सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. जापान, भारत से साथ मिलकर पूर्वोत्तर (चीन से सटी सीमा पर) में सड़क का निर्माण करेगा। इससे इस क्षेत्र में भारत की सामरिक शक्ति बढ़ जाएगी। अभी तक भारत की ओर से इस क्षेत्र में सड़कें आदि बेहतर नहीं हैं, जबकि चीन ने सीमा के निकट तक उच्चस्तरीय सड़कें बना ली हैं। इनमें हवाई अड्डे आदि भी शामिल है।

संभावित प्रश्न

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत का जापान के साथ बेहतर संबंध दोनों देशो के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए भी बेहतर साबित हो सकता है। ऐसे में दोनों देशो को अपने आर्थिक संबंधो के साथ-साथ रणनीतिक संबंधों में व्याप्त अंतर को दूर करने के लिए क्या उचित कदम उठाये जाने चाहिए? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

In the current perspective, India's relationship with Japan can prove to be better for both the countries as well as for the world. In such a situation, what appropriate steps should be taken to remove the differences between the two countries in their economic relations as well as the differences in strategic relations? Discuss. (250 words)

GS World Committed to Excellence

क्या सक्रिय इच्छामृत्यु अगला चरण होगा?

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

16 मार्च, 2018

''द हिन्दू''

पक्ष [(लेखक- सुशीला राव)]

'कॉमन कॉज' में घोषित अधिकार परिमाणीकृत परिस्थितियों में सक्रिय इच्छामृत्यु तक विस्तारित है।

यदि निष्क्रिय इच्छामृत्यु एक गारंटीकृत मौलिक अधिकार है, तो एक कठोर 'सक्रिय' बनाम 'निष्क्रिय' यूथेनेसिया अंतर (एपीडी) विश्लेषणात्मक रूप से अरक्षणीय है। श्कॉमन कॉजश बनाम संघ मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2011 के अरुणा शानबाग बनाम संघ मामले के नियमों का आधार बनाते हुए, 'निष्क्रिय' इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिसमें गंभीर मानसिक रूप से अक्षम मरीजों के लिए अनैच्छिक निष्क्रिय निष्क्रियता शामिल थी।

संविधान के अनुच्छेद 21 को 'गरिमा के साथ मरने का अधिकार' की गारंटी देते हुए अदालत ने भविष्य में अक्षमता के मामले में व्यक्तियों की इच्छाओं को लागू करने के लिए अंतरिम दिशानिर्देश जारी किए हैं।

सक्रिय और निष्क्रिय

अरुणा और कॉमन कॉज ने यू.के. अदालतों द्वारा मुख्य रूप से न्यायिक एपीडी विकसित किया है। एपीडी ष्हत्याष और 'मरने के लिए छोड़ देना' के बीच जाहिर तौर पर स्वयंसिद्ध नैतिक और कानूनी विरोधाभास के लिए लघुकथा बन गया है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के नैतिक और न्यायिक आधारों का तार्किक रूप से कहना है कि सामान्य कारण में घोषित अधिकार सावधानीपूर्वक परिस्थितियों में 'सक्रिय' इच्छामृत्यु तक विस्तृत है।

कुल मिलाकर, जजों और समीक्षकों को यूथेनेसिया के संदर्भ में यह पता है कि यहाँ सब एक समान है क्योंकि यहाँ जानबूझकर 'करना' (सक्रिय) और 'नहीं करना या करने से रोकना' (निष्क्रिय), जो मृत्यु के करीब ले जाता है, के बीच कानूनी तौर पर कोई स्पष्ट अंतर व्याप्त नहीं है।

नतीजतन, एपीडी मौलिकता के बारे में कानूनी फिक्शन का एक दलदल है और मौत का 'अंतिम' कारण है, जो जांच का सामना नहीं करते। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उन लोगों के लिए एक मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकार से इनकार कर सकता है जिनसे इसे एक्सेस करने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है।

स्पष्ट है, एपीडी में इन अंतर्निहित विरोधाभास एक व्यापक और सुसंगत विधायी और नीतिगत ढांचे की कमी के कारण विवादित नियम बनाने के अनिवार्य परिणाम हैं। एपीडी एक व्यापक और दोषपूर्ण न्यायिक निर्माण है अर्थात, अनैतिक व्यक्तियों द्वारा इसके दुरुपयोग की संभावना है।

ये दुविधाएं संसद के दायरे में आती हैं, जिन्हें उन्हें हल करने के लिए कार्य करना चाहिए। जस्टिस डी.वाई.चंद्रचूड़ कहते हैं कि, 'जैव-नैतिकता और कानून के बीच का मुद्दा सीधे तौर पर झूठ नहीं बोलता है' और इन जटिल मुद्दों को सक्रिय वरीयताओं के वैधीकरण और विनियमन के बिना संबोधित नहीं किया जा सकता।

विपक्ष [लेखक - पिंकी आनंद (भारत के अपर सॉलिसिटर जनरल)]

इस दिशा में एक और कदम 'हत्या' के रूप में ष्दया हत्याष के विरोध में हो सकता है।

इच्छामृत्यु हमेशा एक मुश्किल विषय रहा है। जबकि कुछ इसे अनैतिक और ईश्वर की इच्छा के विरूद्ध मानते हैं, तो कई इसे एक ऐसे व्यक्ति की जिंदगी को समाप्त करने का कार्य के रूप में देखते हैं जो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है और इसे लगभग एक धर्मार्थ के रूप में देखते हैं।

एक धुँधली रेखा-

यहाँ एक प्रश्न है कि हम हत्या और दान के कार्य के बीच सीमा का निर्धारण कैसे करते हैं? क्या मृत्यु की मांग कर रहे व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर विचार किया जा सकता है? हम मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध उपचारों के साथ-साथ किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावी ढंग से कैसे बदल सकते हैं? हमारे कानून में यूथनेसिया की अवधारणा कहां स्थित है? और हम उस व्यक्ति के बीच भेद कैसे करते हैं जिसने जीने की इच्छा ही खो दी है और जो जी ही नहीं सकता है? 'दया मृत्यु' क्या है? और हम इसे 'हत्या' से कैसे भिन्न मान सकते हैं?

सर्वोच्च न्यायालय ने, पी. रथिनम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1994) मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत आत्महत्या करने की कोशिश की, संवैधानिकता पर बहस की और प्रावधानों को समाप्त कर डाला। पहली बार, मरने का अधिकार गरिमा के साथ जीने के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया था। पंजाब (1996) के गियान कौर बनाम राज्य में इस पर फिर से बहस हुई, जहां अदालत ने पी. रथिनम के फैसले को खारिज कर दिया और कहा कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट, अरुणा शानबाग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2011) में, निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिए दिशानिर्देशों को निर्धारित किया था और यह उन रोगियों से जीवन-निरंतर उपचार वापस लेने से संबंधित था, जो एक उचित निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं। इस बहस को फिर से आगे बढ़ाया गया है, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार के एक अयोग्य भाग के रूप में सम्मान के साथ मरने का अधिकार को सही ठहराया।

इस फैसले ने एक ऐसे व्यक्ति की रक्षा करने के लिए सुरक्षा उपायों का निर्माण किया है जो एक कमजोर स्थिति में है और इसमें स्वीकार्य मोड के रूप में लिविंग विल को शामिल किया गया है, जिसके द्वारा इच्छामृत्यु के अधिकार का उपयोग किया जा सकता है।

यह फैसला प्रशंसनीय है, क्योंकि जैसा कि यह रोगी के करीब रहने वाले लोगों को जीवन-निरंतर समर्थन को दूर करने के अपराध से मुक्त करता है। यह एक व्यक्ति को गरिमा और सम्मान से मरने की अनुमति देता है। यह न्यायालयों के फैसले की एक श्रृंखला के रूप में आया है, जिसे न्यायालय ने प्रदान किया है, गोपनीयता के अधिकार और गरिमा के अधिकार को शामिल करने के लिए जीवन के अधिकार की परिभाषा का विस्तार किया है।

मनोवैज्ञानिक समस्या

इच्छामृत्यु एक बहुत ही विवादास्पद मुद्दा है, क्योंकि यह भावनाओं से भरा एक निर्णय है। किसी व्यक्ति के लिए मृत्यु की मांग अप्राकृतिक है। इच्छामृत्यु अक्सर एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। जीवन में कई मोड़ और समस्याएं आती हैं और हम में से कई अक्सर नुकसान और अवसाद का सामना करते हैं जो अस्थायी रूप से हमारी शक्ति को कम करते हैं।

यदि कोई और कदम उठाया गया है, तो यह लोगों को मानसिक बीमारी से पीड़ित कर देगा, जो अपने दिमागों के साथ-साथ अनैतिक तत्वों से भी प्रभावित होंगे। अदालत ने हमें अपनी मृत्यु चुनने का अधिकार हमें सम्मान के साथ दिया है, लेकिन हमे इसकी सीमा का विशेष ध्यान रखना होगा।

GS World टीम...

क्या है मामला?

- सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने आदेश दिया है कि असाध्य रोग से ग्रस्त व्यक्ति ने उपकरणों के सहारे उसे जीवित नहीं रखने के संबंध में यदि लिखित वसीयत दिया है, तो यह वैध होगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वसीयत का पालन कौन करेगा और इस प्रकार की इच्छा मृत्यु के लिए मेडिकल बोर्ड किस प्रकार हामी भरेगा, इस संबंध में वह पहले ही दिशा-निर्देश जारी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में कानून बनने तक उसकी ओर से जारी दिशा-निर्देश और हिदायत प्रभावी रहेंगे।

क्या है लिविंग विल?

- लिविंग विल में कोई भी व्यक्ति जीवित रहते वसीयत कर सकता है कि लाइलाज बीमारी से ग्रस्त होकर मृत्यु शैय्या पर पहुंचने पर शरीर को जीवन रक्षक उपकरणों पर न रखा जाए।
- लिविंग विल एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें कोई मरीज पहले से यह निर्देश देता है कि मरणासन्न स्थिति में पहुंचने या रजामंदी नहीं दे पाने की स्थिति में पहुंचने पर उसे किस तरह का इलाज दिया जाए।

क्या है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु?

- सुप्रीम कोर्ट ने मरणासन्न व्यक्ति द्वारा इच्छा मृत्यु के लिए लिखी गई वसीयत (लिविंग विल) को मान्यता दी है। लिविंग विल एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें कोई मरीज पहले से यह निर्देश देता है कि मरणासन्न स्थिति में पहुंचने या रजामंदी नहीं दे पाने की स्थिति में पहुंचने पर उसे किस तरह का इलाज दिया जाए। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) वह स्थिति है जब किसी मरणासन्न व्यक्ति की मौत की तरफ बढ़ाने की मंशा से उसे इलाज देना बंद कर दिया जाता है।

क्या है सक्रिय इच्छा मृत्यु?

- सक्रिय इच्छामृत्यु वह है जिसमें चिकित्सा पेशेवर या कोई अन्य व्यक्ति कुछ जानबूझकर ऐसा करते हैं जो मरीज के मरने का कारण बनता है। सक्रिय इच्छामृत्यु भारत समेत दुनिया के अधिकांश हिस्सों में नहीं है।
- सिर्फ कुछ देशों में यह प्रचलन में है। इसमें रोगियों को घातक इंजेक्शन देकर मौत दे दी जाती है। सक्रिय इच्छामृत्यु को लेकर नैतिकता का मुद्दा दुनिया भर में बहस का विषय है।
- एक वाक्य में कहें तो एक्टिव यूथेनेशिया वह है, जिसमें मरीज की मृत्यु के लिये कुछ किया जाए, जबकि पैसिव यूथेनेशिया वह है जहाँ मरीज की जान बचाने के लिये कुछ न किया जाए।
- सक्रिय इच्छा मृत्यु के मामले में ठीक न हो सकने वाले बीमारी की हालत में किसी मरीज को उसकी इच्छा से मृत्यु दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में सक्रिय इच्छा मुत्यु पर कोई सुनवाई नहीं है। देखा जाये तो, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस और इटली जैसे यूरोपीय देशों सहित दुनिया के ज्यादातर देशों में इच्छा मृत्यु गैर-कानूनी है।

इन देशों में मौजूद है इच्छा मृत्यु का कानून

- **अमेरिका**- यहां सक्रिय इच्छा मृत्यु गैर-कानूनी है, लेकिन ओरेगन, वॉशिंगटन और मोंटाना राज्यों में डॉक्टर की सलाह और उसकी मदद से मरने की इजाजत है।
- **स्विट्जरलैंड**- यहां खुद से जहरीली सुई लेकर आत्महत्या करने की इजाजत है, हालांकि इच्छा मृत्यु गैर-कानूनी है।
- **नीदरलैंड्स**- यहां डॉक्टरों के हाथों सक्रिय इच्छा मृत्यु और मरीज की मर्जी से दी जाने वाली मृत्यु पर दंडनीय अपराध नहीं है।
- **बेल्जियम**- यहां सितंबर, 2002 से इच्छा मृत्यु वैधानिक हो चुकी है।

* * *

संभावित प्रश्न

"हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि गरिमा के साथ मृत्यु एक मौलिक अधिकार है।" निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को समझाते हुए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

(250 शब्द)

"In a historic judgment recently, the Supreme Court said that death with dignity is a fundamental right." Explain the passive desire death and critique the Supreme Court's decision.

(250 Words)

आन्ध्र में राजनीतिक विवाद

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

17 मार्च, 2018

''हाल ही में तेलुगू देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने आखिरकार केंद्र सरकार से अपना चार साल पुराना नाता तोड़ लिया है। ये सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा ना दिए जाने की वजह से नाराज थे।'' इस संदर्भ में अंग्रेजी समाचार-पत्र ''द हिन्दू'' एवं ''इंडियन एक्सप्रेस'' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे "GS World" टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

''द हिन्दू''
(आंध्र त्रिकोण : टीडीपी एनडीए से बाहर)

प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति भाजपा के साथ टक्कर के लिए टीडीपी को सामने ला रही है।

कभी-कभी विरोधी प्रतिद्वंद्वी से कम महत्वपूर्ण होता है। तेलुगू देशम पार्टी का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन छोड़ने का फैसला भारतीय जनता पार्टी के साथ संघर्ष के बारे में अधिक संबंधित न होकर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा के बारे में अधिक संबंधित है।

एनडीए का परित्याग एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की घोषणा के साथ हुई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि टीडीपी सिर्फ अलग हुआ है न कि किसी अन्य पार्टी के साथ जुड़ा है, इसलिए इनका प्रयास भाजपा के खिलाफ अन्य पार्टियों के साथ हाथ मिलाकर नहीं था, बल्कि, वाईएसआरसीपी राजनीतिक रूप से अलग करने के लिए था।

इस सब में एनडीए सरकार को कोई खतरा नहीं है। बीजेपी के पास असंतुष्ट मत से बचने के लिए पर्याप्त संख्या मौजूद है और इसलिए वह शिवसेना जैसे अन्य असंतुष्ट सहयोगियों की मदद के बिना भी आगे बढ़ सकता है।

लेकिन टीडीपी का प्रयास भाजपा की अगुवाई वाली सरकार को नीचे लाने की बजाय वाईएसआरसीपी से अधिक आक्रामक होने के नाते, पीड़ित पार्टी के रूप में खुद को दिखाना है।

चुनाव में, अभी तक भाजपा टीडीपी के लिए अच्छी तरह से फिट साबित हुई है। वोट बैंकों को कांग्रेस के खिलाफ बहुत अच्छी तरह से जोड़ा गया, जो 2014 तक टीडीपी का मुख्य प्रतिद्वंद्वी था।

कांग्रेस के विपरीत, वाईएसआरसीपी भाजपा के साथ गठबंधन के खिलाफ नहीं है, और टीडीपी को भाजपा को वाईएसआरसीपी के साथ मिलना पसंद नहीं था। बीजेपी के साथ अपने संघर्ष को बढ़ाते हुए, टीडीपी वाईएसआरसीपी के नेतृत्व का पीछा कर रहा था।

अगले साल विधानसभा चुनाव होने से, टीडीपी और न ही वाईएसआरसीपी को भाजपा के सहयोगी के तौर पर देखा जा सकता है। केंद्र-राज्य के लिए विशेष पैकेज के संदर्भ में क्या करता है यह अब मायने नहीं रखता है, यहाँ दोनों क्षेत्रीय दलों को जो कुछ भी दिया जाएगा, उससे संतुष्ट होने के बजाय वे उससे ज्यादा की मांग करेंगे।

''इंडियन एक्सप्रेस''
(अ डबल फीट)

भाजपा अपने विरोधियों पर ऊर्जा खर्च करते हुए अपने सहयोगियों से विमुख हो रही है।

पिछले हफ्ते, जब टीडीपी ने नरेंद्र मोदी सरकार से अपने दो मंत्रियों को निकाला, तो ऐसा लगता था कि पार्टी केंद्र से आंध्र प्रदेश के लिए अधिक वित्तीय रियायतें निकालने के लिए अपनी मध्यवर्ती स्थिति का लाभ उठाएगी। हालांकि, शुक्रवार को आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा न दिए जाने से नाराज तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) ने एनडीए से अलग होने का फैसला ले लिया है। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का निर्णय लेते हुए केंद्र से अपना समर्थन वापस ले लिया है। और भाजपा के लिए, एक चेतावनी छोड़ दी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य के हित में केंद्र सरकार के खिलाफ किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का वह समर्थन करेंगे।

निश्चित रूप से, टीडीपी की संख्याओं की हानि से केंद्र में सत्ता जारी रखने की संभावना कम हो गयी है। फिर भी, अगर राजनीति सिर्फ सिंहासन का खेल नहीं है, तो भी इन धारणाओं के अलावा, यूपी और बिहार में उपचुनावों में असफलताओं की वजह से नायडू का बाहर निकलना इससे संबंधित लगता है और यह सच है कि अब भाजपा की छवि शायद खराब हो रही है।

पार्टी के नेताओं और प्रबंधकों को उनके दु:ख या असंतोष का कारण पूछना चाहिए और बाहर जा चुके पार्टी के सदस्यों को पुन: एक समीक्षा के लिए बुलाया जाना चाहिए। दक्षिण में बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी का बाहर जाना अपने सबसे पुराने साथी का असंतुष्टता को दर्शाता है।

टीडीपी के एनडीए से अलग होने से लोकसभा में तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सांसदों की समर्थन वापसी से राज्यसभा में सरकार की दिक्कतें बढेंगी। रोजमर्रा के बिल पास कराने में सरकार की मुश्किलें और बढ़ जाएंगीं। शिवसेना पहले से ही बीजेपी के विरोध में बोलती रही है। अब टीडीपी के साथ आने से विपक्ष की संख्या बढ़ेगी। साथ ही ये आरोप लगेगा कि मोदी सरकार सहयोगियों को साथ नहीं रख पा रही है। इसके अलावा दक्षिण के आंध्र प्रदेश में बीजेपी की राजनीतिक संभावनाओं को भी झटका लगेगा।

शिवसेना ने हाल ही में घोषित किया था कि वह अगले साल राष्ट्रीय और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ेगी और पार्टी के मुखपत्र ने 2019 में बीजेपी की संख्या में भारी गिरावट की भविष्यवाणी की है। इस बीच, पिछले महीने बिहार में, एक छोटे सहयोगी, जीतन राम मांझी एचएएम ने भी राजग के नेतृत्व वाले ग्रैंड एलायंस में शामिल होने के लिए एनडीए छोड़ दिया, नीतीश कुमार द्वारा भाजपा के साथ गठबंधन में लौटने और लालू प्रसाद को जेल होने के बावजूद हालिया उपचुनावों में खुद का आयोजन किया।

मुख्यमंत्री एन. चन्द्रबाबू नायडू को यह गणना करनी चाहिए कि एनडीए से बाहर निकलने की वजह से वोटों में कोई भी नुकसान राजकोषीय लाभांश से केंद्र सरकार के खिलाफ कड़े रुख के मुकाबले अधिक होगा।

दरअसल, तर्क यह है कि केंद्र उत्तरी राज्यों के विकास के लिए दक्षिणी राज्यों से प्राप्त कर राजस्व को बदल रहा है, प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय राजनीति का हिस्सा है जिसे टीडीपी को वाईएसआरसीपी के साथ खेलने के लिए मजबूर किया गया है। फिलहाल भाजपा टीडीपी और वाईएसआरसीपी के प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय राजनीति में हारे हुए खिलाड़ी के रूप में नजर आता है।

* * *

आंध्र प्रदेश की तरह, बिहार और महाराष्ट्र में भी राजनीतिक चिंतित राज्य-विशिष्ट कारकों से प्रभावित होता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा द्वारा पेशकश की साझेदारी के मामले में वे अविश्वास का वोट भी बढ़ाते हैं।

इसी समय, ऐसा लग रहा है कि भाजपा अपने मित्रों को विचलित करते हुए अपने विरोधियों को एक साथ ला रही है। गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव में भाजपा की हार को मुख्य धारा की मीडिया में बड़े आश्चर्य के रूप में लिया जा रहा है लेकिन यह उतना आश्चर्यजनक भी नहीं है।

* * *

GS World टीम...

क्या है पूरा मामला?

- आंध्रप्रदेश के विशेष दर्जे की मांग को लेकर मोदी सरकार से बाहर हो चुकी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने शुक्रवार को एनडीए से चार साल पुराना नाता तोड़ लिया। साथ ही लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दे दिया। टीडीपी के अलावा वाईएसआर कांग्रेस भी अविश्वास प्रस्ताव लाई थी, लेकिन हंगामे के चलते यह लोकसभा में पेश नहीं हो पाए।

टीडीपी के हटने से क्या है सदन की स्थिति?

- अभी लोकसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या 274 है। वहीं सहयोगी दलों के रूप में शिवसेना से 18, एलजेपी से 6, अकाली दल से 4, आरएलएसपी से 3, जेडीयू से 2, अपना दल के 2, पीडीपी का एक, एसडीएफ का एक और एनपीपी का एक सांसद है।
- टीडीपी के लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 6 सांसद हैं। इस प्रकार उसके कुल सांसदों की संख्या 22 होती है। टीडीपी के एनडीए से हटने पर NDA का कुनबा 328 से घटकर 312 सदस्यों का रह जाएगा।

क्या है विशेष राज्य का दर्जा?

- देश की तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी 1961-66 तक और फिर 1966-1969 तक केंद्र के पास राज्यों को अनुदान देने का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं था। उस समय सिर्फ योजना के अनुसार की ग्रांट दी जाती थी।
- 1969 में केंद्रीय सहायता का फॉर्मूला बनाते समय 5वें वित्त आयोग ने गाडगिल फॉर्मूले के अनुरूप तीन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया। इसमें असम, नागालैंड और जम्मू-कश्मीर शामिल थे। इसका आधार था, इन राज्यों का पिछड़ापन, दुरूह भौगोलिक स्थिति और वहां व्याप्त सामाजिक समस्याएं।

क्या है इसका फायदा?

- जब किसी को राज्य को विशेष दर्जा मिलता है तो केंद्र सरकार अपनी तरफ से उसे 90% ग्रांट दे देती है। बाकी 10% बिना ब्याज का लोन देती है। यानी राज्य को सिर्फ केंद्र को 10% रकम की वापस करनी होती है, वो भी बिना किसी ब्याज के। विशेष राज्य को एक्साइज ड्यूटी में भी रियायत मिलती है। इससे बिजनेसमैन इंडस्ट्री लगा सकें।

किस तरह दिया जाता है?

- भारतीय संविधान में स्पेशल स्टेटस का प्रावधान है। इस कानून को संसद के दोनों सदनों (लोकसभा-राज्यसभा) ने दो तिहाई बहुमत से पास किया था।

कौन इसको अप्रूव करती है?

- स्पेशल कैटेगरी स्टेटस (SCS) देने का अधिकार भारत सरकार का बॉडी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को है।

किन परिस्थिति में इसे दिया जाता है?

नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इन पैरामीटर पर किसी राज्य को यह दर्जा देता है-

1. पहाड़ी, मुश्किल इलाके और कम संसाधन वाला राज्य
2. कम जनसंख्या घनत्व और अंतरराष्ट्रीय सीमा को शेयर करने वाला राज्य
3. आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन
4. राज्य में इकोनॉमी के हिसाब से माहौल न होना

अभी किन राज्यों के पास ये दर्जा है?

असम, नगालैंड, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश।

अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सदस्य जरूरी

अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है, जो फिलहाल तो पूरी होती नहीं दिख रही, लेकिन एक के बाद एक सहयोगी दलों के रूठने से बीजेपी की दिक्कत जरूर बढ़ सकती है। दीगर है कि 2014 में 283 सीटों वाली बीजेपी के साथ एनडीए का कुनबा 383 सीटों का था, जो अब लगातार घटता जा रहा है।

282 से घटकर 272 तक पहुंची बीजेपी की ताकत

हाल ही में यूपी-बिहार उपचुनावों के परिणाम आने के बाद सदन में भाजपा की सीटों की संख्या 2014 के 282 से घटकर अब 272 पर पहुंच गई है। लोकसभा में मौजूदा समय में 536 सदस्य हैं, जबकि सात सीटें खाली हैं। इस हिसाब से सदन में भाजपा अब भी अकेले बहुमत में है। हालांकि सहयोगियों के साथ उसके पास भारी बहुमत है।

2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक लोकसभा के 19 उपचुनाव हो चुके हैं। इन उपचुनावों के रिजल्ट भाजपा की परेशानी पर बल देने वाले रहे हैं। उपचुनावों में कई सीटें बीजेपी के हाथ से निकल चुकी हैं।

संभावित प्रश्न

आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा न दिए जाने से नाराज तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) ने एनडीए से अलग होने का फैसला ले लिया है। भारतीय संविधान में स्पेशल स्टेटस के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए इसके लाभ की चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

Telugu Desam Party (TDP) has decided to secede from the NDA because of frustration that Andhra Pradesh has not been provided special state status. Explain the benefits of special status in the Indian Constitution and discuss its benefits. (250 Words)

बोतलबंद पानी : सेहत से खिलवाड़

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

19 मार्च, 2018

''हाल ही के एक शोध में दावा किया गया है कि भारत सहित दुनिया के विभिन्न देशों में बोतल बंद पेयजल बनाने वाली कंपनियों के लगभग 150 अरब डॉलर के भारी सालाना व्यापार के बावजूद ये सुरक्षित नहीं है। शोध में बताया गया है कि इनमें प्लास्टिक के सूक्ष्म कण और मनुष्य के लिए नुकसानदायक कई तत्व मौजूद रहते हैं।'' इस संदर्भ में अंग्रेजी समाचार-पत्र ''द हिन्दू'' एवं ''इंडियन एक्सप्रेस'' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे **"GS World"** *टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।*

''द हिन्दू''
(असुरक्षित बोतलबंद पानी)

पीने के पानी में प्लास्टिक की उपस्थिति पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए।

प्लास्टिक अब व्यापक रूप से पर्यावरण में मौजूद हैं, जैसे समुद्र तटरेखाओं के साथ-साथ झीलों और नदियों में और यहां तक कि मिट्टी में दिखाई देने वाली कचरे के साथ भी। हाल ही में पता चला है कि श्सुरक्षितश बोतलबंद पानी में माइक्रोप्लास्टिक कण मौजूद हैं जो संकट की भयावहता को दर्शाता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुताबिक प्लास्टिक का वैश्विक उत्पादन प्रति वर्ष 300 मिलियन टन से अधिक है, जिसे कचरे के रूप में फेंक दिया जाता है जिसे नियंत्रित करने के लिए सरकारों की क्षमता काफी प्रभावित होती है।

माइक्रोप्लास्टिक 5 एमएम से कम के कण हैं जो पर्यावरण में प्राथमिक औद्योगिक उत्पादों के माध्यम से शामिल होते हैं, जैसे जिसका इस्तेमाल स्क्रबर्स और कॉस्मेटिक्स में किया जाता है या शहरी अपशिष्ट जल के माध्यम से और उपभोक्ताओं द्वारा छोड़े गए सामग्री के टूटे तत्वों के माध्यम से।

कपड़े धोने से सिंथेटिक माइक्रोफाइबर जल निकायों और समुद्र में चले जाते हैं। पीने के पानी, भोजन और यहां तक कि साँस लेने के लिए जरूरी वायु में पॉलीप्रोपीलीन, पॉलीइथाईलीन टेरेपथालेट और अन्य रसायनों की मौजूदगी से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को अभी तक स्पष्ट नहीं किया जा सका है, लेकिन निर्विवाद रूप से ये दूषित पदार्थ हैं। पूरक क्षेत्रों के शोध सबूत इंगित करता है कि इन रसायनों के संचय से शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कम हो जाती है।

अधिक अध्ययन, विश्व स्तर पर समन्वित प्रयास के रूप में, स्वास्थ्य पर प्रभाव का आकलन करने के लिए आवश्यक हैं। यह प्रशंसनीय है कि डब्लूएचओ पानी में प्लास्टिक के मौजूदगी से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा करने के लिए एक आयोग का गठन करेगा।

नैरोबी में पिछले दिसंबर में, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने समुद्री वातावरण में प्लास्टिक की मौजूदगी से निपटने के लिए 18 महीने में बाध्यकारी समझौता करने का संकल्प किया था। समस्या चौंका देने वाली है- बोतलों और पैकेजिंग सहित आठ लाख टन अपशिष्ट, हर साल समुद्र में छोड़े जा रहे हैं।

''इंडियन एक्सप्रेस''
(बोतलबंद पानी और माइक्रोप्लास्टिक)

दुनिया के शीर्ष 19 स्थानों पर स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों को कवर करने वाला एक अध्ययन यह दर्शाता है कि सभी बोतलबंद पानी के 93 प्रतिशत में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद होता है।

बोतलबंद पानी में 90 प्रतिशत से अधिक माइक्रोप्लास्टिक के साथ दूषित है और यह एक्वैफिना और एवियन जैसे शीर्ष वैश्विक ब्रांडों के साथ-साथ बिस्लेरी जैसे भारतीय कंपनियों पर किये गये अध्ययन से पता चला है।

अमेरिका में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के शोधकर्ताओं ने 9 देशों में बेचे जाने वाले 11 ब्रांडों में से 27 अलग-अलग लॉट से 259 व्यक्तिगत बोतलों का परीक्षण किया है। भारत में नई दिल्ली, चेन्नई और मुंबई समेत 19 स्थानों के नमूने का विश्लेषण किया गया।

प्रयोगशाला में प्रदूषण के लेखांकन के बाद, बोतलबंद पानी में 93 प्रतिशत माइक्रोप्लास्टिक का कुछ संकेत सामने आया है। शोध कर्ताओं ने स्पेक्ट्रोस्कोपिक विश्लेषण के जरिये बोतलबंद पानी की प्रति लीटर 10.4 माइक्रोप्लास्टिक कणों का औसत पाया।

उन्होंने कहा कि यह नल के पानी पर किये गये पिछले अध्ययन जितना अधिक है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण कम से कम आंशिक रूप से पैकेजिंग या बॉटलिंग प्रक्रिया से आ रहा है।

प्लॉस्टिक निर्माण में वृद्धि के साथ, बाहरी वातावरण के प्लास्टिक प्रदूषण में एक वृद्धि हुई है। हाल ही में, प्लवक से व्हेल तक ताजे पानी झीलों, अंतर्देशीय समुद्र, नदियों, झीलों और जीवों में प्लास्टिक प्रदूषण पाया गया है।

कई बोतलबंद पानी के ब्रांड केवल नगर निगम के नल का पानी जैसे फिल्टर्ड थे, जिसे विभिन्न बॉटलिंग स्रोतों की संभावना में वृद्धि के लिए कई स्थानों से नमूने के तौर पर लिया गया था।

500-600 एमएल प्रति बोतल के साथ उन नमूने के लिए, 10 बोतलों को बेतरतीब ढंग से चुना गया था, जबकि 750 मिलीलीटर नमूनों के लिए, 6 बोतल चुने गए थे और 2 मिलीलीटर नमूने के लिए, 4 बोतल अनियमित विश्लेषण के लिए चुना गया था।

प्लास्टिक के साथ भारत में एक बड़ी समस्या है, विशेष रूप से एकल उपयोग शॉपिंग बैग जो अन्य कचरे के साथ डंपिंग साइट, नदियों और झीलों तक पहुंचते हैं। प्रदूषण से निपटने का सबसे कारगर तरीका प्लास्टिक उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करना है। सिंगल-उपयोग बैग पर प्रतिबंध और उपभोक्ताओं को अधिक टिकाऊ बैग के लिए सार्थक और उचित राशि का भुगतान करने के लिए प्रेरित करना एक संभव और बेहतर समाधान है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को लागू करने के लिए, जिसे इस वर्ष 8 अप्रैल को कचरे के पृथक्करण की आवश्यकता है, सामग्री को पुनः प्राप्त करेगा और पर्यावरण पर बोझ को बहुत कम कर देगा। अपशिष्टों के पृथक्करण को समुदाय के साथ साझेदारी द्वारा हासिल की जा सकती है और यह एक प्रमुख रोजगार का अवसर प्रस्तुत कर सकता है। हालांकि लक्ष्य, दीर्घकालिक होना चाहिए।

जैसा कि यूरोपीय संघ की विजन 2030 एक परिपत्र प्लास्टिक की अर्थव्यवस्था के बारे में बताते हैं, इसका जवाब प्लास्टिक की प्रकृति को बदलकर, सस्ते और डिस्पोजेबल से टिकाऊ, पुनः प्रयोज्य और पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य में बदलना है।

यहाँ आम सहमति यह है कि यह बेहतर भविष्य के लिए काफी बेहतर साबित होगा। अब जब कि बोतलबंद पीने के पानी में प्लास्टिक की उपस्थिति साबित हो चुकी है, सरकारों को यह समझना चाहिए कि यह एक सामान्य व्यवसाय नहीं हो सकता है।

विश्लेषण की गई 259 बोतलों में से केवल 17 बोतलों में कोई सूक्ष्मदर्शी प्रदूषण नहीं दिखा था, जो यह दर्शाता है कि बोतलबंद पानी के 93 प्रतिशत परीक्षण में प्रदूषण के कुछ लक्षण मिले हैं।

माइक्रोप्लास्टिक संदूषण की घनत्व 17 बोतलों से लेकर बहुत ही परिवर्तनीय थी, जिसमें कोई संदूषण नहीं था, एक बोतल में प्रति लीटर 10,000 माइक्रोप्लास्टिक कणों की अधिक मात्रा को दर्ज किया गया है। चेन्नई से बिस्लेरी के बोतलबंद पानी के नमूने में प्रति लीटर 5,000 से अधिक माइक्रोप्लास्टिक कण मिले हैं।

अक्सर प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पॉलीप्रोपीलीन, सबसे सामान्य पॉलिमेरिक सामग्री (54 प्रतिशत) पाया जाता है, जबकि नायलॉन (16 प्रतिशत) दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में होता है। पॉलिथिलीन का 10% कणों का विश्लेषण किया गया।

यह अध्ययन सितंबर, 2017 में जारी एक नल के जल अध्ययन के लिए अनुवर्ती था। रिपोर्ट में कहा गया है कि औसतन नल के पानी की तुलना में बोतलबंद पानी में लगभग दुगने प्लास्टिक के कणों को पाया गया है।

GS World टीम...

चर्चा में क्यों?

- हाल ही के एक शोध में दावा किया गया है कि भारत सहित दुनिया के विभिन्न देशों में बोतल बंद पेयजल बनाने वाली कंपनियों के लगभग 150 अरब डॉलर के भारी सालाना व्यापार के बावजूद ये सुरक्षित नहीं है। शोध में बताया गया है कि इनमें प्लास्टिक के सूक्ष्म कण और मनुष्य के लिए नुकसानदायक कई तत्व मौजूद रहते हैं।
- ये शोध अमेरिका की एक गैर लाभकारी संस्था ओर्ब मीडिया ने किया है। संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि लगभग 90 प्रतिशत से अधिक बोतल बंद पानी में पॉलीप्रोपीलीन, नायलॉन और पॉलीथिलीन टेरेफ्थेलेट जैसे तत्व मौजूद रहते हैं।

पांच महाद्वीपों से एकत्रित किए नमूने

- शोध का दावा है कि एक दिन में एक लीटर बोतल बंद पानी पीने वाला इंसान उसके साथ प्रतिवर्ष प्लास्टिक के दस हजार तक सूक्ष्म कण ग्रहण कर लेता है। शोध में 93 प्रतिशत नमूनों में प्लास्टिक पाई गई थी। हांलाकि शोधकर्ता अभी तक मानव शरीर पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभावों के बारे में पूरी जानकारी हासिल नहीं कर सके हैं।
- इस शोध के लिए पांच महाद्वीपों भारत, ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, केन्या, लेबनान, मेक्सिको, थाईलैंड और अमेरिका के 19 स्थानों से नमूने एकत्र किए गए। बोतल बंद पानी में प्लास्टिक के अदृश्य कणों को पहचानने के लिए शोध कर्ताओं ने विशेष डाई और नीली रोशनी का उपयोग किया था।

महत्वपूर्ण बिंदु

- न्यूयॉर्क की स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इन ब्रांड्स के 27 लॉट में से 259 बोतलों का टेस्ट किया। इसके लिए दिल्ली, चेन्नई, मुंबई समेत दुनिया के 19 शहरों से नमूने लिए गए थे, इनमें प्लास्टिक के पार्ट्स पाए गए।
- भारत के अलावा चीन, अमेरिका, ब्राजील, इंडोनेशिया, केन्या, लेबनान, मैक्सिको और थाईलैंड के बोतलबंद पानी के नमूनों का विश्लेषण किया गया। शोधकर्ताओं का मानना है कि माइक्रोप्लास्टिक से विश्व स्तर पर 90 फीसदी बोतल बंद पानी में प्रदूषण बढ़ा है।
- प्लास्टिक के जो अवशेष पाए गए हैं, उनमें पॉलीप्रोपाइलीन, नायलॉन और पॉलीइथाईलीन टेरेपथालेट शामिल हैं। इन सबका इस्तेमाल बोतल के ढक्कन बनाने में होता है। शोधकर्ता का मानना है कि पानी में ज्यादातर प्लास्टिक पानी को बोतल में भरते समय आता है।
- यह बोतल और उसके ढक्कन से आ सकता है। एक पूर्व स्टडी में बताया गया था कि नल का पानी बोतलबंद पानी से ज्यादा सुरक्षित है। इस स्टडी में एक्वाफीना, डासानी, इवियान, नेस्ले प्योर लाइफ और सेन पेलेग्रिनो शामिल हैं।
- अध्ययन में विभिन्न देशों के जिन नेशनल ब्रॉण्ड्स को शामिल किया गया है, उनमें एक्वा (इंडोनेशिया), बिसलेरी (इंडिया), ईप्यूरा (मैक्सिको), गेरोलस्टीनर (जर्मनी), मिनालाबा (ब्राजील) और वाहाहा (चीन) शामिल हैं।
- शोधकर्ताओं ने स्पेक्ट्रोस्कोपिक विश्लेषण के बाद पाया कि 1 लीटर के पानी की बोतल में औसत रूप से 10.4 माइक्रोप्लास्टिक के कण होते हैं। पूर्व अध्ययन के अनुसार यह नल के पानी में पाए जाने वाले माइक्रोप्लास्टिक के कण से दोगुने ज्यादा होते हैं।

माइक्रोप्लास्टिक क्या है?

- दरअसल प्लास्टिक या फाइबर के वे टुकड़े हैं जो आकर में बहुत छोटे होते हैं और संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्टों के मुताबिक ये जलीय जीवन और पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं। माइक्रोप्लास्टिक पांच मिलीमीटर से भी कम आकार के प्लास्टिक या फाइबर के टुकड़े होते हैं। निजी देखभाल के उत्पादों में पाए जाने वाले माइक्रोप्लास्टिक या माइक्रोबीड्स हमेशा एक मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं।

संभावित प्रश्न

हाल ही के एक शोध में यह पाया गया है कि बंद पेयजल के बोतलों में माइक्रोप्लास्टिक जैसे प्लास्टिक के सूक्ष्म कण और मनुष्य के लिए नुकसानदायक कई तत्व मौजूद है। माइक्रोप्लास्टिक से आप क्या समझते है? प्लास्टिक की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए क्या आवश्यक पहल किये जाने चाहिए? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

In a recent research, it has been found that there are many Microscopic particles of plastic like microplastic and many harmful elements for Humans are Present In the bottled water. What do you understand by microplastic? What necessary initiatives should be taken to tackle the growing problem of plastic? Discuss. (250 Words)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

20 मार्च, 2018

"द हिन्दू"

लेखक - रूहा शदाब (चिकित्सक और स्वास्थ्य रणनीतिकार, नीति आयोग)

"राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का विधेयक एक शोषक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन करना चाहता है"

जैसा कि अब भारतीय मेडिकल एसोसिएशन के तहत डॉक्टरों के 'महा-पंचायत' पर सब की निगाहें टिकी हुई है अब वे इस महीने बाद राष्ट्रीय मेडिकल आयोग (एनएमसी) विधेयक, 2017 (अभी संसदीय स्थायी समिति के समक्ष है) को चुनौती देने के लिए तैयार है, इसलिए इस विधेयक के कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक हो गया है।

संविधान का अनुच्छेद 47 यह स्पष्ट करता है कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कर्तव्यबद्ध है, लेकिन भारत एक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है, जिसमें डॉक्टरों की असमान उपस्थिति और अधिक बोझों से लदे अस्पताल शामिल हैं।

हालांकि भारत में 10 लाख चिकित्सक हैं, लेकिन आदर्श चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात के विश्व स्वास्थ्य संगठन मानक को पूरा करने के लिए इसे 3,00,000 अधिक चिकित्सकों की अभी और आवश्यकता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में 81% विशेषज्ञों की कमी है, जो विशेषज्ञ चिकित्सक के साथ रोगी के लिए पहला संपर्क बिंदु है।

जो लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, वे गरीब और ग्रामीण होते हैं, जो बाद में नीम हकीमों के शरण में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक अन्य तथ्य यह भी है कि ग्रामीण इलाकों में 'आधुनिक चिकित्सा' के प्रदाताओं के 82.2% चिकित्सा योग्यतापूर्ण नहीं है। ग्रामीण भारत, जो आबादी का 69% हिस्सा है, के लिए एक और गंभीर मुद्दा है कि केवल 21% देश के डॉक्टर उनकी सेवा करते हैं।

स्वास्थ्य देखभाल के अनुभव की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यह विडंबना है कि, जहाँ एक तरफ भारत चिकित्सा पर्यटन के लिए एक बड़ा केंद्र है (2016 में, भारत ने 1.78 लाख मेडिकल वीजा जारी किए थे), वहीं दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों का आलम यह है कि रोगियों को अपने बाह्य रोगी विभाग में जाने से पहले प्रतीक्षा करने वाले कॉरिडोर में सोना पड़ता है। विधेयक, अन्य बातों के अलावा, इन समस्याओं का समाधान करना चाहता है।

एक व्यावसायीकरण

भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में धारा 10ए की प्रविष्टि के बाद निजी मेडिकल कॉलेजों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि चिकित्सकों की संख्या में अभी भी कमी मौजूद है। हांलाकि, इन महाविद्यालयों द्वारा ली जाने वाली उच्च कैपेसिटी फीस से चिकित्सा सेवाओं की सामर्थ्य के मामले में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

नियामक प्राधिकरण इस तथ्य के बावजूद कार्य करने में असमर्थ रहा है कि हर साल स्नातक होने वाले 60,000 से अधिक मेडिकल छात्र निजी मेडिकल कॉलेजों से हैं।

लाइसेंस और नियामक आवश्यकताओं को जारी करने में भ्रष्टाचार के साथ, ऐसे कई शैक्षिक संस्थानों में संदिग्ध मानकों का एक संकाय है, जो शिक्षा की गुणवत्ता पर स्पष्ट नतीजे प्रदान करता है।

यह विधेयक मानकों का पालन करने में विफल रहने के लिए उच्च मौद्रिक दंड के साथ नियमित रूप से मेडिकल कॉलेजों का आकलन करने और मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र का निर्माण करता है। ऐसी तीन विफलताओं के परिणामस्वरूप एक कॉलेज की मान्यता रद्द हो जाएगी।

निजी मेडिकल कॉलेजों में 40% तक की फीस को नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास एक सक्षम प्रावधान भी उपलब्ध है। नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार यह राशि एक गोल्डिलक्स जोन में आती है, जिसमें विनियमन कॉलेज के लिए गैर-विनियमित छात्रों के लिए नाममात्र शुल्क बढ़ाकर राजस्व तटस्थ बनाया जा सकता है।

विधेयक विशिष्ट मामलों में एक कॉलेज को स्वीकृति देने के लिए मानदंडों में छूट के साथ एक कदम आगे चलता है। वर्तमान में, भारत में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए एक साधारण मानक है, जो मुश्किल इलाके या कम जनसंख्या घनत्व जैसे कुछ क्षेत्रों में प्रासंगिक वास्तविकताओं की उपेक्षा करता है। उदाहरण के लिए, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है।

उल्टा पिरामिड

भारत में एक सुविचारित, तीन-स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है जो उप-केन्द्रों (एससी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के आधार पर स्थित होती है और यह सामान्य बीमारियों का ध्यान रखती है। विशेषज्ञ परामर्श की आवश्यकता वाले मरीजों को माध्यमिक केंद्रों (सीएचसी), या तृतीयक केंद्रों तक श्रृंखला में जाना होता है, जो जिला अस्पताल (डीएचएस) या मेडिकल कॉलेज हैं।

प्राथमिक केंद्रों को सुदृढ़ बनाना यह सुनिश्चित करता है कि पिरामिड फिर से अपने आधार पर निर्भर कर सकता है। सरकार अब 2022 तक 1,50,000 उप-केंद्रों के स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में सुधार करने की योजना बना रही है, यहाँ मध्य-स्तरीय प्रदाताओं की एक समान संख्या की आवश्यकता है। इसके लिए, भारत के 7,70,000 आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होमियोपैथी) चिकित्सकों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

इस विधेयक में आयुष/गैर-एलोपैथिक डॉक्टरों के लिए एक ब्रिज कोर्स उपलब्ध कराने के लिए यह सुविधा उपलब्ध है। यह कोर्स, सभी दवा प्रणालियों के एक संयुक्त बैठक के द्वारा तैयार किया जायेगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि प्राथमिक चिकित्सा के दायरे के भीतर, गैर-एलोपैथिक डॉक्टरों को एक सीमित तरीके से आधुनिक दवाइयों को लिखने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

चीन के 'बेयरफुट डॉक्टर' (किसान जो न्यूनतम बुनियादी चिकित्सा और पैरामैडिकल प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए चीन के ग्रामीण गांवों में काम करते थे) जैसी एक समानांतर व्यवस्था है।

तेरह राज्य अब आयुष चिकित्सक को एलोपैथिक देखभाल के विभिन्न स्तरों को निर्धारित करने की अनुमति देते हैं। एनएमसी विधेयक ऐसे नियमों के एकीकरण के लिए दवाओं के विभिन्न प्रणालियों को कम किए बिना लाएगा।

विधेयक में एक अतिरिक्त उपाय 'क्रॉस-पथी' या स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के अयोग्य प्रमाण को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में रोकता है। यह विधेयक दो अलग-अलग राष्ट्रीय रजिस्टरों- एलोपैथिक डॉक्टरों और आयुष डॉक्टरों को प्रदान करता है जो पुल कोर्स को पूरा करते हैं।

अंत में, विधेयक एक स्थिर और तेजी से शोषण करने वाली स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन करने की कोशिश करता है। हालांकि यह कोई जादू की छड़ी नहीं है, इसे सही दिशा में एक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए।

GS World टीम...

विधेयक में वर्णित महत्त्वपूर्ण बिंदु

इस विधेयक के अंतर्गत भारतीय मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1956 को निरस्त करने तथा ई.एस.आई. चिकित्सकीय शिक्षा प्रणाली को विकसित करने का प्रयास किया गया है जिसके अंतर्गत-

- पर्याप्त एवं उच्च योग्यता वाले मेडिकल प्रोफेशनलों की उपलब्धता,
- मेडिकल प्रोफेशनलों द्वारा नवीनतम मेडिकल अनुसंधानों का उपयोग,
- संस्थानों का नियत समय पर आकलन,
- एक प्रभावी शिकायत प्रणाली की स्थापना की बात कही गई है।

राष्ट्रीय मेडिकल कमीशन

- विधेयक के अंतर्गत एक राष्ट्रीय मेडिकल कमीशन के गठन की बात कही गई है। विधेयक के पास होने के 3 वर्षों के अंदर राज्य सरकारों द्वारा इस कमीशन का गठन किया जाएगा।
- इस कमीशन के तहत 25 सदस्य शामिल होंगे जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
- इनका कार्यकाल अधिकतम 4 वर्षों का होगा।

कार्य

- मेडिकल संस्थानों एवं प्रोफेशनलों को विनियमित करने हेतु नीतियाँ बनाना।
- स्वास्थ्य सेवा से संबंधित मानव संसाधनों एवं बुनियादी आवश्यकताओं पर ध्यान देना।
- विधेयक के अंतर्गत विनियमित प्राइवेट मेडिकल संस्थानों और मानद विश्वविद्यालयों की अधिकतम सीटों की फीस तय करने हेतु दिशा-निर्देश जारी करना।

मेडिकल एड्वाइजरी काउन्सिल

- इसके अतिरिक्त उक्त विधेयक के अंतर्गत एक मेडिकल एड्वाइजरी काउन्सिल के गठन की भी बात की गई है। यह इस विधेयक का एक बहुत अहम् हिस्सा है।
- इसके माध्यम से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा एन.एम.सी. से संबंधित अपने विचार एवं चिंताओं को साझा किया जाएगा।
- इसके साथ-साथ यह सभी के लिये समान चिकित्सकीय सुविधा सुनिश्चित करने हेतु एक सलाहकारी भूमिका का निर्वाह करेगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के अंतर्गत विविध हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श, क्षेत्रीय परामर्श, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को केंद्रीय परिषद् और मंत्रियों के समूह के अनुमोदन की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- इस नीति में वर्ष 2025 तक जन स्वास्थ्य व्यय को उत्तरोत्तर जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकारों से स्वास्थ्य के लिये उनके बजट परिव्यय को बढ़ाने का भी अनुरोध किया गया है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 को लागू करने के लिये एक प्रारूप क्रियान्वयन ढाँचा भी तैयार किया गया है।

* * *

संभावित प्रश्न

लोकसभा द्वारा राष्ट्रीय मेडिकल आयोग विधेयक को पुनर्विचार के लिये स्थायी समिति के पास भेजा गया है। हालाँकि, यदि इस विधेयक के संदर्भ में गंभीरता से विचार किया जाए तो यह फैसला सही प्रतीत होता है। इस कथन के सन्दर्भ में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2017 के प्रावधानों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

The National Medical Commission Bill has been referred by the Lok Sabha to the Standing Committee for reconsideration. However, if this consideration is seriously considered in the context of this bill, then this decision seems right. In relation to this statement, critically analyze the provisions of the National Medical Commission Bill, 2017. (250 words)

GS World Committed To Excellence

चुनावी सुधारों के अधूरी कार्यसूची

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

21 मार्च, 2018

''लाइव मिंट''

लेखक - अजित रनाडे (तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में वरिष्ठ सहयोगी)

''वित्त विधेयक 2018, और केंद्रीय बजट 2018, साफ राजनीतिक वित्त पोषण और चुनाव बांडों के लिए बहुत कुछ कहता है।''

वित्त विधेयक 2018 और केंद्रीय बजट 2018 को लोकसभा में बिना किसी चर्चा के पारित किया गया था। इसका अर्थ था कि संसद को 24.4 खरब डॉलर करदाता के पैसे खर्च करने के प्रस्ताव पर बहस करने और विश्लेषण करने का समय नहीं मिला, जो कि भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग सातवां हिस्सा था।

हांलाकि, विधि निर्माता या संसद में लोगों के प्रतिनिधियों का अपने स्वयं के वेतन में वृद्धि का समय था, और इसे एक स्वर के साथ मजूरी दे दी गयी, अर्थात भारत के समेकित निधि से 800 करोड़ अतिरिक्त राशि निकालने का अधिकार। निश्चित रूप से यह गैर-बहस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक गर्व का क्षण नहीं है।

वित्त विधेयक को तकनीकी रूप से 'धन विधेयक' कहा जाता है। इसे राज्यसभा द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता नहीं है। इस साल के वित्त विधेयक में इसके भीतर एक विदेशी अनुदान अधिनियम (एफसीआरए), 1976 से जुड़ा एक अंतर्निहित अनुच्छेद था। उस कानून ने राजनीतिक दलों पर विदेशी कंपनियों से दान स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। गौरतलब हो कि 2010 में कानून निरस्त कर दिया गया था और एक नए एफसीआरए (2010) के साथ बदल दिया गया था।

2014 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और कांग्रेस को एफसीआरए 2010 के उल्लंघन में एक विदेशी कंपनी से दान स्वीकार करने के लिए दोषी पाया। इसलिए, पिछले साल वित्त विधेयक में 'विदेशी कंपनी' की परिभाषा को संशोधित करने की मांग की थी, जो संभावित रूप से दोषी फैसले को अमान्य करती है, लेकिन फिर भी पुराने नियमों का उल्लंघन करने की संभावना को जीवित रखा गया है, जो 2010 तक लागू था। देखा जाये तो, इस पूर्वव्यापी संशोधन के साथ कोई अन्य राजनैतिक दल नाखुश नहीं लग रहा है।

अंतर्निहित अस्वस्थता निर्वाचक सुधारों का अधूरा एजेंडा है। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ने जुलाई, 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री को वांछनीय चुनावी सुधारों के विवरण के साथ एक पत्र लिखा था। इसमें 22 कार्रवाई करने योग्य वस्तुओं की सूची थी जिनके लिए संसदीय कार्यवाही की आवश्यकता थी। लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गयी।

फिर दिसंबर, 2016 में सीईसी ने एक और सूची तैयार की, जिसमें पुराने वाले को शामिल किया गया और सुधारों के लिए संसद से अनुरोध किया गया। निर्वाचन आयोग (ईसी) का जनादेश बिना किसी भयावह वातावरण में एक समान स्तर प्रदान करके, निष्पक्ष चुनाव करना है। इसके लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के एक भाग में इसे पूर्ण शक्तियां प्रदान की गयी हैं, जिसके तहत यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के आदेश जारी कर सकता है।

लेकिन साफ राजनीति के लिए स्वच्छ धन और साफ उम्मीदवारों की आवश्यकता है जिसे केवल चुनाव आयोग द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, चुनाव आयोग द्वारा नहीं।

पिछले कई चुनावों के लिए राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों के आंकड़े बताते हैं कि उम्मीदवार सिर्फ 50% स्वीकार्य सीमा पर खर्च करते हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से चुनावों के दौरान धन प्रवाह बहुत अधिक होता है और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो यह परिभाषा के द्वारा गैरकानूनी और गैरदायी है।

कुछ साल पहले, एक प्रमुख नेता और बाद में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के केंद्रीय मंत्री ने एक भाषण में कहा था कि उन्होंने अपने चुनाव के लिए 8 करोड़ रुपये खर्च किए थे (जबकि आधिकारिक सीमा केवल 40 लाख थी)। इसका मतलब था कि परिभाषा के द्वारा उनके व्यय का 95% अवैध था, उन्हें चुनाव आयोग से नोटिस मिला, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

एक अन्य मामले में दिसंबर, 2016 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का निधन हो गया और कानून द्वारा, छह महीने के भीतर एक उपचुनाव आयोजित किया जाना था। लेकिन चुनाव आयोग अवैध चुनावों के अनियंत्रित प्रवाह और मतदाताओं के बड़े पैमाने पर रिश्वत के कारण चुनाव नहीं करा सकता था। इसके बाद अप्रैल, 2017 में वोटों के लिए नकदी के तौर पर 90 करोड़ रुपये जब्त किये जाने के बाद चुनाव रद्द कर दिया गया। अंत में, मुख्य चुनाव मुख्यमंत्री की मृत्यु के एक साल बाद संभव हो सका।

राजनीतिक दलों के साथ-साथ उम्मीदवारों के मामलों में वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना काफी महत्वपूर्ण है। अभियान वित्त की सफाई का मुद्दा वैश्विक है और लगभग हर लोकतंत्र इसके साथ संघर्ष कर रहा है। लेकिन भारत वैश्विक मानकों के पीछे हैं। उदाहरण के लिए, भारत में अभी तक पार्टियां सूचना अधिकार कानून के दायरे के तहत आने का विरोध कर चुकी हैं।

निश्चित रूप से दाताओं से पार्टियों के लिए दिए जाने वाले धन पर और अधिक ध्यान दी जानी चाहिए, क्योंकि हमने गुमनाम चुनाव बांडों को अनुमति देकर काफी पिछड़ा कदम उठाया है। इसके कारण अब मतदाताओं को आसानी से दाताओं और उम्मीदवारों के बीच किसी संभावित लेन देन के बारे में पता नहीं चल सकता है।

वित्त विधेयक के पूर्वव्यापी संशोधन से, विदेशी भी भारत में राजनितिक दल को निधि देने में सक्षम हो सकते हैं। देखा जाये तो, राज्यों और केन्द्रों में विधायिकाओं में औसत ष्अपराधिताष् 30% से अधिक है। इसलिए इस सवाल का जवाब जानना आवश्यक हो गया है कि क्या देश की जनता को कभी वोट करने के लिए स्वच्छ उम्मीदवार मिल सकते हैं?

GS World टीम...

साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर

- जब कोई प्रस्ताव संसद में कानून बनाने के लिए रखा जाता है, तो उसे विधेयक कहते हैं। विधेयक भी दो प्रकार का होता है– साधारण विधेयक (ordinary bill) और धन विधेयक (money bill)। दोनों विधेयकों में अंतर है धन विधेयक (money bill) को छोड़कर अन्य विधेयक साधारण विधेयक (ordinary bill) कहे जाते हैं। अत:, धन विधेयकों को समझ लेने के बाद दोनों का अंतर स्पष्ट हो जायेगा।

धन विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जिसका सम्बन्ध संघ की आय, व्यय, निधियों, हिसाब-किताब और उनकी जाँच इत्यादि से हो। **निम्नलिखित विषयों से संबंधित विधेयक धन विधेयकों होते हैं**–

- कर लगाने, घटाने, बढ़ाने या उसमें संशोधन करने इत्यादि से सम्बन्ध विधेयक
- ऋण या भारत सरकार पर आर्थिक भार डालने की व्यवस्था से
- भारत की संचित या आकस्मिक निधि को सुरक्षित रूप से रखने या उसमें से धन निकालने की व्यवस्था से
- भारत की संचित निधि पर किसी व्यय का भार डालने या उसमें से किसी व्यय के लिए धन की स्वीकृति देने से
- सरकारी हिसाब में धन जमा करने या उसमें से खर्च करने, उसकी जाँच करने आदि से
- कोई विधेयक धन विधेयक (money bill) है या नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार लोक सभा के अध्यक्ष को प्राप्त है।
- साधारण और धन (ordinary and money bill), दोनों तरह के विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया संसद में अलग-अलग है।

भारतीय संसद में धन विधेयक (Money Bill) कैसे पारित होता है?

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 से 122 तक में कानून-निर्माण-सम्बन्धी प्रकिया का उल्लेख है। कानून बनाने के लिए संसद के समक्ष जो प्रारूप या प्रसविदा प्रस्तुत किया जाता, उसे विधेयक कहते हैं। धन विधेयक के लिए दूसरी प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, जो साधारण विधेयकों (ordinary bill) की प्रक्रिया से सर्वथा भिन्न है। प्रजातंत्र का आधारभूत सिद्धांत यह है कि राष्ट्रीय वित्त पर लोक सभा का नियंत्रण हो।
- अत:,भारत में भी राष्ट्रीय वित्त पर लोक सभा का नियंत्रण है। इसी कारण धन विधेयक (money bill) सर्वप्रथम लोक सभा में ही उपस्थित हो सकते हैं, राज्य सभा में नहीं। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है।
- धन विधेयक (money bill) राष्ट्रपति की पूर्वस्वीकृति से लोक सभा में ही प्रस्तुत हो सकता है, राज्य सभा में नहीं।
- लोक सभा द्वारा पारित होने पर वह राज्य सभा में विचारार्थ भेजा जाता है। लोक सभा का अध्यक्ष अपना हस्ताक्षर कर उसे धन विधेयक (money bill) घोषित करता है। यदि राज्य सभा विधेयक प्राप्त करने के 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ लोक सभा के पास उस विधेयक को वापस कर दे तो लोकसभा उसकी सिफारिशों पर विचार करेगी। लेकिन, लोक सभा को पूर्ण अधिकार है कि वह उन सिफारिशों को स्वीकृत करे या अस्वीकृत।
- यदि सभा किसी सिफारिश को मान ले तो सिफारिश के साथ और यदि वह नहीं माने तो जिस रूप में वह लोक सभा में पारित हुआ हो उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा। इसका सर्वोत्तम उदाहरण 1977 ई. की एक घटना है। संसद के इतिहास में पहली बार राज्य सभा ने 28 जुलाई, 1977 को एक वित्त विधेयक सिफारिशों के साथ लोक सभा को लौटा दे। परन्तु, लोक सभा ने बहुमत से सिफारिशों के बिना ही विधेयक वापस कर दिया।
- यदि राज्य सभा 14 दिनों के अन्दर धन विधेयक नहीं लौटाती है तो उक्त अवधि की समाप्ति के बाद वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित समझा जाता है जिस रूप में लोक सभा ने उसे पारित किया था। उसके बाद धन विधेयक (money bill) राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति को उसपर अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। उसकी स्वीकृति मिलने के बाद धन विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है।

* * *

संभावित प्रश्न

चुनावी वित्तीयन का विषय सिर्फ चुनावों के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि समूची प्रजातांत्रिक व्यवस्था का स्वरूप निर्धारण करने वाला विषय है। इस कथन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार करते हुए निर्वाचन प्रणाली में पारदर्शिता लाने के संदर्भ में इलेक्टोरल बांड की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

The subject of electoral financing is not only relevant in the context of elections but also is a subject determining the nature of the whole democratic system. Considering the Supreme Court's decision in relation to this statement, critically analyze the relevance of the electoral bond in relation to bringing transparency in the electoral system. (250 words)

सुप्रीम कोर्ट : एससी/एसटी एक्ट पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

22 मार्च, 2018

*''हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एससी/एसटी एक्ट के बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल की बात को स्वीकार करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम, 1989 के तहत किसी भी तरह के अपराध के मामले में न्यायालय द्वारा नए दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।'' **इस संदर्भ में अंग्रेजी समाचार-पत्र ''फाइनेंसियल एक्सप्रेस'' एवं ''इंडियन एक्सप्रेस''** में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे **"GS World"** टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।*

''फाइनेंसियल एक्सप्रेस''
(असंतोष से भरा निर्णय)

''केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा प्रशासन के दलित सांसदों ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम पर दिए गये निर्णय पर आपत्ति जताई है।''

केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा प्रशासन के दलित सांसदों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गये निर्णय पर आपत्ति जताई है। इसके अलावा, इन्होने केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की मांग की। सांसदों का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें एक मंत्री शामिल थे, ने केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर करने को भी कहा है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है?

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, ऐसे मामलों में अब सरकारी अफसरों की तत्काल गिरफ्तारी नहीं हो सकती है और गिरफ्तारी से पहले जमानत भी दी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस एक्ट के तहत गिरफ्तार हो रहे आरोपी के आरोपों की जांच सुनिश्चित होनी चाहिए। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने यह भी बताया कि कानून के कड़े प्रावधानों के तहत दर्ज केस में सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम जमानत देने के लिए अब कोई बाधा नहीं होगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपी को यह बताने का अधिकार है कि उसके खिलाफ गलत इरादे से केस दर्ज कराया गया है और केस पूर्वाग्रह से ग्रसित है। न्यायिक तौर पर यह सामने आया है कि पिछले लगभग 30 वर्षों से इस कानून का कई मामलों में गलत इस्तेमाल भी हुआ है। राजनीतिक विरोधी द्वारा, पैसे के विवाद में, नौकरी विवाद में, वरिष्ठता के विवाद में ऐसा अक्सर देखा गया है।

अदालत ने कहा कि सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीश आदि के खिलाफ अपने हित साधने के लिए कानून का दुरुपयोग किया गया है। निर्दोष नागरिक को आरोपी बनाया गया है। इस कानून का मकसद यह नहीं था कि जो सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन्हें भय के साये में रखा जाए।

एससी-एसटी कानून की धारा-18 में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं रखा गया था। कहा गया था कि सीआरपीसी में जो अग्रिम जमानत का प्रावधान है, वह उक्त कानून में लागू नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम व्यवस्था देते हैं कि अगर इस कानून के तहत की गई शिकायत में पहली नजर में केस नहीं बनता या फिर केस गलत नियत से किया गया हो, तो अग्रिम जमानत हो सकती है। ऐसे मामले में अग्रिम जमानत की अर्जी पर अदालत केस दर केस मामले को देखेगा और अपने अधिकार का इस्तेमाल कर आदेश पारित करेगा।

''इंडियन एक्सप्रेस''
(न्याय की गुणवत्ता)

''अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातीय अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नीचे तबके के वर्गों को और दबाने का, किया गया एक प्रयास है, साथ ही यह कानून के सामाजिक संदर्भ को भी अनदेखा करता है। इसलिए इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।''

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की प्रवर्तन में सख्त 'सुरक्षा उपायों' को शामिल करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, अदालत के अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करने की पहचान को धूमिल करता है।

मंगलवार को एक दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि राजनीतिक या व्यक्तिगत कारणों के लिए 'निहित स्वार्थों' द्वारा एससी/एसटी अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसलिए इस अधिनियम के तहत निर्दोष लोगों को 'गलत निहितार्थ से बचाने के लिए' प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता थी।

पीठ ने आरोपी के लिए अग्रिम जमानत और मामला दर्ज करने से पहले 'प्रारंभिक पूछताछ' सहित प्रावधानों का प्रस्ताव दिया है। कानून का दुरुपयोग और अनुमतियों और शर्तों के एक व्यवस्था को लाने के लिए इसके तर्क के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का डर त्रुटिपूर्ण है।

वास्तव में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मौलिक कानून को कमजोर बनाने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है, जो समाज के सबसे नीचे तबके के वर्गों को और अधिक दबा देता है, क्योंकि यह उनकी स्वतंत्रता की रक्षा, समर्थन और विस्तार करता है।

हर कानून, जिसमें बलात्कार, दहेज या बाल विवाह के खिलाफ नियम शामिल है, उसका दुरुपयोग होने की संभावना होती है। अत्याचार अधिनियम कोई अपवाद नहीं है इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए भी जांच और संतुलन होना चाहिए, लेकिन इस तरह किसी कानून को अप्रभावी बनाने का कोई तर्क नहीं बनता हैं।

उदाहरण के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी सरकारी अफसर की गिरफ्तारी से पहले उसके उच्चाधिकारी से अनुमति लेनी जरूरी होगी। ऐसे मामलों में सामान्य आदमी के संबंध में एसएसपी की मंजूरी लेना आवश्यक बना दिया गया है।

इसके साथ ही अभियुक्त की भी तत्काल गिरफ्तारी नहीं की जाएगी तथा गिरफ्तारी से पहले उसकी जमानत के मार्ग को प्रशस्त किया गया है। आगे की नजरबंदियों की अनुमति के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा इस तरह के कारणों की जांच होनी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह पहले से तयशुदा सिद्धांत है कि निर्दोष को बचाया जाए। कानून के गलत इस्तेमाल के मामले में लोगों बचाने की जरूरत है। पीठ ने कहा कि पहले के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया है कि अग्रिम जमानत का जहां प्रावधान नहीं है, वहां भी जमानत हो सकती है। एक अन्य फैसले का हवाला देकर कहा कि अगर एससी-एसटी ऐक्ट के तहत मामला है और केस बनता है, तो जमानत नहीं है, लेकिन अगर पहली नजर में केस नहीं बनता, तो अग्रिम जमानत होगी।

भाजपा ने इस मुद्दे पर विचार किया

केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि वह इस आदेश और मुद्दों पर और चिंताओं की जांच करेंगे। भाजपा सांसद और पार्टी के एससी सेल के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि सरकार ने समुदायों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए, क्योंकि वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय उत्पीड़न या हमलावरों को दण्ड से मुक्त करने से ज्यादा संबंधित मालूम पड़ता है।

लेकिन इस तरह की निगरानी से कमजोर पीड़ित के बजाय शक्तिशाली अभियुक्त की मदद की संभावना अधिक है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का बहुत कम प्रमाण मौजूद हैं। दूसरी ओर, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं।

दरअसल, दलितों और आदिवासियों द्वारा अपने संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए राजनैतिक गठजोड़ हाल के दिनों में पूरे देश में सांप्रदायिक प्रभाव और राज्य की प्रतिक्रिया के साथ मिले हैं, भले ही प्रभावशाली जाति समूहों ने एससी/एसटी अधिनियम को एक बड़ी राजनीतिक मांग रद्द कर दिया है। निश्चित रूप से, यहाँ ये बात नहीं है कि न्यायालय क्या चाहती है, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के सर्वोत्तम हित में, सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले पर फिर से पुनर्विचार करना चाहिए।

GS World टीम...

क्या था मामला?

- बीते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, वह डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य और एएनआर मामले की सुनवाई के दौरान आया है। महाराष्ट्र के एक दलित कर्मचारी ने अपने खिलाफ की गई गोपनीय टिप्पणी के चलते अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ इस कानून के अंतर्गत मामला दर्ज कराया था।
- मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उनके वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति मांगी तो उन्होंने अनुमति नहीं दी। इसके बाद उस वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ भी पुलिस में मामला दर्ज करा दिया गया।
- इस पर बचाव पक्ष का कहना था कि अगर किसी दलित व्यक्ति को लेकर ईमानदार टिप्पणी करना भी अपराध है, तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

न्यायालय द्वारा जारी किये गए नए दिशा-निर्देश

- ऐसे मामलों में किसी भी निर्दोष को कानूनी प्रताड़ना से बचाने के लिये कोई भी शिकायत मिलने पर तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। सबसे पहले शिकायत की जाँच डीएसपी स्तर के पुलिस अफसर द्वारा की जाएगी।
- न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह जाँच पूर्ण रूप से समयबद्ध होनी चाहिये। जाँच किसी भी सूरत में 7 दिन से अधिक समय तक न चले। इन नियमों का पालन न करने की स्थिति में पुलिस पर अनुशासनात्मक एवं न्यायालय की अवमानना करने के संदर्भ में कार्यवाई की जाएगी।
- अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली अथॉरिटी की लिखित मंजूरी के बाद ही गिरफ्तारी हो सकती है और अन्य लोगों को जिले के एसएसपी की लिखित मंजूरी के बाद ही गिरफ्तारी किया जा सकेगा।
- इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त की पेशी के समय मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त कारणों पर विचार करने के बाद यह तय किया जाएगा कि क्या अभियुक्त को और अधिक समय के लिये हिरासत रखा जाना चाहिये या नहीं।
- इस मामले में सरकारी कर्मचारी अग्रिम जमानत के लिये भी आवेदन कर सकते हैं। आप को बता दें कि अधिनियम की धारा 18 के तहत अभियुक्त को अग्रिम जमानत दिये जाने पर भी रोक है।

उत्पीड़न के ज्यादातर मामले झूठे हैं

- नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के संबंध में विचार करने पर ज्ञात होता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम में दर्ज ज्यादातर मामले झूठे पाए गए।
- न्यायालय द्वारा अपने फैसले में ऐसे कुछ मामलों को शामिल किया गया है जिसके अनुसार 2016 की पुलिस जाँच में अनुसूचित जाति को प्रताड़ित किये जाने के 5347 झूठे मामले सामने आए, जबकि अनुसूचित जनजाति के कुल 912 मामले झूठे पाए गए।
- वर्ष 2015 में एससी-एसटी कानून के तहत न्यायालय द्वारा कुल 15638 मुकदमों का निपटारा किया गया। इसमें से 11024 मामलों में या तो अभियुक्तों को बरी कर दिया गया या फिर वे आरोप मुक्त साबित हुए। जबकि 495 मुकदमों को वापस ले लिया गया।
- केवल 4119 मामलों में ही अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। ये सभी आँकड़े 2016-17 की सामाजिक न्याय विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किये गए हैं।

अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम

- अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचारों की रोकथाम के लिये लाया गया। यह अधिनियम मुख्य अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का संशोधित प्रारूप है।

संभावित प्रश्न

"यह सही है कि समाज में और कार्यालयों में दलितों के साथ भेदभाव होता रहा है, लेकिन ज्यादातर मामलों में बेगुनाह लोगों को रंजिश इसमें फंसा दिया जाता हैं।" इस कथन के संदर्भ में एससी/एसटी एक्ट का बड़े पैमाने पर हो रहे गलत इस्तेमाल को रोकने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

"It is true that in the society and in the offices there has been discrimination with the Dalits, but in most cases the innocent people are being incriminated in this." In the context of this statement, Critical analyze the Supreme Court's decision with the intention of preventing the misuse of the SC / ST Act on a large scale. (250 Words)

भारत की बिजली जरूरतों को पूरा करना

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।।। (पर्यावरण एवं पारिस्थितकी) से संबंधित है।

23 मार्च, 2018

''द हिन्दू''

लेखक- आर.बी. ग्रोवर (प्रोफेसर, होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान)

''जब तक केंद्रीय ग्रिड विश्वसनीय नहीं हो जाता, एक सौर-और पवन-शक्ति वाली माइक्रोग्रिड दूरस्थ क्षेत्रों को प्रकाश में लाने का एक बेहतर तरीका है।''

अकसर हम इसके बारे में खबरों में पढ़ते रहते है कि परिवर्तनशील अक्षय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर फोटोवोल्टिक और पवन 'ग्रिड समता' तक पहुंच गया है। ग्रिड समता की अवधारणा क्या है? विद्युत ग्रिड एक बहुत जटिल प्रणाली है। इसमें उच्च वोल्टेज, स्टेप-अप और स्टेप-डाउन ट्रांसफार्मर और लोड सेंटर पर वितरण नेटवर्क पर लंबी दूरी की बिजली का संचारण शामिल है। विभिन्न बिजली जनरेटर और उपभोक्ता इसके साथ जुड़े हुए हैं।

जटिल नेटवर्क-

ग्रिड समानता को दो अलग-अलग तरीकों से देखा जा सकता है: जनरेटर-एंड ग्रिड समता और उपभोक्ता-एंड ग्रिड समानता। जेनरेटर-एंड ग्रिड समानता संयंत्र की सीमा तक ही सीमित है और इसमें ग्रिड प्रणाली की लागत शामिल नहीं होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं के लिए बिजली हमेशा एक विश्वसनीय आधार पर उपलब्ध हो, एक ग्रिड प्रबंधक को हर समय मांग के अनुसार जनरेटर से पर्याप्त बिजली आपूर्ति अनुबंधित करना पड़ता है। भारत में, सबसे अधिक इसकी मांग शाम में होती है, जब सौर उपलब्ध नहीं होता है और हवा बहती है या नहीं बह रही होती है। इसलिए, मांग पर बिजली भेजने में सक्षम जनरेटर की क्षमता, यानी ग्रिड से जुड़ा प्रेषक स्रोत, पीक लोड से अधिक होना चाहिए।

यह अधिक होना चाहिए, क्योंकि कुछ जनरेटर दीर्घकालिक रखरखाव के तहत होंगे और कुछ तकनीकी दोषों के कारण कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। ग्रिड प्रणाली की लागत, टॉवर, तारों, और ट्रांसफार्मर की लागत से अधिक है। इसमें पीक लोड को पूरा करने के लिए ग्रिड मैनेजर द्वारा प्रदत्त क्षमता और भंडारण क्षमता की पूंजी और परिचालन लागत भी शामिल है। जब एक ग्रिड प्रबंधक पर्याप्त क्षमता शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं होता है, तो परिणाम बिजली की कटौती के रूप में होता है।

हालांकि, प्राथमिकता फीड-इन में सौर और पवन ऊर्जा को कम क्षमता वाले विद्युत जनरेटर को पूर्ण क्षमता में ऑपरेशन जारी रखने की क्षमता के बावजूद कम करने के लिए मजबूर करता है। इस प्रकार, जब उच्च मांग को पूरा करने के लिए उकेरक जनरेटर में पूंजी निवेश किया जाता है, तो उन्हें प्रचलित नीतिगत ढांचे द्वारा 24 x 7 आधार पर काम करने का अवसर नहीं दिया जाता है।

उपभोक्ता-एंड ग्रिड समता का विश्लेषण करने के लिए, संयंत्र की लागत को सिस्टम लागत से जोड़ना होगा, लेकिन जब इसकी जांच की जाएगी तो सौर और पवन ग्रिड समता को प्राप्त करने से काफी दूर मिलेंगे। इसलिए, एक तथ्यात्मक सही वक्तव्य यह है कि 'सौर और पवन जनरेटर एण्ड ग्रिड समानता पर पहुंच गए हैं और उपभोक्ता एण्ड ग्रिड समानता हासिल करने से पहले अधिक शोध और विकास की आवश्यकता है।' इस तरह की अभिव्यक्ति नीति निर्माताओं को एक सही तस्वीर प्रदान करती है।

लागत कारक-

ऊर्जा अर्थशास्त्री विद्युत उत्पादन के विभिन्न विकल्पों की तुलना करने के लिए बिजली उत्पादन की लागत की अवधारणा का उपयोग करते हैं, लेकिन संयंत्र स्तर की लागतों पर गणनाएं सिमित हो जाती है।

सौर और हवा को तैनात करने के उपयुक्त तरीके को उनके तीन विशेषताओं को पहचानने के द्वारा तय किए जा सकते हैं - शून्य ईंधन लागत, कम क्षमता वाले कारक और अंतराल। सौर और पवन पृथक परिनियोजन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हैं जैसे कि सिंचाई पंप के लिए। एक सौर पैनल से सीधे जुड़े एक सिंचाई पंप एक किसान के लिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि उसे ग्रिड पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा।

भारत में, अभी भी ऐसे समुदाय हैं जिनके पास केंद्रीय बिजली ग्रिड तक पहुंच नहीं है या केंद्रीय ग्रिड से आपूर्ति अविश्वसनीय है। सौर और पवन उर्जा से एक माइक्रोग्रिड बिजली की आपूर्ति होना और एक पृथक दूरस्थ समुदाय में उपभोक्ताओं से जुड़ना, प्रकाश व्यवस्था के लिए बिजली उपलब्ध कराने में, मोबाइल फोन चार्ज करने में और छोटी आजीविका के आवेदनों में सहायता करने में काफी सहायक सिद्ध होगा। एक भंडारण बैटरी ऐसी पृथक माइक्रोग्रिड का अभिन्न अंग है और इससे बिजली की लागत बढ़ जाती है। ऐसे प्रतिष्ठानों का अनुभव दर्शाता है कि उपभोक्ता विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति के बदले इसके लिए भुगतान करने को तैयार हैं। जब तक केंद्रीय ग्रिड की विश्वसनीयता का आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक ग्रामीण और दूरदराज के समुदायों के लिए सौर और पवन ऊर्जा वाली माइक्रोग्रिड ही आगे बढ़ने का रास्ता है।

उम्मीद है कि बैटरी प्रौद्योगिकियों में चल रहे शोध से बिजली संग्रहण की लागत कम हो जाएगी और भंडारण की सुरक्षा में सुधार आएगा, जिससे सौर और पवन की बड़ी तैनाती का रास्ता साफ हो जाएगा। कोई भी यह उम्मीद कर सकता है कि सभी विकासशील देशों की आवश्यकताओं की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा दे सकता है। सौर और पवन के बड़े पैमाने पर पैठ के लिए एक और विकल्प गैस आधारित बिजली संयंत्रों को स्थापित करना है। यह केवल तभी संभव होगा जब मध्य एशिया और ईरान से गैस के परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाइन को चालू किया जाए।

परमाणु, पनबिजली विकल्प-

लेकिन सौर और पवन भारत की प्रस्तावित बिजली आवश्यकताओं के एक चौथाई से भी मेल नहीं खाती हैं। इसके लिए इसका एक बड़ा हिस्सा जल, परमाणु और कोयले से आना होगा। इन तीन तकनीकों में से, कम-कार्बन प्रौद्योगिकियों को तरजीह देना होगा अर्थात पनबिजली और परमाणु ऊर्जा। पनबिजली और परमाणु ऊर्जा से बिजली के निर्माण तक कोयला को भारत की बिजली जरूरतों को पूरा करना जारी रखना चाहिए। सौर और पवन में निवेश के साथ, सरकार को पनबिजली और परमाणु दोनों में वृद्धि के निवेश की योजना बनानी चाहिए।

* * *

GS World टीम...

नवीकरणीय ऊर्जा क्या है?

- यह ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है। इसमें सौर ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा, पवन, ज्वार, जल और बायोमास के विभिन्न प्रकारों को शामिल किया जाता है।

यह क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- यह स्वच्छ ऊर्जा का एक प्रकार है जोकि प्रकृति में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है।
- कुछ देशों में नवीकरणीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों से सस्ती है। कुछ देशों में नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा का एक सस्ता विकल्प है। ध्यातव्य है देशों की उच्च क्षमता के कारण उनके लिये नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना अपेक्षाकृत आसान होता है।
- एक पवन ऊर्जा टरबाइन से 300 घरों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवश्यक बिजली का उत्पादन किया जा सकता है।
- जीवाश्म ईंधनों के समान नवीकरणीय स्रोत प्रत्यक्षतः हरित गृह गैसों का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ध्यातव्य है कि हरितगृह गैसों के कारण ही वैश्विक तापन की घटना देखने को मिलती है।
- सर्वेक्षण दर्शाते हैं कि विश्व में कोयला, तेल, गैस और यूरेनियम की अपेक्षा भू-तापीय ऊर्जा के लिये संसाधन आधार काफी अधिक मात्र में उपलब्ध हैं।
- वर्तमान में बायोमास अमेरिका का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि वहाँ मौजूद इसके 200 संयंत्र लगभग 1.5 मिलियन अमेरिकी घरों को बिजली उपलब्ध कराते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (IRENA)

- अंतर-सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का भारत संस्थापक सदस्य है। यह एजेंसी भविष्य में सतत ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव के लिए देशों की सहायता करती है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रमुख मंच के रूप में काम करने के साथ-साथ एक विशिष्टता केंद्र, नीति, प्रौद्योगिकी, संसाधन और अक्षय ऊर्जा पर आधारित वित्तीय जानकारी के एक स्रोत के रूप में भी काम करती है।

इस एजेंसी की दो मुख्य नियंत्रण संरचनाएं हैं:

- आईआरईएनए असेम्बली, जो वृहद स्तर पर निर्णय लेती है और आईआरईएनए को नीति संबंधी निर्देश देती है।
- आईआरईएनए काउंसिल, जो एजेंसी का मुख्य नियंत्रण निकाय है और असेम्बली के विभिन्न निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

भारत की राष्ट्रीय बिजली योजना में अक्षय ऊर्जा लक्ष्य का विकास

- भारत ने इस संबंध में अपना लक्ष्य पेरिस में प्रस्तावित विश्व पर्यावरण संधि के लिये 'यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज' (यूएनएफसीसीसी) के सामने रखा। इसमें जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों व दुष्प्रभावों से निपटने की विस्तृत जानकारियों व उपायों का उल्लेख है। भारत ने इसके लिए अपना राष्ट्रीय लक्षित स्वैच्छिक योगदान (आईएनडीसी) तैयार किया।
- पेरिस में वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में सभी देशों को अपना-अपना आईएनडीसी देना जरूरी था। लिहाजा अगले डेढ़ दशक में उत्सर्जन को करीब एक-तिहाई घटाने का वायदा पूरा हो सकता है। पर इस दौरान अजीवाश्मीय ईंधन से 40 प्रतिशत विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य व्यावहारिक नहीं लगता।
- वैसे एनईपी-3 काफी अधिक उत्साहित करने वाला है। अनुमान है कि वर्ष 2021-22 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा शक्ति कुल स्थापित क्षमता का 46.8 फीसदी और वर्ष 2027 तक 56.5 फीसदी बढ़ जाएगा।
- अगर एनईपी 3 का लक्ष्य तय समय सीमा में पूरा हो गया तो वर्ष 2024 के करीब भारत में कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता कोयला आधारित ऊर्जा क्षमता से ज्यादा हो जाएगी।

संभावित प्रश्न

भारत सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन के लिए अपनी क्षमता स्थापित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। फिर भी नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने और इसी क्षमता का विस्तार करने के लिए सरकार को अपने नीति-निर्माण में क्या सुधार किए जाने की आवश्यकता है? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

India is fully committed to establish its capacity for power generation from renewable sources like solar and wind power. However, to achieve the goal of renewable energy and to increase its capacity, what improvements are required in the policy making of government? Discuss. (250 words)

GS World Committed to Excellence

कोर्ट करेक्शन

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

24 मार्च, 2018

''इंडियन एक्सप्रेस''

''लाभ के पद के मामले में आम आदमी पार्टी के अयोग्य विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए चुनाव आयोग से कहा कि वह इस मामले की दोबारा सुनवाई करे।''

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसी) के जनवरी के आदेश, जिसमें आम आदमी पार्टी के सभी 20 विधायकों को 'लाभ का पद' रखने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था, को अलग रखकर अच्छा कार्य किया है। इस अखबार के साथ-साथ कई अखबारों ने यह संकेत दिया था कि चुनाव आयोग अपने आदेश को जारी करते वक्त उचित प्रक्रिया को कायम रखने में विफल रहा था।

जनवरी में, आयोग ने संसदीय सचिव को लाभ का पद ठहराते हुए राष्ट्रपति से 'आप' के 20 विधायकों की सदस्यता रद करने की सिफारिश की थी।

उसी दिन 'आप' के कुछ विधायकों ने आयोग की सिफारिश के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था। कानून के मुताबिक, एक विधायक को दूसरे कार्यालय में शामिल होने की अनुमति नहीं है जो उन्हें वेतन और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है।

जब चुनाव आयोग के सामने शिकायत दर्ज की गई थी, तब दिल्ली उच्च न्यायालय ने नियुक्तियों को अलग कर दिया था, जिसने आयोग के समक्ष आम आदमी पार्टी के प्रस्ताव के लिए एक आधार का गठन किया था, जिससे यह मुद्दा शून्य हो गया था। लेकिन चुनाव आयोग ने मामला बंद करने से इनकार कर दिया और सुनवाई के बिना विधायकों के खिलाफ फैसला सुनाया।

हालांकि, कानून स्पष्ट है जो विधायकों को लाभ का पद रखने से रोकता है, लेकिन कई राज्य विधानसभा ने विधानसभा सचिवों जैसे पदों पर विधायकों को रखने की अनुमति देने के लिए इसे संशोधित भी किया है। निश्चित रूप से अगर राज्य सरकार और केंद्र का सौहार्दपूर्ण संबंध होता तो दिल्ली भी इसी तरीके से इस मुद्दे को हल कर लेता।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए चुनाव आयोग की एकतरफा कार्रवाई एक चरम कदम थी, जो कि वर्षों से निर्धारित किए गए आचरण के उच्च मानकों से मेल नहीं खा पा रहा था।

एक निर्वाचित विधायक को हटाने के लिए स्तर, जो लोगों के जनादेश का प्रतिनिधित्व करता है, बहुत उच्च होना चाहिए और अयोग्यता केवल उचित प्रक्रिया के बाद और अंतिम उपाय के रूप में की जानी चाहिए।

इस मामले में, चुनाव आयोग प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कायम रखने में विफल रहा है और विधायकों को स्वयं का बचाव करने की अनुमति दिए बिना भी आदेश जारी किया। हांलाकि, इस विफलता को उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रेखांकित किया।

देखा जाये तो, पूर्व चुनाव आयुक्तों सहित कई लोगों ने भी इस आदेश को रेखांकित किया था, लेकिन आयोग ने पीछे हटने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा, राष्ट्रपति का कार्यालय भी आयोग के इस आदेश पर सवाल उठा सकता था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने चुनाव आयोग के साथ जाना सही समझा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग और राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा लोकतांत्रिक सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के लिए हुए नुकसान को पूर्ववत करने के लिए कदम उठाया है। चुनाव आयोग को अब मामले को फिर से सुनना होगा और उम्मीद है कि वह इस बार और अधिक उचित निष्कर्ष पर पहुँचेगी।

* * *

जी. एस. वर्ल्ड टीम...

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में लाभ का पद मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के 20 अयोग्य विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए चुनाव आयोग से कहा कि वह इस मामले की दोबारा सुनवाई करे।
- गौरतलब हो कि आयोग ने लाभ के पद मामले में 'आप' के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिया था। आयोग के इस फैसले के खिलाफ इन विधायकों ने आठ अलग-अलग याचिका दायर की थीं।

हाईकोर्ट ने फैसले में क्या कहा?

- हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस चंद्रशेखर की बेंच ने कहा, ''आप विधायकों को अयोग्य करार देना कानूनी तौर पर गलत था। चुनाव आयोग ने सुनवाई के नियमों का उल्लंघन किया। साथ ही मुख्य आयुक्त रहे ओपी रावत के दोबारा सुनवाई में शामिल होने की बात भी नहीं बताई। इसलिए 19 जनवरी का आदेश रद्द किया गया है। आयोग दोबारा मामले की सुनवाई करे।''

क्या है पूरा मामला?

- राजधानी दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिया गया है। एक तरफ चुनाव आयोग ने लाभ के पद के उल्लंघन के मामले राष्ट्रपति से सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी।

'लाभ के पद' का अर्थ

- 'लाभ के पद' का मतलब उस पद से है, जिस पर रहते हुए कोई व्यक्ति सरकार की ओर से किसी भी तरह की सुविधा लेने का अधिकारी हो। ओहदे के हिसाब से संसदीय सचिव का कद किसी राज्य के मंत्री के बराबर होता है और इसलिए उन्हें मंत्री जैसी सुविधाएं भी मिल सकती हैं, **जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 (1) (अ) कहता है कि** सांसद या विधायक किसी भी ऐसे अन्य पद पर नहीं हो सकते, जहां वेतन, भत्ते या अन्य दूसरी तरह के फायदे मिलते हों।
- **वहीं, संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ए) के अनुसार,** अगर कोई विधायक किसी लाभ के पद पर पाया जाता है तो विधानसभा में उसकी सदस्यता अयोग्य ठहराई जा सकती है। **जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 9(अ) के तहत** भी सांसदों और विधायकों को अन्य पद लेने से रोकने का प्रावधान है।
- विशेषज्ञों का कहना है कि संविधान में इस अनुच्छेद को रखने का उद्देश्य विधानसभा को किसी भी तरह के सरकारी दबाव से मुक्त रखना था, क्योंकि अगर लाभ के पदों पर नियुक्त व्यक्ति विधानसभा का भी सदस्य होगा तो इससे वह प्रभाव डालने की कोशिश कर सकता है।
- संविधान में कहीं भी लाभ का पद परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान इस शब्द का केवल प्रतिषेधक अर्थ में **अनुच्छेद 102, 171, 64, 65** तथा अन्य कई स्थानों पर उल्लेख करता है। **संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अनुसार** कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना, संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है।
- राज्य विधानसभा की सदस्यता के संदर्भ में अनुच्छेद-191 समान रोक लगाता है। यहां तक कि भारत के राष्ट्रपति पर भी अनुच्छेद 58 व 59 के अंतर्गत तथा उपराष्ट्रपति पर अनुच्छेद 66(4) के अंतर्गत समान रोक लगाई गई है।

कुछ अन्य संबंधित मामले

लाभ के पद के संदर्भ में भारत में कोई स्थापित प्रक्रिया नहीं है। ऐसे में न्यायालय की भूमिका उल्लेखनीय हो जाती है-

- **गोविन्द बसु बनाम् संकरी प्रसाद गोशाल मामले में** गठित संविधान पीठ ने लाभ के पद के संदर्भ में कई कारक निर्धारित किए हैं। जैसे- नियुक्तिकर्त्ता, पारितोषिक या लाभ निर्धारित करने वाला प्राधिकारी, पारितोषिक के स्रोत आदि।
- **अशोक भट्टाचार्य बनाम् अजोय बिस्वास मामले में** निर्णय देते हुए कहा कि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिये प्रत्येक मामले को उपयुक्त नियमों और अनुच्छेदों को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए।

अब आगे क्या होगा?

- इस कदम से 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा की 20 सीटों के लिए उपचुनाव कराना पड़ेगा। वर्तमान में आधिकारिक तौर पर आप के 66 सदस्य सदन में हैं। अन्य चार सीटें बीजेपी के पास हैं। अगर 20 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाता है, तो सत्ताधारी दल के पास अब भी दिल्ली विधानसभा में बहुमत बना रहेगा।

* * *

संभावित प्रश्न

हाल ही में 'लाभ के पद' के उल्लंघन के मामले में अयोग्य घोषित किए गए 20 विधायाकों को उच्च न्यायालय द्वारा राहत प्रदान की गई है। इस कथन के सन्दर्भ में 'लाभ के पद' की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके महत्त्व को बताएं एवं इस संबंध में न्यायालय की भूमिका का उल्लेख करें। (250 शब्द)

Recently 20 MLAs who have been disqualified for violating 'Office of Profit' have been provided relief by the High Court. In the context of this statement explain the concept and importance of the 'Office of Profit' and also mention the role of courts in this regard. (250 words)

पहला कदम : एनडीए सरकार की आयुष्मान भारत पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

24 मार्च, 2018

''द हिन्दू''

''राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के लिए एक साहसिक, समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है।''

आयुष्मान भारत - राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के माध्यम से एनडीए सरकार द्वारा 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य कवर प्रदान करने वाली महत्वाकांक्षी योजना को केन्द्रीय कैबिनेट ने इसके कार्यान्वयन की मंजूरी दे दी।

वर्तमान सरकार की अवधि समाप्त होने से पहले उपलब्ध एक छोटी सी खिड़की को ध्यान में रखते हुए, इस तरह की महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

शुरुआत के लिए, सर्वोच्च परिषद जो राज्यों के साथ साझेदारी में इसे संचालित करने के लिए कार्यक्रम और शासी बोर्ड को संचालित करेगी, उन्हें स्थापित करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान के लिए जिन राज्यों की सांविधिक जिम्मेदारी है, उन्हें शीघ्र ही कार्य करना होगा और इस योजना को चलाने के लिए समर्पित एजेंसियों का गठन करना होगा।

चूंकि एनएचपीएम एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रणाली की नींव का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे अंततः सभी भारतीयों को कवर करना है, इसे एक अलग कानूनी व्यवस्था के माध्यम से आदर्श कानूनी आधार दिया जाना चाहिए।

यह भोजन और सूचना के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले कानून की तर्ज पर हो सकता है। इस तरह के कानून देखभाल के लिए हकदार हैं, जो कि योजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। यह अस्पताल-आधारित उपचार के मूल्य निर्धारण पर बहुत आवश्यक नियामक नियंत्रण भी सक्षम करेगा।

एनएचपीएम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारंभिक मानदंड, जो पहले स्वास्थ्य आश्वासन योजनाओं के अंतर्गत थे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के मामले में, अन्य मापदंडों को पूरा करने वाले परिवारों पर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों की आकस्मिकताओं जैसे कमजोर समूहों को शामिल करने से संबंधित लगते हैं। सरकार को इन समूहों को सार्वभौमिक रूप से शामिल करने का बोल्ड कदम उठाना चाहिए; करदाता द्वारा वित्तीय जोखिम वहन किया जा सकता है।

यूनिवर्सल स्वास्थ्य कवरेज डब्लूएचओ द्वारा एक राज्य के रूप में परिभाषित किया जाता है 'जहाँ सभी लोग उन स्वास्थ्य सेवाओं को बिना किसी वित्तीय कठिनाइयों का सामना किये बगैर प्राप्त कर सकते हैं।'

वर्ष 2030 के लिए सशक्त विकास लक्ष्यों के अनुमोदन के साथ, भारत को दर्जनों वर्षों के दौरान अपनी महत्वाकांक्षा को लगातार समय-समय पर बढ़ाना होगा। यह केवल हर साल मुख्य बजटीय व्यय में वृद्धि करने के महत्व को रेखांकित करता है, लेकिन स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों पर भी ध्यान देना होगा।

सार्वजनिक स्वास्थ्य बोझ को कम करने के लिए सस्ती आवास, योजनाबद्ध शहरी विकास, प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण हैं। लेकिन दुर्भाग्य से, सरकार इन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही हैं, क्योंकि जीवन की गुणवत्ता स्थिर आर्थिक विकास के साथ संभव है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के मार्ग पर अपने शुरुआती आकलन में, नीति आयोग ने पहुँच विस्तार के लिए एक भव्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली की बजाय एक राज्य-विशिष्ट दृष्टिकोण की वकालत की है। लेकिन एनएचपीएम का एक राष्ट्रीय स्वरूप है, इसके कार्यान्वयन में राज्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सब एक वास्तविकता बनाने के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और सरकार को इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।

* * *

चर्चा में क्यों?

हाल ही में देश के 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख का मेडिकल बीमा उपलब्ध कराने वाली महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना को केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी है। अगर इसे लागू किया जाता है तो यह दुनिया में इस तरह की सबसे बड़ी स्कीम होगी। केंद्र सरकार इसके लिए 60 पर्सेंट और राज्य 40 पर्सेंट प्रीमियम चुकाएंगे।

टेंडर के जरिये प्राइस डिस्कवरी करने पर राज्यों के लिए प्रीमियम अधिक रह सकता है। 10 साल पुरानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के तहत गरीबी रेखा से नीचे 3 करोड़ परिवारों को फायदा मिल रहा है। राज्यों का तजुर्बा इस स्कीम को लेकर अलग-अलग रहा है।

कैशलेश होगी यह योजना?

यह योजना ट्रस्ट मॉडल या इंश्योरेंस मॉडल पर काम करेगी और पूरी तरह कैशलेस होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उन आशंकाओं को खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि पहले गरीब को इलाज के लिए भुगतान करना होगा फिर उसके बाद वह इलाज पर खर्च हुई राशि प्राप्त करने के लिए क्लेम कर सकेगा। रीईबर्स प्रक्रिया में गड़बड़ी होने की संभावनाओं को देखते हुए यह योजना पूरी तरह कैशलेस ही होगी। इसका मतलब यह है कि जो भी आयुष्मान योजना के तहत बीमित व्यक्ति है उसे अपने इलाज का खर्च नहीं देना होगा। पांच लाख रुपए तक का खर्च उसे सरकार की तरफ से आसानी से मिल जायेगा।

कैसे होगा इलाज?

मरीज को अस्पताल में भर्ती होने के बाद अपने बीमा दस्तावेज देने होंगे जिसके आधार पर अस्पताल इलाज के खर्च के बारे में बीमा कंपनी को सूचित कर देगा और बीमित व्यक्ति के दस्तावेजों की पुष्टि होते ही इलाज बिना पैसे दिये हो सकेगा। यह सुविधा निजी अस्पतालों में भी मिलेगी।

कब से लागू होगी योजना?

अभी यह तय नहीं हुआ है कि शुरुआत कब होगी। 15 अगस्त या गांधी जयंती के दिन 2 अक्तूबर को योजना शुरु हो जाएगी। यहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा भी मिलेगी जो कि जल्द ही चालू होगी।

इलाज कहां कराना होगा?

इस योजना के तहत बीमित व्यक्ति सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकेगा। यह योजना सरकारी अस्पतालों पर बढ़ती भीड़ का दबाव भी शायद कम होगा।

कैसे होगा चयन?

एसपीसीसी डेटाबेस पर आधारित गरीब और कमजोर तबके के लोग शामिल किए जाएंगे। कोई छूटे नहीं, इसके लिए परिवार के आकार और आयु पर किसी तरह की सीमा नहीं होगी। कच्ची दीवार और कच्ची छत के साथ एक कमरा वाले, वे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई वयस्क सदस्य नहीं हो, ऐसे परिवार जिसमें दिव्यांग सदस्य हों और कोई शारीरिक रूप से सक्षम वयस्क सदस्य नहीं हो, अजा/जजा परिवार, मानवीय आकस्मिक मजदूरी से आय का बड़ा हिस्सा कमाने वाले भूमिहीन परिवार, ग्रामीण क्षेत्रों में बिना छत के रहने वाले, निराश्रित, खैरात पर जीवन यापन करने वाले, मैला ढोने वाले परिवार, आदिम जनजाति समूह, कानूनी रूप से मुक्त किए गए बंधुआ मजदूर शामिल होंगे।

आधार नंबर से परिवारों की सूची तैयार की जा रही है। सूची पूरी तरह तैयार हो जायेगी तब इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी और पहचान पत्र की जरूरत नहीं होगी।

क्या सुविधाएं मिलेंगी?

बीमा पॉलिसी के पहले दिन से मौजूद सभी शर्तों को कवर किया जाएगा। मरीज को हर बार अस्पताल में दाखिल होने पर आने जाने का खर्च भी दिया जाएगा। पैनल में शामिल देशभर के किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल से कैशलेस इलाज की सुविधा होगी।

व्याप्त चिंताएं

- दो साल पहले घोषित एक लाख रुपये के कवरेज का फायदा अब तक किसी को नहीं मिला।
- पांच लाख रुपये के बीमा कवरेज के लिए 12000 रुपये की किस्त।
- बीमा योजनाओं का फायदा मरीज से अधिक बीमा कंपनियों को।
- सरकार 50 करोड़ लोगों को पांच साल सालाना हेल्थ बीमा का सब्जबाग दिखा रही है। 30 हजार रुपये की बीमा योजना के लिए सरकार को 750 रुपये प्रीमियम देना होता है और इस हिसाब से पांच लाख रुपये बीमा कवरेज के लिए 12000 रुपये की किस्त जमा करनी होगी।
- जानकारों के मुताबिक इतना बीमा देने के लिए सरकार को हर साल कुल सवा लाख करोड़ रुपये का प्रीमियम देना होगा जो केंद्र और राज्य सरकारों के सम्मिलित हेल्थ बजट से अधिक है।
- नेशनल हेल्थ मिशन जो कि केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत बच्चों और महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य सेवा भी मुहैया कराई जाती हैं। उसमें 770 करोड़ की कटौती हुई है।
- इससे बच्चों और माताओं की मृत्यु दर बढ़ने का डर है, दूसरी ओर सरकार ने जो सरकारी बीमा योजना के विस्तार का ऐलान किया है उसका प्रीमियम ही अगर देखें तो केंद्र सरकार के पिछले साल के कुल स्वास्थ्य बजट का तीन गुना बनता है।
- सरकार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के वक्त प्रचलित हुई 'ओबामा केयर' की तरह 'मोदी केयर' शुरू करना चाहती है लेकिन सरकार के मौजूदा आंकड़े को सही भी मानें तो अभी देश की 25 प्रतिशत आबादी ही आज सरकारी बीमा कवरेज में है।

संभावित प्रश्न

सार्वजनिक स्वास्थ्य बोझ को कम करने के लिए सस्ती आवास, योजनाबद्ध शहरी विकास, प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण हैं। 'आयुष्मान भारत' योजना को सफल बनाने हेतु सरकार को अपने नीतिओं में क्या अपेक्षित बदलाव करने चाहिए? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

In order to reduce public health burden, affordable housing, planned urban development, pollution control and road safety are very important. What supposed changes should Government make in its policies to make the 'Ayushman Bharat' scheme successful? Discuss. (250 Words)

विशेष ध्यान देने की आवश्यकता

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

26 मार्च, 2018

''द हिन्दू''

लेखक - अरिजित घोष, रौणक चंद्रशेखर
(कानूनी नीति के लिए विधिकेन्द्र में न्यायिक सुधार पहल के साथ अनुसंधान अध्येता)

''यह माना जाता है कि विशेष अदालत न्यायिक दक्षता के लिए रामबाण है और शायद ही इस तथ्य को किसी भी सबूत की आवश्यकता होगी।''

पिछले दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने संसद और विधान सभा के सदस्यों के खिलाफ 1, 581 मामलों का फैसला करने के लिए 12 फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के लिए केंद्र के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी थी।

इस तरह की माप की पर्याप्तता के बारे में व्याप्त अनिश्चितताओं के अलावा एक और अधिक स्पष्ट मुद्दा यह है कि यह आदेश उन दो अलग-अलग न्यायिक सुविधाओं को एक-दूसरे के जरिए उपयोग करते हुए सामने लाता है, अर्थात स्पेशल कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट।

स्पेशल कोर्ट, जो स्वाधीनता से पहले अधीनस्थ न्यायपालिका में मौजूद हैं, जिन्हें एक कानून के तहत स्थापित किया गया है जिसका अर्थ है कि कानून के भीतर आने वाले विशिष्ट विवादों को संबोधित करना।

विभिन्न केंद्रीय और राज्य विधानों के माध्यम से 1950 से 2015 के बीच 25 विशेष न्यायालयों की स्थापना की जा चुकी है। हालांकि, कुछ विधियों और न्यायिक बैकलॉग की विशिष्टताओं को संबोधित करने के एक पुराना माध्यम होने के बावजूद, ऐसा लगता है कि यह प्रणाली आखिर काम फिर कैसे करती है?

लगभग चार दशक पहले, सुप्रीम कोर्ट के एक पीठ ने विशेष न्यायालय विधेयक, 1978 (स्पेशल कोर्ट केस) नामक शीर्षक मामले में एक निर्णय दिया था, जो विशेष अदालतों से संबंधित और आपातकाल के दौरान मामलों की अधिकता से निपटने के लिए था। यहां, न्यायालय ने संवैधानिकता और विधायी क्षमता के बारे में कहा, जिसके साथ संसद विशेष अदालतों को स्थापित कर सकती है।

फैसले में विशेष अदालतों पर चर्चा के आधार पर, एक विशेष अदालत की प्रथम दृष्टांत परिभाषा यह हो सकती है कि एक ऐसा न्यायालय जिसे एक संक्षिप्त और सरल प्रक्रिया के तहत विशेष प्रकार के मामलों से निपटने के लिए एक कानून के तहत स्थापित किया गया है।

फास्ट ट्रैक अदालत 11 वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के परिणामस्वरूप थीं, जो न्यायिक बैकलॉग से निपटने के लिए 1,734 ऐसी न्यायालयों की रचना करने की सलाह दी थी।

वे एक कार्यकारी योजना (जैसा कि विधायिका के एक कानून के विरोध में) के रूप में वास्तविक रूप से व्यक्त किया गया था और संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किया जाना था। यद्यपि 2005 में इसे खत्म करने के ख्याल से, इस योजना को 2011 तक बढ़ा दी गई। तब से, बलात्कार के मामले सामने आने से छह ऐसे न्यायालय दिल्ली में स्थापित किए जा चुके हैं।

असंगत प्रारूपण

जबकि फास्ट ट्रैक कोर्ट और ट्रिब्यूनल के पास पर्याप्त चर्चा का विषय है, वहीं विशेष अदालतों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है। विशेष अदालतों के संबंध में शोध और विश्लेषण में इस रिक्त स्थान ने कानून और संचालन में विसंगतियों को जन्म दिया है।

हांलाकि, विचार अनैतिक रूप से भिन्न हो सकता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सबसे अच्छा संसद द्वारा प्रदर्शित किया गया है। केन्द्रीय कानून के 28 टुकड़े जैसे कि विशेष आपराधिक न्यायालयों (न्यायक्षेत्र) अधिनियम, 1950 से धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2012 तक अगर देखे तो हम पाएंगे कि ऐसे न्यायालयों को बनाने वाले कानून हमे विविध प्रावधानों के उलझनों के बीच छोड़ देते हैं।

स्पेशल कोर्ट्स केस स्पष्ट रूप से 'कानून के तहत स्थापित' शब्द का उपयोग करता है, जो अधिकांश मामलों में, नये न्यायालय की रचना या स्थापना से संबंधित होता है। यहां तक कि लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम, 2012 विभिन्न स्थानों पर 'स्थापित' और 'नामित' शब्द का उपयोग करता है। इन विधियों में एकीकृत जुड़ाव यह है कि इन शर्तों को परिभाषित नहीं किया गया है या प्रक्रियात्मक रूप से समझाया नहीं गया है।

इसलिए राज्यों और उच्च न्यायालयों के लिए इस तरह के अदालतों की स्थापना में अस्पष्टता सामने आती है। उदाहरण के लिए, क्या उन्हें नये भवनों की आवश्यकता है? क्या अधिक न्यायिक अधिकारियों को काम पर रखा जाना चाहिए? अगर किसी न्यायाधीश को एक विशेष कानून के तहत नामित किया गया है, तो क्या उन मामलों को उसके रोस्टर में जोड़ दिया जाना चाहिए या उसे बदलना चाहिए? और इसके कारण अपॉइंटमेंट्स, बजटीय आवंटन, आधारभूत संरचना, और लिस्टिंग प्रथाओं के संबंध में भ्रम पैदा हो सकता है।

ये अदालत क्या काम करती है? एक माध्यमिक स्तर पर, कानून के 13 टुकड़े बताते हैं कि सरकार स्पेशल कोर्ट का निर्माण कर सकती है, जबकि 15 में कहा गया है कि सरकार ऐसा करेगी। हालांकि, परिभाषा के अनुसार, उत्तर यह है कि कानून को विशेष न्यायालय की आवश्यकता है या नहीं, यह एक दोहरा विचार है अर्थात हाँ या नहीं।

ऐसी स्थिति में, सरकार स्थापना कर सकती है– जैसे विकल्प और अधिक अस्पष्टता सामने ले आती है। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं है कि विधायिका विशेष अदालतों का निर्माण क्यों करना चाहती है।

यथा स्थिति

सुप्रीम कोर्ट ने अपने संवैधानिक स्थिति को संबोधित करते हुए, विशेष अदालतों की आवश्यकता और दक्षता से संबंधित नीतिगत सवालों का शायद ही कभी विश्लेषण किया हो। अक्टूबर, 2017 तक, सिविल और सत्र न्यायालय (या दिल्ली के अधीनस्थ न्यायपालिका का 17%) में दिल्ली के 441 न्यायाधीशों में से करीब 71 लोगों को 12 कानूनों के तहत विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया गया था।

हाल ही में, ट्रॉफिकिंग ऑफ पर्सन्स (प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन) बिधेयक, 2016 ड्राफ्ट में विशेष अदालतों के लिए एक प्रावधान है। इसलिए, विश्लेषित होने के बावजूद विशेष अदालतें सर्वव्यापी हैं।

अधीनस्थ न्यायपालिका में 2.8 करोड़ से अधिक मामले हैं, जो न्यायपालिका के तीन स्तरों अर्थात अधीनस्थ, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, में से सबसे अधिक हैं। विशेष अदालतों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए आवृत्तियों और प्रभावी सुनवाई की संख्या और लंबित मामलों की संख्या की गणना के रूप में मापदंड विकसित करने की आवश्यकता है। क्योंकि इसके बिना उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

राज्य के दोनों अंगों का मानना है कि इस अभिप्राय का समर्थन करने के लिए वस्तुतः कोई सबूत नहीं होने के बावजूद, विशेष न्यायालय न्यायिक दक्षता के लिए एक रामबाण हैं। अंत में, एक सवाल फिर भी परेशान करता है और इसे निर्धारित करना भी महत्वपूर्ण है कि न्यायिक बैकलॉग को संबोधित करने में यह विशेष अदालतों की व्यवस्था वास्तव में उपयोगी भी है या नहीं?

* * *

जन-प्रतिनिधियों के लिये विशेष अदालतों का गठन क्यों?

- विशेष न्यायालय एक ऐसी अदालत है जो कानून के किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित होती है।
- दरअसल, दोषी प्रमाणित होने के बाद जन-प्रतिनिधियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था तो है। लेकिन कई मामलों में तो 20 सालों तक सुनवाई चलती रहती है और इस बीच जन-प्रतिनिधि चार कार्यकाल पूरे कर लेता है।
- ऐसे में सजा के बाद चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करने का कोई मतलब नहीं रह जाता।
- ऐसे मामलों में छह महीने से ज़्यादा का स्टे नहीं दिया जाना चाहिये और एक साल के भीतर जन-प्रतिनिधियों के मामलों का निपटारा किया जाना चाहिये।
- आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त जन-प्रतिनिधियों के मामलों का त्वरित निवारण उचित तो है।
- लेकिन यदि कुछ ही वर्षों के प्रतिबंध के बाद वह सक्रिय राजनीति में लौट आता है और चुनाव लड़ता है तो भी चुनाव सुधार के वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाना संभव प्रतीत नहीं होता।

विशेष न्यायालयों की स्थापना

- उक्त अध्ययन के तहत यह पाया गया कि वर्ष 1950 से 2015 के मध्य तकरीबन 28 विधानों को अधिनियमित किया गया। इनमें से तीन विधानों को दोनों प्रकार के न्यायालयों, 15 को केवल "विशेष न्यायालयों" तथा 10 विधानों को एक नामित न्यायालय के तहत अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान की गई।
- विशेष न्यायालयों की स्थापना के अलावा राज्य सरकारों ने कई विधानों के अंतर्गत न्यायालयों को प्राधिकृत किया है।
- विधायन के व्यवहार तथा प्राथमिक विषयों से सम्बन्धित मामलों (जिसके साथ यह जुड़ा होता है) के आधार पर इन विधानों को पाँच समूहों (आर्थिक अपराध, नियामकीय अपराध, कानून एवं व्यवस्था, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीय सुरक्षा) में विभाजित किया गया है।
- हाल ही में जिन विधानों को अधिनियमित किया गया है उनमें से अधिकतर विधानों के लिए (वे विधान जो आर्थिक अपराध के समूह में आते हैं) विशेष न्यायालयों का प्रावधान है जबकि पुराने विधायन जैसे- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (क्रूरता की रोकथाम) अधिनियम, 1989 अथवा नशीली दवाएँ तथा नशीली वस्तु अधिनियम, 1985 कुछ ऐसे पुराने विधायन हैं जिनके अंतर्गत लंबित मामलों की संख्या बहुत अधिक है।
- ध्यातव्य है कि अधिवक्ता की शक्ति के अंतर्गत न्यायालयों में दर्ज किये गए मुकदमों के लंबित रहने की दर बहुत अधिक है।
- गौरतलब है कि देश में लंबित मामलों की राष्ट्रीय औसत तकरीबन 84.1 प्रतिशत है, हालाँकि महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में यह दर राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है।
- इसके विपरीत POCA (Prevention of Corruption Act, 1988) के अंतर्गत भी कई विशेष न्यायालयों तथा फास्ट ट्रैक न्यायालयों को स्थापित किया गया है। हाँलाकि, इसके अंतर्गत नामांकित किये गए मुकदमों की कुल संख्या सम्पूर्ण मुकदमों का दसवाँ भाग ही है।
- राष्ट्रीय जाँच एजेंसी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालयों की स्थापना के संबंध में अनिवार्यता होने के बावजूद भी जितने न्यायालयों को स्थापित किया गया था, वे सभी प्राधिकृत न्यायालय थे।

समस्याएँ एवं चुनौतियाँ

- **विशेष अदालतों के लिये बुनियादी सुविधाओं का अभाव :** विशेष न्यायालयों का उद्देश्य न्यायिक मुकदमों का शीघ्र तथा कुशलतापूर्वक निपटान करना होता है, लेकिन इसके लिये आवश्यक बुनियादी सुविधाओं एवं सरंचनाओं का अभाव है।
- **विशेष अदालतों के लिये समुचित प्रावधानों की कमी :** दरअसल, कई ऐसे मामलें हैं जिनमें विशेष अदालतों के गठन को मान्यता देने संबंधी प्रावधान बनाए ही नहीं गए हैं।
- उदाहरण के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं, लेकिन यहाँ विशेष न्यायालयों का कोई प्रावधान नहीं है।
- **विशेष अदालतों की स्थापना दीर्घकालिक समाधान नहीं :** विशेष अदालतों को स्थापित किये जाने के क्रम में प्राय: यह देखा गया है कि नियमित अदालतों की कार्यवाही प्रभावित होती है।
- साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि विशेष अदालतों का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता। इन परिस्थितियों में इन्हें दीर्घकालिक समाधान नहीं माना जा सकता।

* * *

संभावित प्रश्न

देश में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान की समस्या से निपटने के लिये न्यायालयों तथा कानून व्यवस्था के सन्दर्भ में और अधिक शोध किये जाने की आवश्यकता है। विशेष अदालतों के गठन में आने वाली विभिन्न अड़चनों को स्पष्ट करते हुए इनके कार्यों पर नियंत्रण तथा उचित निरीक्षण के लिए सरकार को क्या कदम उठाये जाने चाहिए? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

In order to deal with the problem of early disposal of pending cases in the country, more research is needed in respect of the courts and the law and order. Explaining the various constraints in the formation of special courts, what steps should the government take to control their actions and proper inspection? Discuss. (150 Words)

बहुविवाह, हलाला पर सुप्रीम कोर्ट

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

27 मार्च, 2018

*''हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय में प्रचलित बहुविवाह और निकाह हलाला की प्रथा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संविधान पीठ विचार करेगी। साथ ही, न्यायालय ने इन याचिकाओं पर केंद्र और विधि आयोग से जवाब मांगा है।'' **इस संदर्भ में अंग्रेजी समाचार-पत्र ''द हिन्दू'' एवं ''टाइम्स ऑफ इंडिया''** में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे **"GS World"** टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।*

''द हिन्दू''
(सुप्रीम कोर्ट ने माँगा केंद्र से जवाब)

''2017 के फैसले में तीन तलाक को खारिज करते समय, पांच न्यायाधीश की संविधान खंडपीठ ने बहुविवाह और निकाह हलाला के मुद्दे को छोड़ दिया था।''

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह, निकाह हलाला, निकला उत्तरा और निका मिशार की प्रचलित प्रथाओं की संवैधानिक वैधता पर गौर करने का फैसला किया है।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में एक पीठ ने केंद्र और कानून मंत्रालय को याचिका दायर करने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं, जिसमें दावा करने वाले प्रथाओं को चुनौती दी गई है जिससे वे पुरुषों की तुलना में महिलाओं को नीचा दिखाते हैं।

संवैधानिक खंडपीठ-

न्यायपीठ, जस्टिस ए.एम. खानविलकर और डी.वाय. चंद्रचूड़ को शामिल करते हुए एक पांच न्यायाधीशों वाली संवैधानिक खंडपीठ स्थापित करने के लिए सहमत हुए थे, जिनका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट के कुछ भाग संविधान के खिलाफ हैं या नहीं।

पिछले अगस्त के अपने ऐतिहासिक फैसले में, जिसने तीन तलाक को समाप्त कर दिया था, अदालत ने बहु विवाह के मुद्दे, 'निकाह हलाला', 'निकाह मुता' और 'निकाह मिस्यार' को जारी रखते हुए उस पर कोई विचार नहीं किया था।

याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ने एक पुरुष को चार पत्नियों तक शादी करने की इजाजत दे दी है, जिसका अर्थ यह हुआ कि महिलाओं को पुरुष के चल सम्पत्ति के रूप में व्यवहार किया जाता है।

'समानता के लिए आक्रामक'-

हैदराबाद के सामाजिक कार्यकर्ता ने दायर याचिका में कहा कि यह प्रथा 'स्थिति की समानता के मूल आदर्शों को अपमानित करता है' और बहुविवाह को रद्द करने की मांग की। एक और याचिका दिल्ली की एक महिला ने दायर की थी।

महिला ने तर्क दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ने आईपीसी की धारा 494 (जो कि पति या पत्नी के जीवनकाल के दौरान फिर से शादी करने की सजा का प्रावधान करता है) अयोग्य है।

उसकी याचिका में यह भी दावा किया गया था कि मुस्लिम पत्नी को अपने पति के खिलाफ द्विविवाह अपराध के लिए शिकायत करने का अवसर नहीं मिलता है।

''टाइम्स ऑफ इंडिया''
(सुप्रीम कोर्ट : मुस्लिमों के बीच बहुविवाह और निकाह हलाला पर)

''तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित करने के सात महीने बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह और 'निकाह हलाला' की संवैधानिक वैधता की जाँच करने पर सहमति व्यक्त करते हुए इन प्रथाओं पर केंद्र सरकार और विधि आयोग के विचार माँगे हैं।''

सर्वोच्च न्यायालय ने यह नोट किया कि पांच न्यायाधीशों की पीठ, जो तीन तलाक के मामले की जांच कर रहे थे और पिछले साल अगस्त में इस सन्दर्भ में अपना फैसला सुनाया था, उन्होंने बहुविवाह और 'निकाह हलाला' के मुद्दे को जस का तस छोड़ रखा था।

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और कानून आयोग के लिए नोटिस जारी करते हुए उनसे अनुरोध किया है कि वे इन दोनों मामलों की याचिकाओं को समाप्त करने के लिए अपना स्पष्टीकरण दें। बहुविवाह एक से अधिक महिला से विवाह करने की प्रथा है। निकाह हलाला तलाक को रोकने के लिए एक अभ्यास है, इसके तहत यदि किसी महिला को उसका शौहर तलाक दे देता है और उसके बाद उसी शौहर से दोबारा निकाह करना हो तो उसके लिये पहले महिला को एक अन्य व्यक्ति से निकाह करके उस अन्य व्यक्ति से तलाक लेना होगा। उसके बाद ही महिला का पूर्व शौहर से दोबारा निकाह हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पर्नसल लॉ ऐप्लिकेशन ऐक्ट 1937 की धारा-2 निकाह हलाला और बहुविवाह को मान्यता देता है और यह संविधान के अनुच्छेद-14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करता है, लिहाजा इसे असंवैधानिक और गैरकानूनी घोषित किया जाए। भारतीय दंड संहिता, 1860 के प्रावधान सभी भारतीय नागरिकों पर बराबरी से लागू हों।

इसके अलावा, एक याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि मुस्लिम कानून में एक व्यक्ति को अस्थायी विवाह या बहुविवाह के जरिए कई पत्नियों को रखने की इजाजत दी गयी है, वहीं महिलाओं को इसकी अनुमति नहीं दी गयी है और इसलिए यह कानून मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

दिल्ली भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने भी बहुविवाह और निकाह हलाला पर प्रतिबंध लगाने के लिए याचिका दायर की है।

'निकाह हलला' एक मुस्लिम कानून है जिसके तहत यदि किसी महिला को उसका शौहर तलाक दे देता है और उसके बाद उसी शौहर से दोबारा निकाह करना हो तो उसके लिये पहले महिला को एक अन्य व्यक्ति से निकाह करके उस अन्य व्यक्ति से तलाक लेना होगा। उसके बाद ही महिला का पूर्व शौहर से दोबारा निकाह हो सकता है।

'निकाह मुता' और 'निकाह मिस्यार' का शाब्दिक अर्थ 'विलास युक्त विवाह' है और यह एक मौखिक और अस्थायी विवाह अनुबंध है जो मुसलमानों के बीच किया जाता है। इस विवाह की अवधि और 'मेहर' (यह वो रकम होती है जो किसी लड़की के होने वाले शौहर द्वारा उसे तोहफे के तौर पर दी जाती है। इस मेहर को न तो वापस लिया जा सकता है और न ही माफ करने के लिये लड़की पर दबाव ही डाला जा सकता है) पहले से सहमति के साथ निर्दिष्ट होती है, याचिका में कहा गया है।

यह एक मौखिक प्रारूप में एक निजी अनुबंध है। 'निकाह मुता' के लिए प्राथमिकताएं होती हैं: दुल्हन को शादी नहीं करनी चाहिए, वह मुसलमान होनी चाहिए, वह पवित्र होनी चाहिए और वह व्यभिचार ना हो। सुन्नी मुसलमान और शिया इस्लाम, जैदी शिया, इस्माली शिया और दाऊदी बोहरा के भीतर 'निकाह मुता' को नहीं माना जाता है।

इस बहस ने बहुविवाह, 'निकाह हलालाश्शनिकाह मुता' और 'निकाह मिस्यार' पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का दावा किया है कि वे मुस्लिम महिलाओं को अत्यंत असुरक्षित, कमजोर और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

* * *

दिल्ली की एक महिला द्वारा दायर एक और याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर, आईपीसी की धारा 494 (पति या पत्नी के जीवनकाल के दौरान फिर से शादी करना) मुसलमानों के लिए लागू नहीं किया गया है और इस समुदाय ने ऐसी कोई विवाहित महिला को यह अधिकार नहीं दिया है कि वे अपने पति के खिलाफ द्वि-विवाह के लिए शिकायत दर्ज करा सके।

पिछले अगस्त, एक ऐतिहासिक फैसले में न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए 3:2 के बहुमत से तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया था। हालांकि, जहाँ एक तरफ पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.एस खेहर और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर ने कहा था कि तीन तलाक मुसलमानों के धर्म के मौलिक अधिकार का हिस्सा है इसलिए यह असंवैधानिक नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ जस्टिस कुरियन जोसेफ, आर एफ नरीमन और यू.यू ललित ने कहा था कि तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, जहाँ वे इस प्रथा के कारण खुद को एक मनमानी अपरिवर्तनीय तलाक के अधीन पाती हैं।

दरअसल, शायरा बानो ने तीन तलाक के खिलाफ कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। इस पर शायरा का तर्क था कि तीन तलाक न तो इस्लाम का हिस्सा है और न ही आस्था। उन्होंने कहा कि उनकी आस्था ये है कि तीन तलाक मेरे और ईश्वर के बीच में पाप है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कहता है कि ये बुरा है, पाप है और अवांछनीय है।

* * *

जी. एस. वर्ल्ड टीम...

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम समाज में प्रचलित बहुविवाह और निकाह हलाला की प्रथा की संवैधानिक वैधता पर विचार के लिये सहमत होते हुये इस संबंध में दायर याचिकाओं पर केन्द्र और विधि आयोग से जवाब मांगा।
- प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई. चन्द्रचूड़ की पीठ ने इस दलील को स्वीकार किया कि पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 2017 के अपने फैसले में तीन-तलाक को खत्म करते हुए बहुविवाह और निकाह हलाला के मामलों को इसके दायरे से बाहर रखा था।

क्या है निकाह हलाला?

- निकाह हलाला वह प्रथा है जिसमें शौहर द्वारा तलाक दिए जाने के बाद उसी शौहर से दोबारा निकाह करने से पहले महिला को एक अन्य व्यक्ति से निकाह करके उससे तलाक लेना होता है। उसके बाद ही महिला का पूर्व शौहर से दोबारा निकाह हो सकता है।

क्या है बहुविवाह प्रथा?

- इस्लामिक प्रथा में बहुविवाह का चलन है। इस प्रथा के तहत, एक आदमी को चार शादियाँ करने की इजाजत होती है। इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि अगर कोई औरत विधवा है या बेसहारा है तो उसे सहारा दिया जाए। समाज में ऐसी औरतों को बुरी नजर से बचाने के लिये उनके साथ शादी करने की इजाजत दी जाती है।

क्या है मुता एवं मिस्यार निकाह?

- मुता एवं मिस्यार निकाह के अंतर्गत 'मेहर' (यह वो रकम होती है जो किसी लड़की के होने वाले शौहर द्वारा उसे तोहफे के तौर पर दी जाती है। इस मेहर को न तो वापस लिया जा सकता है और न ही माफ करने के लिये लड़की पर दबाव ही डाला जा सकता है) तय करके एक निश्चित अवधि के लिये एक-साथ रहने का लिखित करार किया जाता है।
- इस निश्चित समयावधि के पूरा होने पर निकाह स्वत: समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात् महिला को तीन महीने की इद्दत अवधि बितानी होती है।

कानून का उल्लंघन

- ध्यान दिया जाये तो ये चारों प्रथाएं भारत के संविधान के अलग-अलग अनुच्छेदों का उल्लंघन करती हैं।
- उनके मुताबिक अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार है, उनका बराबर दर्जा प्राप्त है। लेकिन, इसका उल्लंघन इस तरह हो रहा है कि पुरुष चार शादी कर सकता है, लेकिन महिलाएं नहीं कर सकतीं।
- अनुच्छेद 15 कहता है भारत में लिंग, धर्म और भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन इन प्रथाओं की वजह से हिंदू और मुस्लिम महिला के अलग-अलग अधिकार हैं। साथ ही पुरुष और महिलाओं के अधिकार में भी अंतर है।
- अनुच्छेद 21 कहता है कि सबको सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन अश्विनी के मुताबिक, 'चार शादी करेंगे तो पुरुष का प्यार बंट जाएगा। आप किसी का ज्यादा सम्मान करेंगे तो किसी का कम। इसलिए यह प्रथा नहीं कुप्रथा है।'
- अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, लेकिन यह आज तक लागू नहीं हुआ है।
- इसी को अधिकार बना कर याचिकार्ताओं ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। फिलहाल मामले की सुनवाई की तारीख तय नहीं है।

पृष्ठभूमि

- कुछ महीने पहले जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार देते हुए इसे इस्लाम विरोधी बताते हुए स्पष्ट किया था कि वह धार्मिक दायरे में दखलंदाजी किये बिना इस कुप्रथा को मजहबी कानून का हिस्सा नहीं मानता। इसके बावजूद यह कुप्रथा जारी है जिसे रोकने के लिये सरकार एक कठोर कानून लाने पर विचार कर रही है।

सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था?

- उत्तराखंड में काशीपुर की रहने वाली शायरा बानो ने मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1939 को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि यह कानून मुस्लिम महिलाओं को दो शादियों से बचाने में असफल रहा है।
- इस तथा अन्य याचिकाओं पर 22 अगस्त, 2017 को दिये गए अपने 395 पृष्ठीय 3-2 के बहुमत से दिये गए फैसले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने एक ही बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) बोलकर वैवाहिक संबंध विच्छेद कर लेने वाले लगभग 1400 साल पुराने विवादास्पद मुस्लिम रिवाज को समाप्त करने के पक्ष में फैसला दिया था।
- इसी के साथ न्यायालय ने शरीयत कानून, 1937 की धारा-2 में दी गई एक बार में तीन तलाक की मान्यता को रद्द कर दिया था।
- तब देश की सबसे बड़ी अदालत ने वर्ष 2002 में शमीम आरा मामले का हवाला देते हुए कहा था कि कुरान में इसका जिक्र नहीं है; और जो बात धर्म के अनुसार ठीक नहीं है, उसे वैध कैसे कहा जा सकता है? उल्लेखनीय है कि शमीम आरा मामले में भी 'तीन तलाक' को अवैध माना गया

क्यों जरूरी है कानून?

- इस मुद्दे पर यूँ तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही संदेश देने को पर्याप्त है, लेकिन फिर भी इसे और मजबूती देने के लिये कानून बनाना भी जरूरी है।
- जब संविधान पीठ में इस मुद्दे पर सुनवाई चल रही थी तब सरकार ने कहा भी था कि यदि अदालत तीन तलाक को अवैध ठहराएगी तो वह जरूरत पड़ने पर इसके लिये अलग से कानून बनाएगी।
- संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है।
- इस निर्णय के बाद सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह मुस्लिमों के लिये कुरान-आधारित फैमिली लॉ बनाए, जैसा 1950 के दशक में हिंदू परिवारों के लिये बनाया गया था।

इन देशों में बैन है तीन तलाक

- विश्व में सबसे पहले मिस्र में 1929 में वहां की अदालत ने तीन तलाक को असंवैधानिक बताया था। इसी वर्ष सूडान की अदालत ने भी तीन तलाक को बैन कर दिया था। 1947 में भारत से अलग हुए पाकिस्तान ने 1956 में तीन तलाक पर रोक लगा दी थी और 1971 में पाकिस्तान से टूटकर अलग हुए बांग्लादेश ने 1985 में संविधान में संशोधन कर तीन तलाक को बैन कर दिया था। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के अलावा इराक, सीरिया, साइप्रस, जॉर्डन, अल्जीरिया, ईरान, ब्रुनेई, मोरक्को, कतर, इंडोनेशिया, ट्यूनीशिया, तुर्की और यूएई में भी तीन तलाक पर रोक है।

* * *

संभावित प्रश्न

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम समाज में प्रचलित बहुविवाह और निकाह हलाला की प्रथा की संवैधानिक वैधता पर विचार के लिये अपनी सहमती दे दी है। उच्चतम न्यायालय का यह फैसला मुस्लिम महिलाओं के नैसर्गिक अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में कितना महत्वपूर्ण साबित होगा? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

Recently, the Supreme Court has given its consent for considering the constitutional validity of the practice of polygamy and Nikaah halala marriage in the Muslim society. How much this Supreme Court's decision will proved to be important in strengthening the natural rights of Muslim women? Discuss. (250 Words)

एक नई संघीय राजनीतिक के जन्म की पीड़ा

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

28 मार्च, 2018

"द हिन्दू"

लेखक- डी. श्याम बाबू (वरिष्ठ सदस्य, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली)

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक के लिए एक नए झंडे के लिए आवाज उठाई है, जिसके लिए इन्होने केंद्र से औपचारिक रूप से इसका समर्थन करने के लिए भी आग्रह किया है। चाहे केंद्र इनकी मांग को स्वीकार करे या इसे अस्वीकार करे, वह भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की कीमत पर चुनावी लाभांश काटना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा देने में भी इसी तर्क का इस्तेमाल किया है।

प्रतीकात्मकता के साथ

यदि कर्नाटक को इसकी अनुमति दे दी जाती है, तो जम्मू-कश्मीर के बाद अपना झंडा रखने वाला यह दूसरा राज्य बन जाएगा। यह उन लोगों के लिए एक भयावह घटना होगी जो भारत को ढहते हुए इमारत के रूप में मानते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एकजुट होकर उप राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक स्वायत्तता या किसी भाषा या जीवन शैली के लिए प्यार की हर अभिव्यक्ति को देखते हुए एकजुट हो जाते हैं। एक बेहतर दृष्टिकोण संभव होगा, अगर कोई एक बहुसांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में भारत की ताकत को पहचानता है, भले ही समानताएं कम हो, लेकिन उसका एक भाग होने पर गर्व होना चाहिए।

कर्नाटक के लोगों की इच्छा है कि वे अपने राज्य के लिए अपना झंडा अपनाये, कन्नड़ भाषा को प्राथमिकता दें और अपने जीवन को खुद के आधार पर चलने दे और इसी सन्दर्भ में श्री सिद्धारमैया ने फेसबुक पोस्ट में दिल्ली स्टूडियो में एक एंकर से पूछा कि एक मजबूत राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से क्या यह असंगत है? राज्य के लिए एक झंडा का मुद्दा कर्नाटक में चुनावी राजनीति का एक हिस्सा माना जाता है, लेकिन साथ ही यह देश में दो व्यापक रुझान का भी प्रतीक है।

जिसमें पहला है, अनुरूपता के बढ़ते हुए हमले में गैर-हिंदी राज्यों के बीच व्याकुलता। दूसरा, वहां केंद्र-राज्य संबंधों में विषमता पर असंतोष, जहाँ राज्य केंद्र के पीछे चलने के लिए मजबूर रहते हैं। यह चिंता सभी राज्यों में व्याप्त है, लेकिन वैसे राज्य जहाँ केंद्र सरकार का शासन है, वे राज्य पार्टी अनुशासन के कारण चुप रहते हैं।

दिवंगत रामकृष्ण हेगड़े के एक समर्थक होने के नाते, श्री सिद्धारमैया ने अपने चुनावों में दोनों मुद्दों को भुनाने में कामयाबी हासिल की है। फिलहाल वो भविष्य में आगे बढ़ने पर जीत हासिल कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते है, लेकिन वह पहले से ही इन मुद्दों को मुख्यधारा में बनाये रखने में कामयाब रहे हैं।

एक पुशबैक

यह स्वाभाविक है कि पूरे राष्ट्र को एक संस्कृति और एक भाषा के एक अमूर्त अस्तित्व में लाने के लिए यह परियोजना बड़ी प्रतिक्रिया का निर्माण करेगी। अगर तमिलनाडु का उल्लेख ना करे, जहाँ सांस्कृतिक स्वायत्तता की भावनाएं सबसे मजबूत हैं, तो भी इस तरह पहचान वाली राजनीति कर्नाटक के अलावा गैर-हिंदी राज्य तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के रूप में विविध रूप से व्याप्त है।

इसके अलावा, मेघालय के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने हाल ही में विधानसभा में हिंदी में अपना संबोधन दिया था, जिसके बाद हिंदी विरोधी कई विधायकों ने इसका विरोध किया था। श्री प्रसाद शायद हिंदी के लिए अपने प्रेम और अनगिनत अभिव्यक्ति के बीच की पतली रेखा से अनजान थे।

तेलंगाना राज्य के नए प्रतीकों पर अगर विचार किया जाये तो उसमें अंग्रेजी, तेलुगू और उर्दू का इस्तेमाल किया गया है और पश्चिम बंगाल में केवल बंगाली और अंग्रेजी का इस्तेमाल किया गया है। हांलाकि, कैपिटल के राष्ट्रीय प्रतीक का एक हिस्सा होने के कारण, दोनों ने देवनागरी में एक 'ग्राफिक' के रूप में 'सत्यमेव जयते' को बरकरार रखा हैं।

इसी प्रकार, कर्नाटक के नए झंडे (पीला, सफेद और लाल) के मध्य में राज्य का प्रतीक शामिल है। यद्यपि देवनागरी में मूल रूप से प्रतीक 'सत्यमेव जयते' है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।

इसलिए सवाल यह उठता है कि नॉन-हिंदी राज्य हिंदी का विरोध करते हैं, लेकिन राज्य की छवियों/प्रतीकों में अंग्रेजी भाषा के साथ उन्हें क्यों कोई दिक्कत नहीं है?

एक तरफ वर्ष 2019 में आम चुनाव होने वाले है और दूसरी तरफ हम पहचान और स्वायत्तता के इन सांसारिक मुद्दों को बढ़ा कर लोगों और क्षेत्रों के बीच दरार का निर्माण कर रहे हैं। जो दर्शाता है कि राष्ट्र हिंदुत्व के प्रति और अधिक खतरनाक काउंटर की ओर बढ़ रहा है।

केंद्र-राज्य संतुलन

श्री सिद्धारमैया की फेसबुक पोस्ट न केवल सांस्कृतिक स्वायत्तता का आनंद लेने के लिए राज्यों की एक मजबूत रक्षा है, बल्कि भारत के लिए राज्यों का संघ बनने के लिए एक आवेशपूर्ण अपील है। यह याद किया जा सकता है कि उनके गुरु हेगड़े ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग की एक राष्ट्रव्यापी आलोचना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके परिणामस्वरूप 1983 में केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया कमीशन को लाया गया था।

कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे श्री सिद्धारमैया ने अब दो समूहों में मोटे तौर पर उठाया है। एक समूह राज्यों की लंबी-लंबी शिकायतें हैं, जैसे कि केंद्र सरकार कथित तौर पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं के जरिए मनमानी करती है ताकि राज्य केंद्रीय कर राजस्व के हिस्से को कैसे खर्च करे वो केंद्र के हाथ में रहे। दूसरा यह है कि राज्यों को केंद्र की आर्थिक और व्यापार नीतियों को तैयार करने में अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए, क्योंकि इससे उन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

आज 21 वीं शताब्दी में, संविधान का जो उद्देश्य था उसे कायम रखने की आवश्यकता है। जब संविधान सभा में अनुच्छेद 356 पर चर्चा चल रही थी, तब बी.आर अम्बेडकर ने यह स्पष्ट किया था कि- 1) भारत एक संघीय संविधान है; 2) केंद्र, राज्यों में सुशासन का निर्धारण करने में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है; और 3) जिस प्रकार संविधान द्वारा राज्य अपने क्षेत्र में प्रमुख हैं, उसी प्रकार केंद्र अपने क्षेत्र में प्रमुख है। लेकिन ऐसा है नहीं। यदि श्री सिद्धारमैया एक संघीय राजनीति की ओर बढ़ने के चरण 2 के बारे में गंभीर हैं, तो उन्हें अपना एजेंडा चुनावी राजनीति से ऊपर रखना होगी।

जी. एस. वर्ल्ड टीम...

क्या है मामला

- कर्नाटक अपना अलग ध्वज बनाने को लेकर चर्चा में है। हालाँकि वह इसे वैधानिक दर्जा देने पर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता है। इस पर वह कानूनी विशेषज्ञों की राय लेना चाहता है। विदित हो कि कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित अलग ध्वज बनाने पर विचार करने के लिये एक समिति भी गठित की गई है।

प्रमुख बिंदु

- कर्नाटक ने कहा है कि उसके द्वारा प्रस्तावित अलग ध्वज बनाने पर विचार करने के लिये उसने एक समिति गठित की है। समिति इस मुद्दे के सभी पहलुओं की जाँच करेगी।
- राष्ट्रीय ध्वज को लेकर तीन अलग-अलग अधिनियम हैं, परन्तु इनमें से कोई भी कर्नाटक को ऐसा करने से नहीं रोकता है।
- कर्नाटक के प्रस्तावित ध्वज में लाल एवं पीला रंग है।
- इस ध्वज को लेखक एवं कन्नड़ कार्यकर्ता मा. रामामूर्ति ने 1966 में तैयार किया था। उनका जन्म 11 मार्च, 1918 को हुआ था। उनका उपनाम 'कन्नड़ वीर सेनानी' है।
- राज्यों द्वारा अलग ध्वज रखने का मामला एक नीतिगत विषय है, इसके फायदे और नुकसान पर विचार करके ही कोई फैसला लिया जाना चाहिये।

क्या राज्य अपना अलग ध्वज रख सकते हैं ?

- राज्यों को अलग गान (एंथम) की तरह अपने अलग ध्वज रखने पर कोई वैधानिक रोक नहीं है। संविधान में इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है।

राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कुछ प्रावधान

- भारत का राष्ट्र-ध्वज यहाँ की धरती और लोगों का प्रतीक है।
- भारत का राष्ट्रीय ध्वज तीन रंगों का बना है, इसलिये इसे तिरंगा भी कहते हैं। इसके तीन रंगों के क्षैतिज पट्टियों के मध्य नीले रंग का एक चक्र भी है।
- पूरा ध्वज आयताकार है जिसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 : 2 है।
- इसे 22 जुलाई, 1947 को संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था।
- ध्वज की मर्यादा और सम्मान के अनुकूल, जो भारतीय राष्ट्र-ध्वज संहिता में विस्तार से लिखा हुआ है, कोई भी राष्ट्र-ध्वज को सभी दिन, समारोह या अन्य अवसरों पर फहरा सकता है।
- इसे किसी भी तरह के विज्ञापन में उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- राष्ट्र-ध्वज का निरादर करना दंडनीय अपराध है।

अलग ध्वज का प्रस्ताव चिंताजनक क्यों?

- हालाँकि क्षेत्रीय ध्वज को महत्त्व देने का अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा कम हो गई है और कर्नाटक ने भी कहा है कि उसके इस कदम का राष्ट्रीय ध्वज की महत्ता पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- दरअसल, अमेरिका, जर्मनी तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे संघीय व्यवस्था वाले अनेक देशों में राज्यों को अलग क्षेत्रीय पहचान बनाए रखने की छूट दी गई है।
- फिर राज्य सरकार को यह बताना चाहिये कि क्षेत्रीय ध्वज की मौजूदगी के बीच वह कैसे राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को पूर्ववत बनाए रहेगी?

कर्नाटक को एक अलग क्षेत्रीय ध्वज क्यों चाहिये?

- देखा जाए तो कानूनी प्रावधानों को संज्ञान में लिये बिना ही कर्नाटक सरकार के इस कदम को देशद्रोह बताया जा रहा है, जबकि सोचने वाली बात यह है कि आखिर दक्षिण भारतीय राज्य इतने आक्रामक क्यों हो रहे हैं?
- दरअसल, आज जिस तरह से हिंदी को लेकर आक्रामकता दिख रही है उससे दक्षिण भारत के लोगों को लग रहा है कि उनकी भाषायी पहचान खतरे में है।
- हाल ही में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पासपोर्ट बनवाने के लिये दिया जाने वाला विवरण अंग्रेजी के साथ-साथ अब हिंदी में भी दिया जा सकता है। कर्नाटक सहित दक्षिण भारत के कई राज्यों की मांग है कि इसमें हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं के भी विकल्प दिये जाएँ।
- हालाँकि, दक्षिण भारतीय राज्यों द्वारा दिखाई जा रही इस आक्रामकता का कारण राजनीति से प्रेरित कुछ बयान और कदम भी हैं।

संभावित प्रश्न

राज्यों को स्वयं का अलग ध्वज बनाने की अनुमति देना हमारे राष्ट्रीय ध्वज के महत्त्व को कम कर सकता है। क्या इस प्रकार के कदमों से लोगों में प्रांतवाद की भावना बढ़ेगी? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

To allow states to have a separate flag of their own can reduce the importance of our national flag. Do such steps will increase the feeling of regionalism among the people? Discuss. (250 Words)

सुप्रीम कोर्ट बनाम खाप पंचायत

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

29 मार्च, 2018

*''हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में दो वयस्कों की शादी पर खाप पंचायतों के किसी भी प्रकार के दखल को गैर-कानूनी करार दे दिया है। वर्ष 2010 में एनजीओ शक्ति वाहिनी ने ऑनर किलिंग के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को सम्मान के लिये अपराधों को रोकने और नियंत्रित करने की मांग की गई थी।'' **इस संदर्भ में अंग्रेजी समाचार-पत्र ''द हिन्दू'' एवं ''इंडियन एक्सप्रेस''** में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे **"GS World"** टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।*

''द हिन्दू'' (खाप पर रोक)

''सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का स्वागत है, लेकिन इसके बावजूद हमें 'ऑनर किलिंग' पर एक मजबूत कानून बनाने की आवश्यकता है।''

जाति, गोत्र या परिवार के सम्मान की रक्षा के नाम पर कई अपराधों की उत्पत्ति भारत की घृणित जाति व्यवस्था द्वारा हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसके लिए जिम्मेदार कई अन्य कारक मौजूद हैं। सामाजिक पक्षपात, सामंती संरचनाएं और पितृसत्तात्मक व्यवहार ऑनर किलिंग के संदर्भित रूप हैं।

हालांकि इन्हें कानून या न्यायिक निर्णय द्वारा रातोंरात समाप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए यह अनिवार्य है कि एक कठोर कानून और व्यवस्था का दृष्टिकोण इस समूह को रोकने की दिशा में पहले कदम के रूप में अपनाया जाये, जो ऑनर किलिंग के ऐसे मध्ययुगीन विचारों की हत्या या हत्या का भय दिखा कर या समाज से निकाला के माध्यम से लागू करना चाहते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट की खाप पंचायतों पर कठोर निगरानी और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाये, के लिए जारी किये गये दिशानिर्देशों के संदर्भ में है।

हांलाकि, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब सर्वोच्च न्यायालय ने खाप या गांव विधानसभाओं के खिलाफ अपनी मजबूत अस्वीकृति दी हो। पिछले कई फैसलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि व्यक्तिगत वयस्कों के जीवन विकल्प, विशेष रूप से प्यार और विवाह के संबंध में किसी से किसी भी तरह का हस्तक्षेप दण्डनीय है।

नवीनतम फैसले में, मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली एक तीन न्यायाधीश की पीठ ने इस समस्या को व्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान का उल्लंघन बताया है और जिसके लिए निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपायों की आवश्यकता है।

पंजाब, हरियाणा और मद्रास के उच्च न्यायालय ने युवा जोड़े को सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष कक्षों और 24 घंटे की हेल्पलाइन सुविधा देने के लिए पुलिस को दिशानिर्देश दिए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक कदम बढ़ते हुए पुलिस को निर्देश दिए हैं कि खतरे में रह रहे जोड़ों के लिए सुरक्षित घर सुनिश्चित किये जाये।

इन दिशा-निर्देशों से पुलिस अधिकारियों को यह कहने का प्रयास किया गया कि खाप के अवैध फैसलों पर वे नरमी न बरते। यह कितनी दूर तक कारगर साबित होगी इसे देखा जाना अभी बाकी है, लेकिन कानून के किसी भी प्रकार के बंटवारे से जूझने के खिलाफ यह एक निवारक हो सकता है।

''इंडियन एक्सप्रेस'' (खाप हुए बाहर)

''सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रशासन और पुलिस को इन सामाजिक संप्रभुओं के खिलाफ अधिक प्रभावी ढंग से कार्यवाही करने में सक्षम बनाएगा।''

पिछले दो महीनों में एक से अधिक अवसरों पर, सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायत को दो सहमतिजनक वयस्कों के बीच विवाह के मौलिक मुद्दे से बाहर रहने के लिए कहा है। अदालत ने जनवरी में कहा था, यदि कोई वयस्क लड़की या लड़का शादी करता है, तो कोई खाप, कोई व्यक्ति या कोई समाज उन पर सवाल नहीं उठा सकता है।

मंगलवार को, अदालत के एक तीन न्यायाधीशों की पीठ पारंपरिक सामाजिक संप्रभुओं के इन आधुनिक दिनों के अवतारों के खिलाफ भी अधिक दृढ़ता से सामने आया। वर्ष 2010 में एनजीओ शक्ति वाहिनी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि खाप पंचायतों की गतिविधियों को पूरी तरह से रोका जाना चाहिए।

खाप पर लगाम लगाने के लिए एनजीओ की याचिका को स्वीकार करते हुए, अदालत ने इन सामाजिक महासभाओं के खिलाफ संसद को एक उपयुक्त कानून बनाने के लिए कहा है। अदालत ने खाप पंचायतों को इकट्ठा करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के उपयोग सहित कई कदम उठाए हैं।

इसमें हत्या और हत्याओं का मुकाबला करने के लिए, दंपति और उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना और साथ ही उन्हें एक सुरक्षित घर प्रदान करते हुए उपचारात्मक और दंडात्मक उपाय को शामिल किया गया हैं।

अदालत के हस्तक्षेप में महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, राज्य एजेंसियों की तुलना में अधिक शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए खाप बदनाम है। देखा जाये तो खाप के नियमों का उल्लंघन करने पर विवाह करने वाले युवाओं पर समाज से बाहर निकालना, अपमान और बल का इस्तेमाल किया जाता है।

प्रशासनिक और पुलिस अक्सर इन मामलों में हस्तक्षेप करने में संकोच करते हैं, क्योंकि वे इसे समुदाय के मामलों के रूप में देखते हैं, अर्थात जब तक कि एक वास्तविक अपराध को अंजाम नहीं दे दिया जाता है। पिछले 10 सालों में खाप से संबंधित हिंसा के कई मामलों के बावजूद, हरियाणा में सरकार लगातार इन सामाजिक संप्रदायों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा रही हैं।

यह फैसले खाप पंचायतों के बचाव में अक्सर किए गए कुछ बिंदुओं से निपटने के लिए भी उल्लेखनीय है, इस दावे को खारिज करते हुए कि वे केवल अंतरजातीय और अंतर-विश्वास वाले विवाहों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में लगे हुए हैं, और सपंदा और सगोत्र विवाह के खिलाफ हैं। अदालत ने यह साफ कर दिया है कि क्या निर्णय लेना है और क्या नहीं यह काम सिविल अदालतों का है।

निश्चित रूप से अगर इन दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है तो समाज पर इससे कुछ अच्छे प्रभाव अवश्य पड़ेंगे और सरकार को भी इन मानदंडों को लागू करने के लिए राज्यों पर जोर डालने से पीछे नहीं हटना चाहिए। साथ ही सम्मान के नाम पर हत्याओं को रोकने के लिए और व्यक्तियों के वैवाहिक विकल्पों में हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करने के लिए एक व्यापक कानून लाने के अपने स्वयं के प्रयासों में तेजी लानी होगी।

***

अतीत में, खाप ने न्यायिक निर्णयों का हमेशा विरोध और उसका उल्लंघन किया है। वर्ष 2010 में, हरियाणा सत्र अदालत द्वारा ऑनर किलिंग पर कड़ा रुख अपनाने के कुछ हफ्ते बाद ही, कुरुक्षेत्र में एक खाप महापंचायत ने मांग की कि एक ही गांव के भीतर विवाहों पर प्रतिबंध लगाने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन किया जाए। हाल ही में, फरवरी में, खाप नेताओं ने सर्वोच्च न्यायालय को 'पारंपरिक मामलों में दखल न देने' के लिए कहा था।

जिसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने जोर देकर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि 'संविधान के तहत स्वतंत्रता के अधिकार को सम्मान या प्रतिष्ठा के नाम पर गला नहीं घोटा जा सकता।' इस आदेश के आधार पर अब राज्य सरकारों को खाप के खिलाफ निर्णायक रूप से कदम उठाने चाहिए, तभी जाकर इस पर नियंत्रण रखा जा सकता है।

***

GS World टीम...

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दो वयस्कों की शादी पर खाप पंचायतों के किसी भी दखल को गैरकानूनी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला एक एनजीओ शक्ति वाहिनी की याचिका पर सुनाया। एनजीओ ने ऑनर किलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2010 में याचिका दायर की थी। इससे पहले मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

क्या रहा न्यायालय का फैसला?

- मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ ने खाप पंचायतों के संबंध में यह फैसला सुनाया। इस पीठ में जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड भी शामिल थे।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि अलग-अलग समुदायों से संबंध रखने वाले 2 वयस्क अपनी मर्जी से शादी का निर्णय करते हैं अथवा शादी करते हैं, तो किसी रिश्तेदार या पंचायत को न तो उन्हें धमकाने और न ही उन पर किसी प्रकार की हिंसा करने का कोई अधिकार है।
- खाप पंचायतों के फैसलों को अवैध करार देते हुए न्यायालय ने कहा कि ऑनर किलिंग के संबंध में लॉ कमीशन की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। अर्थात् जब तक इस संबंध में नए कानून नहीं बन जाते हैं, तब तक मौजूदा आधार पर ही कार्यवाही की जाएगी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों की रोकथाम और सजा के लिये एक गाइडलाइन जारी की हैं। न्यायालय के अनुसार, ये गाइडलाइन तब तक जारी रहेंगी, जब तक नया कानून लागू नहीं हो जाता है।
- वर्तमान समय में ऑनर किलिंग के मामलों में आईपीसी की धारा के तहत, कार्यवाही की व्यवस्था है।

क्या होती है खाप पंचायत?

- खाप लोगों का समूह होता है। एक गोत्र या जाति के लोग मिलकर एक खाप-पंचायत बनाते हैं, यह पाँच गाँवों की भी हो सकती है और 20-25 गाँवों की भी हो सकती है। जिस क्षेत्र में जो कोई गोत्र अधिक प्रभावशाली होता है, उसी का उस खाप पंचायत में सबसे अधिक दबदबा होता है।
- इन्हें कानूनी मान्यता नहीं है। इसके बावजूद गांव में किसी तरह की घटना के बाद खाप कानून से ऊपर उठ कर फैसला करती हैं।
- खाप पंचायतें देश के कुछ राज्यों के गांवों में काफी लंबे वक्त से काम करती रही हैं। हालांकि, इनमें हरियाणा की खाप पंचायतें कुछ अलग पहचान रखती हैं। कहा जाता है कि खाप की शुरुआत हरियाणा से ही हुई थी। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी खाप पंचायतें विवादित फैसले करती रही हैं।

क्या है ऑनर किलिंग?

- परिवार के किसी सदस्य विशेष रूप से महिला सदस्य की उसके सगे-संबंधियों द्वारा होने वाली हत्या को ऑनर किलिंग कहा जाता है। ये हत्याएँ प्राय: परिवार और समाज की प्रतिष्ठा के नाम पर की जाती हैं।

ऑनर किलिंग के कारण

- **लगातार सख्त होती जाति व्यवस्था :** देश में जातिगत धारणाएँ लगातार बलवती होती जा रही हैं। अधिकांश ऑनर किलिंग के मामले तथाकथित उच्च और नीची जाति के लोगों के प्रेम संबंधों के मामले में देखने को मिले हैं। अंतर-धार्मिक संबंध भी ऑनर किलिंग का एक बड़ा कारण है।
- **औपचारिक प्रशासन का अभाव :** ऑनर किलिंग का मूल कारण औपचारिक शासन का ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुँच पाना है।
- पंचायत समिति जैसे औपचारिक संस्थानों की अनुपस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्णयन की शक्ति अवैध एवं गैर-संवैधानिक संस्थाएँ, जैसे- खाप पंचायतों के हाथ में चली जाती है।
- **निरक्षरता और अधिकारों के संबंध में अनभिज्ञता :** शिक्षा के अभाव में समाज का बड़ा हिस्सा अपने संवैधानिक अधिकारों के संबंध में अनजान है।
- गौरतलब है कि ऑनर किलिंग भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 (1), 19, 21 और 39(एफ) को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है।
- अनुच्छेद 14, 15 (1), 19, और 21 मूल अधिकारों से संबंधित हैं, जबकि अनुच्छेद 39 राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों से संबंधित है।
- उल्लेखनीय है कि मूल अधिकार और निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा और दर्शन के तौर पर जाने जाते हैं।

प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इन द नेम ऑफ ऑनर बिल, 2010

- इस बिल में किसी दंपती के विवाह को अस्वीकार करने के उद्देश्य से किसी भी समुदाय या गाँव की सभा, जैसे कि खाप पंचायत के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने की बात शामिल है।
- इसमें नवविवाहित जोड़ों के बहिष्कार पर प्रतिबंध के साथ-साथ उनकी सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे पक्षों को भी शामिल किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, स्वयं को निर्दोष साबित करने का दायित्व आरोपी का होगा, इसकी भी व्यवस्था की गई है।

संभावित प्रश्न

एक जनतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी संस्था कानून और संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। ऐसे में खाप पंचायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की चर्चा करते हुए बताएं की सामाजिक व्यवस्था को सुचारू तरीके से चलाने और इस समस्या के निदान हेतु सरकार को क्या आवश्यक कदम उठाने चाहिए? (250 शब्द)

In a democratic system, no institution cannot be above law and the Constitution. In such a context, discuss the Supreme Court's decision on the Khap Panchayat and what steps should be taken by the government to resolve this problem and to run the social system smoothly? (250 words)

GS World Committed to Excellence

क्या भारत में जुए को वैध बनाना चाहिए?

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

30 मार्च, 2018

"द हिन्दू"

पक्ष

लेखक- जयदेव मोदी (डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के गैर कार्यकारी चेरयमैन, गेंमिंग कंपनी जो सार्वजनिक रूप से भारत में सूचीबद्ध है)

"इसे वैध बनाने से काले धन के एक महत्वपूर्ण स्रोत को कम करने और राजस्व में वृद्धि लाने में मदद मिलेगी।"

भारतीय समाज में जुआ सर्वव्यापी है: लोगों को सड़कों पर पशुओं की लड़ाई पर दांव लगाते हुए आम तौर पर देखा जा सकता है, साथ ही वें कार्ड के जरिये और क्रिकेट मैचों से पहले भी दांव लगाते हैं। जैसा कि आयरिश दार्शनिक एडमंड बर्क ने कहा था कि 'जुआ मानव स्वभाव में एक सिद्धांत के रूप में व्याप्त है।' हालांकि, जुआ की ओर सामाजिक रुख पिछली शताब्दी में बदल गई है, जुआ को अब एक वैध मनोरंजन के रूप में देखा जाता है, लेकिन अभी तक भारतीय कानून समय के साथ इससे तालमेल बैठा पाने में नाकाम रहा है।

हालांकि जुआ और सट्टेबाजी एक राज्य विषय है, प्राथमिक कानून जिस पर राज्यों ने जुआ कानून तैयार किया हैं, यह एक पुराना और ब्रिटिश युग का कानून है जिसे सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 कहा जाता है। विडंबना यह है कि जहाँ एक तरफ भारत एक ब्रिटिश-युग निषेधाज्ञा कानून को अपनाये हुए है, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन कई दशक पहले ही जुआ और सट्टेबाजी के विभिन्न रूपों को वैध और विनियमित कर चुका है। देश में जुआ और सट्टेबाजी वैध होना चाहिए या नहीं, इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए भारतीय कानून आयोग ने प्रयास किया है। इसलिए एक महत्वपूर्ण सुधार की प्रक्रिया शुरू करना बेहद आवश्यक और एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

जुआ को वैध क्यों करें?

जुआ को वैध बनाने और नियंत्रित करने के कारण कई हैं। सबसे पहला, जुआ पहले से ही हमारे समाज में बड़े पैमाने पर व्याप्त है। जिसे कानून प्रवर्तन प्राधिकरण रोक पाने में असमर्थ रहे हैं। जुआ और सट्टेबाजी को ज्यादातर गुप्त रूप से किया जाता है और इसे अंडरवर्ल्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो आतंक जैसे नापाक गतिविधियों के लिए जुआ से अर्जित अनधिकृत धन का उपयोग करते हुए वित्तपोषण करते हैं। इस गतिविधि को वैध बनाने से केवल काले धन के एक महत्वपूर्ण स्रोत को कम करने में मदद नहीं मिलेगा, बल्कि सरकारी खजाने को भी भारी राजस्व प्राप्त होगा, जिसका उपयोग विभिन्न रचनात्मक सामाजिक योजनाओं के लिए किया जा सकता है।

भारत में अगर जुआ बाजार के आकार का अनुमान लगाये, तो वर्ष 2010 की केपीएमजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह 60 अरब डॉलर तक हो सकता है, जबकि हाल ही में किये गये अन्य अध्ययन के अनुसार यह संख्या इससे भी अधिक हो सकती हैं। यहां तक कि एक रूढ़िवादी अनुमान से पता चलता है कि सरकार खेल में होने वाले सट्टेबाजी को वैध बनाने के द्वारा कर राजस्व के रूप में हजारों करोड़ रूपये कमा सकती है। इसके अतिरिक्त, यदि ऑनलाइन जुआ और कैसीनो की अनुमति दी जाती है, तो अनुमानित कर राजस्व इससे कहीं अधिक होगा।

राजस्व उत्पादन के अलावा, एक कानूनी और विनियमित जुआ क्षेत्र भी बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगा। विश्व स्तर पर, जहां जुआ विनियमित किया जाता है, ने रोजगार सृजन के लिए एक विशाल अवसर का निर्माण किया है। उदाहरण के लिए, यू.एस. में विनियमित जुआ उद्योग 2.5 लाख लोगों को रोजगार देता है, जबकि 1 लाख से अधिक व्यक्ति इस क्षेत्र में यू.के. में कार्यरत हैं।

अनिश्चित चिंताएं

कुछ आलोचकों का कहना है कि भारतीय संदर्भ में जुआ नैतिक रूप से सही नहीं है। उनका सुझाव है कि यह लत, आजीविका के नुकसान और दिवालियापन के लिए उत्तरदायी होती है। लेकिन ये चिंताएं निराधार हैं। जुआ प्राचीन काल से समाज में प्रचलित है और विभिन्न सामाजिक अवसरों पर मनोरंजन के रूप में स्वीकार किया गया है। सट्टेबाजी और जुए के बारे में व्याप्त चिंताएं जिसे दिवालियापन और लत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो हमे यह भी ध्यान देना चाहिए कि जुआ को काफी हद तक गैरकानूनी बनाने के बावजूद, यह अभी भी हमारे समाज में बड़े पैमाने पर व्याप्त और अनियंत्रित है। आज भी लोग जाने-अनजाने में जुए के कारण अपनी आजीविका खो रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं, जिसके चलते अधिकारियों की भी नींदें उड़ गयी हैं।

गेमिंग सेक्टर के संचालन के लिए एक मजबूत विनियामक ढांचा यह सुनिश्चित करेगा कि लोग जुआ से ज्यादा से ज्यादा शिकार न हो। जागरूकता अभियानों के द्वारा अत्यधिक जुए के खतरों के बारे में लोगों को शिक्षित करना चाहिए; साथ ही नाबालिग, इसके आदि हो चुके जुआरियों और कमजोर वर्गों को गेमिंग सुविधाओं के पहुंच से बाहर रखा जाना चाहिए; और किसी व्यक्ति की वित्तीय क्षमताओं के आधार पर, उसे उस राशि पर दांव लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

विपक्ष

लेखक- नवनीत राजन वसन (पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में सेवानिवृत्त और सीबीआई और एनआईए में काम कर चुके है)

''इसकी क्या गारंटी है कि सट्टेबाजी को वैध बनाने से राजस्व में वृद्धि होगी?''

वर्ष 2016 में खेल में सट्टेबाजी को वैध बनाने के संबंध में पेश की गयी लोढ़ा समिति की सिफारिशों की जांच करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कानून आयोग से यह मांग की थी कि वह क्रिकेट में सट्टेबाजी को वैध बनाने की जाँच करे और इसे सक्षम बनाने के लिए क्या कानून बनाया जाना चाहिए, उसे स्पष्ट करे। कानून आयोग अभी तक अपनी अंतिम सिफारिशों को पेश नहीं कर पाया है, लेकिन समाचार रिपोर्टों के अनुसार, कानून आयोग के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान आंकड़ों के आधार पर कहते हैं कि वह ऐसी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक बेहतर कानून के पक्ष में है। इस विचार के लिए भारी समर्थन इस आधार पर है कि हम अवैध सट्टेबाजी को नियंत्रित करने में असफल रहे हैं, जो बड़े पैमाने पर होता रहता है और साथ ही यह राज्य को एक विशाल राजस्व को अर्जित करने के अवसर से वंचित करता है, जिसके बाद केवल एकमात्र सहारा बच जाता है, अर्थात परिणामी आय को वैध बनाना, विनियमन करना और उस पर कर अधिरोपित करना। यह भी तर्क दिया जाता है कि यह बड़े अवैध सिंडिकेट नियंत्रित करने में मदद करेगा, जो अक्सर देश के बाहर से संचालित होता है।

वास्तविकता

ये सभी भ्रामक बहस हैं जो शायद जमीनी वास्तविकताओं को दरकिनार रख कर किये जा रहे हैं। यह बिलकुल उसी बहस की तरह है कि हम शराब पी कर ड्राइविंग करने वाले लोगों के कारण सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हमें ड्रिंक एंड ड्राइव को वैध बना देना चाहिए और इससे राजस्व में वृद्धि करने के लिए बड़ा जुर्माना लगा देना चाहिए। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि विनियमित सट्टेबाजी को वैध करना खिलाड़ियों को सट्टेबाजी रैकेट का एक हिस्सा होने से रोक देगा।

हमें यह याद रखना चाहिए कि भारत एक विकासशील राष्ट्र है, जहां जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग अब भी दैनिक मजदूरी पर आश्रित है। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं, जो आधे पेट खा कर रहते हैं या कड़ी मेहनत करने के बावजूद वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने या उनकी बुनियादी स्वास्थ्य जरूरतों का ख्याल नहीं रख पाते हैं। हालांकि, उनकी आकांक्षाएं पिछले दशक में बदल गई हैं। चाहे इसकी वजह टीवी का प्रभाव हो, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रवेश हो या काल्पनिक चुनावीं भाषणों पर होने वाली बहस हो।

बना बनाया चारा

हांलाकि, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना और मामूली कीमत पर सस्ते मोबाइल फोन और इंटरनेट सुविधाओं की उपलब्धता के कारण, भरतीय आबादी मोबाइल फोन तक अपनी पहुँच आसान बना चुके हैं। बेहतर अवसरों के लिए गांवों से शहरों में बड़े पैमाने पर प्रवास किया जाता हैं। संचार के इन साधनों का उपयोग न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि खरीद, धन हस्तांतरण, या पैसे घर भेजने के लिए किया जाता है। कल्पना करे कि पड़ोस की दुकान के बाहर श्रमिकों की एक बड़ी भीड़ को लॉटरी की टिकट बेच रहे हैं, जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी कमाई का एक हिस्सा निवेश किया है। यदि हमारे देश में सट्टेबाजी वैध होता, तो यह उदहारण बना बनाया चारे के समान ही होता। कंपनियां सट्टेबाजी के ऐप्स की मेजबानी करती और गरीब लोगों को अपनी किस्मत आजमाने के लिए प्रेरित करती। लेकिन हमे यह भी कल्पना करना चाहिए कि किसी गरीब व्यक्ति के मेहनत से कमाए गये पैसे अगर ऐसे सट्टेबाजी में खो जाते तो फिर परिणाम क्या होते?

अब तक यह अच्छी तरह से ज्ञात हो चुका है कि अधिकांश सट्टेबाजी उन व्यक्तियों तक ही सीमित है, जो काले धन के ढेर पर बैठे हुए हैं और जल्दी में और अधिक पैसा बनाना चाहते हैं। साथ ही कड़ी मेहनत से पैसा कमाने वाले लोगों द्वारा सट्टेबाजी पर पैसे लगाने का प्रतिशत मामूली है। टैक्स नेट में संदिग्ध तरीकों से भारी अवैध धन इकट्ठा करने वाले लोगों को लाने में हमारी असफलता सट्टेबाजी को वैध बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

इसके अलावा, जब कई महत्त्वपूर्ण पहलों जैसे विमुद्रीकरण और कर अधिकारियों को अधिक शक्ति देने से राजस्व प्रवाह में कोई बड़ा परिवर्तन या काले धन को रोकने में सफलता हासिल नहीं हुई, तो इसकी क्या गारंटी है कि सट्टेबाजी को वैध बनाने से राजस्व में वृद्धि हो ही जाएगी?

* * *

लेखक- वी.एम. कनाडे (बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश)

''जुआ को वैध बनाने में कई बाधाएं और जटिलताएं व्याप्त हैं।''

भारत में, महाभारत के बाद से जुआ के अभ्यास की आलोचना की गई है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जुआ की प्रवृत्ति मानवीय प्रकृति में निहित है। इसलिए, आबादी का एक बड़ा हिस्सा, विशेष रूप से महिलाएं न केवल नैतिक दृष्टि से जुआ का विरोध करती है, बल्कि इसलिए भी करती है क्योंकि यह नैतिक और मौद्रिक दिवालिएपन की ओर ले जाता है।

विनियमन बनाम प्रतिबंध

यह कहने के बाद, एक पूर्ण प्रतिबंध के विरोध में जुआ को कानूनी तरीके से विनियमित करने का विरोध किया गया है। हांलाकि, यह भी संभव है कि एक पूर्ण प्रतिबंध भूमिगत (Underground) गैरकानूनी सट्टेबाजी और जुआ की गतिविधियों में वृद्धि कर सकता है, जो कि और अधिक विपरीत परिणाम का कारण बनेगा। जुआ को नियंत्रित करने का पहला प्रयास सार्वजनिक जुआ अधिनियम के साथ 1867 में किया गया था जिसमें सार्वजनिक स्तर पर जुआ को अपराध की श्रेणी में डाला गया था और आम गेमिंग को घरों पर खेलने के लिए छोड़ दिया गया था। अधिनियम की धारा 2 प्रत्येक क्षेत्र (अब प्रत्येक राज्य) को राज्य स्तर पर अधिनियम को लागू करने के लिए अधिकृत किया गया।

बॉम्बे निवारण जुआ अधिनियम 1887 में लागू हुआ था। इस अधिनियम में जुआ की परिभाषा में गेमिंग और सट्टेबाजी को भी शामिल किया गया हैं। आम तौर पर, जुआ को कार्ड गेम के रूप में जाना जाता है, जहां उच्च दांव शामिल हैं और सट्टेबाजी को कैसीनो गेम्स के रूप में और एक मैच जैसे किसी मैच पर शर्त लगाई जाती है, के रूप में संदर्भित किया जाता है। केन्द्रीय और राज्य अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों से, कोई यह अनुमान लगा सकता है कि सार्वजनिक या सार्वजनिक गेमिंग घरों में जुआ निषिद्ध है, निजी घर में ऐसी गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

वैध बनाने में बाधा

लेखक के विचार में, जुआ को वैध बनाने में कई बाधाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को देखने के लिए लॉ कमीशन को आदेश दिया है। संविधान के अस्तित्व में आने से पहले मौजूदा कानून पारित किया गया था और यह एक केंद्रीय कानून था। यदि संसद इस विषय पर कानून बनाना चाहता है, तो उसके ऐसा करना मुश्किल होगा, क्योंकि जुआ का विषय राज्य सूची में शामिल है। नतीजतन, संविधान को पहले संशोधित करना होगा ताकि जुआ को समवर्ती सूची में शामिल किया जा सके। आवश्यक बुनियादी ढांचा अर्थात पुलिस मशीनरी, अभियोजन पक्ष, आदि को व्यवस्थित करना पड़ेगा।

ऑनलाइन गेमिंग की समस्या को केवल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में संशोधन करके रोक नहीं लगाया जा सकता, जहां उसे एक उल्लेख मिलता है। देखा जाये तो ऑनलाइन जुए में भारी वृद्धि हुई है और सरकार इस खतरे को रोकने के तरीकों को खोजने की कोशिश कर रही है। जुआ को विनियमित करने के लिए प्रासंगिक प्रावधान नए कानून में किए जाने होंगे। इसके बाद भी मुख्य मुद्दा क्षेत्राधिकार का ही होगा, क्योंकि ऑनलाइन जुआ भारत की सीमाओं से परे है। आप यह सुनिश्चित कैसे करेंगे कि ऑनलाइन जुआ सुरक्षित है और खिलाड़ियों के हितों और अधिकारों की सुरक्षा करता है? कहना आसान होता है, लेकिन इसे संभव बनाना कहीं अधिक मुश्किल है। इस संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार एंड ओर्स (2016) बनाम बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल फॉर क्रिकेट मामले में भारत में सट्टेबाजी को वैध बनाने की संभावना का अध्ययन करने के लिए लॉ कमीशन को आदेश दिया था। जस्टिस बी.एस. चौहान, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और कानून आयोग के अध्यक्ष, ने 30 मई, 2017 के अपने पत्र में अपने अपने विचार और सुझाव मांगे थे, ताकि इस संबंध में एक विवेकपूर्ण उपाय पर पहुंचा जा सके और सरकार को उपयुक्त सुझाव और अनुशंसाएं प्रदान की जा सके। हांलाकि, रिपोर्ट की प्रतीक्षा अभी तक है।

* * *

जी. एस. वर्ल्ड टीम...

चर्चा में क्यों ?

- भारत में जुए की स्वीकार्यता तेजी से बढ़ रही है। देश का एक बड़ा तबका सट्टेबाजी और जुए को वैध बनाने की वकालत करता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल भारतीय क्रिकेट बोर्ड बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के मामले में लॉ कमीशन से कहा था कि वह अध्ययन करे कि क्या सट्टेबाजी को भारत में कानूनी मंजूरी मिलनी चाहिये?
- अब सरकार जुआ एवं सट्टा को कानूनी मान्यता देकर उसे टैक्स के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। इसके लिये हाल ही में आम नागरिकों से सलाह मांगी गई थी। लॉ कमीशन ने लोगों से राय मांगी थी कि क्या भारत में सट्टेबाजी और जुए को कानून के दायरे में लाया जाए?

क्या है जुआ ?

- जुआ खेलने से तात्पर्य किसी अवसर पर किसी व्यक्ति (जिसे हितधारक कहा जाता है) द्वारा धन और कीमती सामान की बाजी लगाने से है, जिसमें व्यक्ति पहले से ही यह अपेक्षा रखता है कि वह धन या कीमती सामान को जीत लेगा।
- उल्लेखनीय है कि जुए को एक पुराने कानून 'सार्वजनिक जुआ अधिनियम,1867' के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।
- यद्यपि संविधान में सभी राज्यों को उनके स्वयं के जुआ कानून को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन विभिन्न राज्यों के कानूनों में कोई समरूपता नहीं होती है।

जुआ और सट्टेबाजी के दुष्परिणाम

- वर्तमान में जुआ और सट्टेबाजी से कारण कई घर नीलाम हो रहे हैं और कई लोग जेल में हैं। ऑनलाइन जुआ खेलना और सट्टेबाजी एक ऐसा क्षेत्र है जिससे छुटकारा पाना आसान नहीं है। ऐसा माना जाता है कि गैर-कानूनी जुआ कारोबार में अवैध तरीके से कमाया हुआ धन लगाया जाता है जिससे लगभग एक समानांतर अर्थव्यवस्था का सृजन हो रहा है जिसमें वैध तरीके से प्राप्त की गई आय को काले धन में बदला जा रहा है। इस काले धन का उपयोग अन्य देशों के जुआ ऑपरेटरों को बर्बाद करने के लिये भी किया जा रहा है।
- जुआ और सट्टेबाजी का एक-दूसरे से निकट संबंध है। जुआ और सट्टेबाजी के विरुद्ध बनाए गए सख्त नियम भी मुश्किल से ही ऐसी गुप्त गतिविधियों से बचाव करेंगे।
- वर्तमान में विभिन्न गतिविधियों की वैधता (जिनमें घुड़सवारी पर सट्टेबाजी और ताश खेलना शामिल हैं) से संबंधित मुद्दे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आ रहे हैं।
- के.आर. लक्ष्मण बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि घुड़सवारी 'मौके की बजाय कौशल का खेल' है।
- आंध्र प्रदेश राज्य बनाम के. सत्यनारायण एवं ओर्स मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि रमी (ताश) कौशल का खेल है तथा यह मौके पर पूर्णरूप से निर्भर नहीं है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

- इसे आई.टी.ए. 2000 अथवा आई.टी. अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत सरकार का एक अधिनियम है जिसे 17 अक्तूबर, 2000 को अधिसूचित किया गया था। यह भारत का ऐसा प्राथमिक कानून है जो साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से संबंधित है।

संभावित प्रश्न

भारतीय समाज में जुआ सर्वव्यापी है। यदि जुए और सट्टेबाजी को कानूनी वैधता प्रदान की जाती है तो क्या इससे गैर-कानूनी गतिविधियों से छुटकारा, सरकार के राजस्व में वृद्धि तथा रोजगारों का सृजन होगा? चर्चा कीजिये।

(250 शब्द)

Gambling is universal in Indian society. If gambling and betting are provided legal legitimacy, will it relieve non-legal activities, increase government revenue and create jobs? Discuss.

(250 Words)

नदियां, बाढ़ के मैदान, शहर और किसान

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-1 (भूगोल) से संबंधित है।

31 मार्च, 2018

द हिन्दू

लेखक-
अदिति वीणा (शहरी पारिस्थितिकी विज्ञानी, पीआई विज्ञान फांउडेशन),
विक्रम सोनी (प्रोफेसर, भौतिकी और पारिस्थितिकी ज्ञान, पीआई विज्ञान फाउंडेशन)

''नदी और बाढ़ के मैदानों के संरक्षण को 'संरक्षण और उपयोग' मानक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।''

बाढ़ के मैदान का पानी एक नया स्रोत बन सकता है। वे शहरी केंद्रों के लिए पानी का एक स्थानीय, गैर प्रदूषणकारी, बारहमासी और स्थिर स्रोत हैं। 2016 में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा शुरू की गई पाला बाढ़ योजना पर हमारा काम और शोध इस विचार का एक वास्तविक एहसास है। यह योजना (यमुना के 25 किमी खंड पर) वर्तमान में अपनी क्षमता के मुकाबले आधे से कम चल रही है और शहर में लगभग 10 लाख लोगों को पानी मुहैया करा रही है (प्रति व्यक्ति 150 लीटर की दैनिक आवश्यकता)।

संरक्षित करें और उपयोग करें

बाढ़ के मैदान का निर्माण, लाखों वर्षों में नदियों में आई बाढ़ और नदी के किनारे पर जमा रेत के निक्षेप से होता हैं। ये रेतीलें बाढ़ के मैदान एक असाधारण जलीय चट्टानी पर्त हैं जहां जल की कमी हो जाने पर तुरंत इसकी कमी की पूर्ति हो जाती है। हिमालयी नदियों वाले कुछ बाढ़ के मैदान में एक वर्ष में नदियों की तुलना में 20 गुना अधिक पानी रहता हैं। चूंकि इसकी पूर्ति बारिश और देर से आने वाली बाढ़ के दौरान होती है, जहाँ पानी की गुणवत्ता काफी अच्छी रहती है।

यदि हम बाढ़ के मैदानों का संरक्षण और उपयोग करते हैं, तो यह एक आत्मनिर्भर जलीय चट्टानी पर्त बन सकता है। 'संरक्षण और उपयोग' के सिद्धांत की मांग यह है कि बाढ़ के मैदान के पानी का इस्तेमाल तो करो, लेकिन साथ ही साथ इसका संरक्षण भी करना जरूरी होगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि जब नदी अक्सर प्रदूषित हो जाती है, तो खराब नॉन-मानसून के महीनों में बाढ़ के मैदानों में भूजल स्तर लगातार ऊपर रहता है। रिचार्ज हो चुके पानी से ज्यादा अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो यह दूषित हो सकता है और अंततः यह अनमोल संसाधन खत्म हो जायेगा।

शहरों, उद्योगों और कृषि क्षेत्रों में उपयोग के लिए पानी के अंधाधुंध उपयोग के कारण आज नदियों में कम प्रवाह की समस्याओं को देखा जा सकता है। वे भी अत्यधिक प्रदूषित होती हैं, क्योंकि उनमें सीवेज और अपशिष्ट पदार्थ जाते रहते हैं। लेकिन एक बाढ़ के मैदान 'संरक्षण और उपयोग' योजना, जो एक सामाजिक-आर्थिक-पर्यावरण योजना है, नदियों के साथ शहरी केंद्रों को भी पानी प्रदान कर सकता है; साथ ही यह किसानों को एक निश्चित आय प्रदान करते हुए नदियों की भी स्थिति को स्वस्थ बना सकता है।

थामिराबरानी नदी

आइए हम अब तमिलनाडु में थामिराबरानी नदी का उदाहरण लेते हैं जो दो शहरी बस्तियों, तिरुनेलवेली और थुथुकुडी से 100 किमी तक बहती है। इन दो शहरों में करीब दस लाख लोगों की आबादी है, जहाँ संयुक्त रूप से दोनों कस्बों को पानी की आवश्यकता प्रति वर्ष 54 लाख घन मीटर (एमसीएम) से भी कम है, अगर प्रति व्यक्ति 150 लीटर प्रति दिन की गणना की जाती है, तब।

नदी के किनारे के क्षेत्र को छोड़कर जो कि ऊपर स्थित है, तब हमारे पास 75 किलोमीटर की लंबाई तक नदी शेष बच जाती हैं जो कृषि भूमि है; जहाँ नदी के दोनों किनारों पर इस खंड के 1 किमी तक पानी अभ्यारण्य के रूप में संरक्षित किया जा सकता है और कस्बों को पानी प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

यह बाढ़ के मैदान (75 किमी) वर्षा के लगभग 50% (लगभग 100 सेमी/वर्ष) को अवशोषित करता है और मॉनसून में बाढ़ के दौरान संतृप्त होता है। बाढ़ से पानी के स्तर में लगभग 4 मीटर की वृद्धि हो सकती है जिसके कारण हमें 3 मीटर की गहराई तक बाढ़ के मैदान के जल को निकलना पड़ेगा।

इस जलीय चट्टानी पर्त की विशिष्ट उपज इसकी मात्रा का लगभग 15-20% है और इसलिए हम एक वर्ष में बाढ़ के मैदान से लगभग 75-90 एमसीएम पानी प्राप्त कर सकते हैं। तथ्य यह है कि शहरों की जरूरतों के मुकाबले बाढ़ का पानी अधिक है। जहाँ से आधा पानी लिया जा सकता है और लगभग 120 कुओं की ग्रिड विकसित करके शहरों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है।

किसानों को शामिल करना

इस योजना के लिए बाढ़ के मैदान को पूरी तरह से संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। यह उन किसानों को आकर्षित करने के द्वारा किया जा सकता है जिनकी जमीन को इस तरह के प्रयासों के लिए पट्टे पर लिया जायेगा। देखा जाये तो किसानों की आज एक अनियमित आय है और इस योजना को सार्वजनिक-निजी साझेदारी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जहां नदी के दोनों ओर 1 किलोमीटर के इस जमीनी क्षेत्र पर किसानों को 30,000 रुपये प्रति एकड़ की एक निश्चित और स्थिर आय प्रदान की जा सकती है।

पूरे नदी की लंबाई (75 किमी) के लिए पहले 10 वर्षों के लिए 112 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा, किसान, फलों के बगीचे या अखरोट के पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन इस जमीन पर पानी की अधिक उपयोग करने वाले फसलों को नहीं लगा सकते हैं। यह न केवल एक अच्छी खेती द्वारा आय की गारंटी देगा, बल्कि जमीन के स्वामित्व के बिना किसानों को पानी से बड़ी कमाई सुनिश्चित करेगा। ऐसी योजना बनाने के लिए पूंजीगत लागत ज्यादा नहीं लगेगी (कुछ सौ करोड़) और उत्पन्न राजस्व लागत का भुगतान करने में सक्षम होगा और किसी भी सब्सिडी के बिना किसानों की आय बढ़ जाएगी। यह शहरों के लिए पर्याप्त राजस्व पैदा करेगा।

पारिस्थितिक रूप से, यह एक जल अभ्यारण्य क्षरण को रोकने, नदी पारिस्थितिकी तंत्र को ठीक करने, और बाढ़ के मैदानों में पारिस्थितिक संतुलन बहाल करेगा। यह योजना स्थानीय एजेंसियों और उद्योगों द्वारा प्रदूषण को रोकने में, पानी के अवैध निष्कासन को रोकने में मदद करेगा और साथ ही यह शहरों को अपशिष्ट प्रबंधन में अधिक जिम्मेदार बनने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा।

अंत में यह योजना नदियों की गुणवत्ता में, नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में और किसानों को एक स्वस्थ स्थिर आय प्रदान करते हुए काफी किफायती साबित होगी।

जी. एस. वर्ल्ड टीम...

जल सामान्यतः तीन स्रोतों से प्राप्त होता है

1. वर्षा से प्राप्त जल
2. हिम के पिघलने से प्राप्त जल, तथा
1. भूमिगत जल संचय से

- **किन्तु नदियों में अधिकांशत :** जल की मात्रा वर्षा से ही प्राप्त होती है। प्रो. मरे (Murray) के अनुसार, "भू-पृष्ठ पर प्रतिवर्ष 46,400 घन किमी वर्षा होती है। इसका से भाग नदियां बहा ले जाती हैं और शेष जल या तो वाष्प बनकर उड़ जाता है अथवा भूमि द्वारा सोखकर भूगर्भित जल बन जाता है"।

भूमिगत जल के स्रोत

- भूमिगत जल, जो कि भूमि की निचली सतहों में पाया जाता है, के निम्नलिखित प्रमुख स्रोत हैं-
- वर्षा का जल जो कि जमीन द्वारा सोखने के बाद संतृप्त क्षेत्र में इकट्ठा होता है जिसे कुओं तथा नलकूपों से बाहर निकाला जाता है।
- नदियों, जलाशयों, झीलों, तालाबों आदि का पानी सतह तथा तली से रिसकर भूमि के अन्दर जाकर एकत्र होता है।
- हिमनदियों के पिघलने से परतदार चट्टानों की सन्धियों से होकर पानी चूना क्षेत्रों में रासायनिक क्रिया करके अपरदन कार्य करता है।
- भूमि के अन्दर की कन्दराओं, अन्धी घाटियों तथा संचय स्थानों पर समीपवर्ती स्रोतों का पानी निरन्तर पहुँचता रहता है।

बहता हुआ जल या नदी तीन प्रकार से कार्य करती है

- **अपरदनात्मक कार्य :** अपरदन द्वारा किनारों व तली को काटनाछांटना, इसे नदी का अपरदन कार्य कहा जाता है।
- **परिवहन कार्य :** काटे गए अवसादों को घुलनशील या भौतिक अवस्था में बहा ले जाना, उसे नदी का परिवहन का कार्य कहा जाता है।
- **निक्षेपात्मक कार्य :** बहाकर लाए गए पदार्थ को उपयुक्त स्थानों पर जमाने के कार्य को निक्षेपण कहते हैं।

अपरदन कार्य

- नदी की धारा में अनेक प्रकार के छोटे बड़े पदार्थ वहते रहते हैं। ये नदी के तल और किनारों से रगड़ खाकर उन्हें गहरा और चौड़ा करते हैं तथा चट्टानों को काटते और घिसते रहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप नदी की घाटी गहरी और चौड़ी होती जाती है। इस प्रकार नदी का अपरदन दो प्रकार का होता है : लम्बवत् (Vertical) जिसमें तलहटी गहरी की जाती है और पार्श्विक जिसमें किनारे क्रमानुसार काटे जाते हैं। इसी के द्वारा नदियां टेढ़ा-मेढ़ा मार्ग बनाकर बहती हैं।
- **नदियों का अपरदन कार्य दो प्रकार से होता है :** यान्त्रिक तथा रासायनिक। यान्त्रिक प्रक्रिया में नदी अपने किनारों और तली को काटती है तथा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा घुलनशील पदार्थ उसके जल में घुलकर बहते हैं। नदी द्वारा अपरदन की प्रक्रिया इन विधियों से होती है।
- **जलीय क्रिया :** इसमें नदी का जल अपने भार द्वारा दबाव डालकर तली एवं किनारों की चट्टानों को ढीला करके वहाँ से हटाता रहता है।
- **अपघर्षण :** इसमें नदी अपने बोझिल पदार्थ से तल एवं किनारों को घिसती है।
- **संनिघर्षण :** इसमें नदी के जल में मिले हुए बड़े और सूक्ष्म पदार्थ लुढ़कते हुए टूटकर चूर्ण बन जाते हैं अर्थात् स्वयं पदार्थ भी आपस में रगड़ खाकर गोलाकार एवं महीन होते जाते हैं। बालू का विकास इसी क्रिया का परिणाम है।
- **संक्षारण Corrosion :** इस क्रिया में किनारों की चट्टानों के घुलनशील तत्व जल में घुलकर बह जाते हैं।
- **बाढ़कृत मैदान :** मैदानी भाग में भूमि समतल होती है। अतः नदी में जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ का जल नदी के समीपवर्ती समतल प्रायः भाग में फैल जाता है। इस जल में बालू एवं मिट्टी मिली हुई रहती है। बाढ़ के हटने के बाद यह मिट्टी वहीं जमा हो जाती है। मिट्टी के निक्षेपण से सम्पूर्ण मैदान समतल और लहरदार प्रतीत होता है। ऐसे मैदानों को बाढ़कृत मैदान कहा जाता है। नदियों द्वारा लाई हुई बारीक मिट्टी के मैदान मिट्टी के मैदान कहलाते हैं। उत्तरी भारत का उपजाऊ मैदान इसका उत्कृष्ट उदाहरण है जो गंगा-यमुना तथा इनकी सहायक नदियों से निर्मित हुआ है।

संभावित प्रश्न

"जल ही जीवन है, जल के बिना जिन्दगी की कल्पना नहीं की जा सकती है।" पारिस्थितिक रूप से, एक जल अभ्यारण्य, जल स्तर को बनाये रखने, जल क्षरण को रोकने, नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र को व्यवस्थित करने और बाढ़ के मैदानों में पारिस्थितिक संतुलन को बनाये रखने में मददगार साबित होगा। इस कथन सन्दर्भ में अपने विचार प्रस्तुत कीजिये। (250 शब्द)

"Water is life, life can not be imagined without water." Ecologically, a water sanctuary will be helpful in maintaining water level, preventing water erosion, organizing ecosystems of rivers and maintaining balance in ecology of floodplains. Give your viewpionts in this context. (250 Words)